



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 324]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 24, 2018/भाद्र 2, 1940

No. 324]

NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 24, 2018/BHADRA 2, 1940

गोवा राज्य और संघ शासित प्रदेशों के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग

अधिसूचना

गुरुग्राम, 10 अगस्त, 2018

सं. **जेईआरसी-22/2018**.—विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 361, धारा 39, धारा 40, धारा 41, धारा 51, धारा 61, धारा 62, धारा 63, धारा 64, धारा 65 और धारा 86 के साथ पठित धारा 181 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों तथा इस संबंध में सक्षम बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, गोवा राज्य और संघ शासित प्रदेशों (दिल्ली को छोड़कर) के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग, पिछले प्रकाशन के बाद, एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:

अध्याय 1: प्रारंभिक

1. लघु शीर्षक, प्रारंभ और विस्तार

- 1.1. इन विनियमों को गोवा राज्य और संघ शासित प्रदेशों (उत्पादन, ट्रांसमिशन और वितरण बहु वर्ष टैरिफ) विनियम, 2018 के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग कहा जाएगा।
- 1.2. ये विनियम सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे और 31 मार्च, 2022 तक लागू रहेंगे जब तक कि अन्यथा इनकी समीक्षा / विस्तार न हो जाए।
- 1.3. ये विनियम पूरे गोवा राज्य तथा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव, पुडुचेरी तथा चंडीगढ़ के केंद्र शासित प्रदेशों पर लागू होंगे।

2. परिभाषाएं

2.1 इन विनियमों में, जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो:

1. **"लेखांकन विवरण"** का अर्थ प्रत्येक वित्तीय वर्ष, तुलन-पत्र, लाभ एवं हानि विवरण, नकदी प्रवाह विवरण और सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट तथा इसकी टिप्पणियों से होगा:

बशर्ते कि बिजली के वितरण के कारोबार में लगे किसी भी स्थानीय प्राधिकारी के मामले में, लेखांकन विवरण का अर्थ उपर्युक्त वर्णित वस्तुओं का प्रासंगिक अधिनियमों या सांविधिक के अनुसार तैयार और बनाए रखा जाएगा;

2. **"अधिनियम"** का अर्थ समय-समय पर संशोधित विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) से है;
3. **"कुल राजस्व आवश्यकता" या "एआरआर"** का अर्थ इन विनियमों के अनुसार टैरिफ के माध्यम से वसूली के लिए उत्पादन कंपनी, ट्रांसमिशन लाइसेंसधारक या वितरण लाइसेंसधारक से संबंधित पूंजी पर अनुमेय व्यय और प्रतिलाभ सहित वार्षिक राजस्व आवश्यकता से होगा;
4. **"आवंटन विवरण"** का अर्थ वितरण लाइसेंसधारी के डिस्ट्रीब्यूशन वॉयर व्यवसाय और खुदरा आपूर्ति व्यवसाय के बीच विभाजन या आवंटन द्वारा निर्धारित अनुसार प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए किसी राजस्व, लागत, परिसंपत्ति, देयता, रिजर्व या प्रावधान आदि की मात्रा दर्शाने वाला विवरण होगा;
5. **"आवंटित ट्रांसमिशन क्षमता"** का अर्थ सामान्य परिस्थितियों में अंतर-राज्य ट्रांसमिशन प्रणाली पर दीर्घावधि उपभोक्ता या मध्यम-अवधि उपभोक्ता को दी गई निकासी के इंजेक्शन और बिंदु(ओं) के निर्दिष्ट बिंदु(ओं) के बीच मेगावाट में पावर के ट्रांसफर से होगा, और तदनुसार "ट्रांसमिशन क्षमता का आवंटन" अभिव्यक्ति माना जाएगा;
6. उत्पादन स्टेशन के मामले में अवधि के संबंध में **"सहायक ऊर्जा खपत"** या **"ऑक्स"** का अर्थ उत्पादन स्टेशन के सहायक उपकरण द्वारा ऊर्जा की खपत की मात्रा, जैसे कि प्रचालन संयंत्र और मशीनरी के उद्देश्य के लिए उपयोग किए जा रहे उपकरण, जिसमें उत्पादन स्टेशन के स्विचयार्ड और उत्पादन स्टेशन के भीतर ट्रांसफॉर्मर हानि सहित, जेनरेटिंग स्टेशन की सभी इकाइयों के जेनरेटर टर्मिनलों में उत्पन्न समृद्ध सकल ऊर्जा को प्रतिशत के रूप में अभिव्यक्त किया गया है:

बशर्ते कि सहायक ऊर्जा खपत में जेनरेटिंग स्टेशन पर आवास कॉलोनी और अन्य सुविधाओं को बिजली की आपूर्ति के लिए खपत ऊर्जा शामिल न हो और जेनरेटिंग स्टेशन पर निर्माण कार्यों के लिए बिजली की खपत शामिल न हो;

7. **"आवेदक"** का अर्थ होगा एक उत्पादन कंपनी, ट्रांसमिशन लाइसेंसधारी या वितरण लाइसेंसधारी, जिसने अधिनियम और इन विनियमों के अनुसार सकल राजस्व आवश्यकता और टैरिफ के निर्धारण के लिए एक एप्लीकेशन बनाई है और इसमें एक उत्पादन कंपनी, ट्रांसमिशन लाइसेंसधारी या वितरण लाइसेंसधारी, जिसका टैरिफ को आयोग द्वारा स्वतः संज्ञान में लेने के आधार पर निर्धारित किया जा रहा है, शामिल होगा;
8. **"आपूर्ति क्षेत्र"** का अर्थ वह क्षेत्र होगा, जहां किसी वितरण लाइसेंसधारक को बिजली की आपूर्ति के लिए लाइसेंस देकर अधिकृत किया गया है;
9. **"प्राधिकरण"** का अर्थ अधिनियम की धारा 70 में निर्दिष्ट केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण होगा;
10. किसी दी गई अवधि के लिए एक ट्रांसमिशन प्रणाली के संबंध में **"उपलब्धता"** का अर्थ किसी अवधि के दौरान ट्रांसमिशन प्रणाली की अवधि के दौरान समय में घंटे, दी गई अवधि में कुल घंटों के प्रतिशत में व्यक्त रेटेड वोल्टेज पर बिजली ट्रांसमिशन करने में सक्षमता से होगा;
11. **"बैंक दर"** का अर्थ भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर घोषित बैंक दर से होगा;
12. **"आधार वर्ष"** का अर्थ नियंत्रण अवधि के पहले वर्ष से तत्काल पूर्व वर्ष होगा;
13. **"बल्क पावर ट्रांसमिशन एग्रीमेंट"** का अर्थ एक निष्पादित करार होगा, जिसमें निबंधन एवं शर्तें शामिल होंगी, जिसके द्वारा कोई ट्रांसमिशन प्रणाली उपयोगकर्ता, ट्रांसमिशन लाइसेंसधारक की अंतर-राज्य ट्रांसमिशन प्रणाली को प्राप्त करने का पात्र होगा;
14. **"कानून में परिवर्तन"** का अर्थ निम्नलिखित में से किसी भी घटना का घटित होना होगा:
 - क) अधिनियमन करना, जिससे किसी भी नए भारतीय कानून प्रभावी हो या उसकी घोषणा हो: या
 - ख) किसी भी मौजूदा भारतीय कानून को अंगीकार करना, संशोधन, आशोधन, निरसन या पुनः अधिनियमन करना: या
 - ग) किसी सक्षम अदालत, ट्रिब्यूनल या भारतीय सरकारी माध्यम द्वारा किसी भी भारतीय कानून की व्याख्या या आवेदन में परिवर्तन, जो ऐसी व्याख्या या आवेदन के लिए कानून के अंतर्गत अंतिम प्राधिकारी है: या
 - घ) किसी भी शर्त या किसी सहमति या अनुमोदन या परियोजना के लिए उपलब्ध या प्राप्त लाइसेंस के किसी भी शर्त या अनुबंध में किसी भी सक्षम सांविधिक प्राधिकारी द्वारा परिवर्तन: या

- ड.) भारत सरकार और किसी भी अन्य संप्रभु सरकार के बीच होने वाले कोई भी द्विपक्षीय या बहुपक्षीय समझौता / संधि होना या परिवर्तन करना, जिसका विनियमों के अंतर्गत विनियमित जनरेटिंग स्टेशन या ट्रांसमिशन प्रणाली पर प्रभाव पड़ता है;
15. **"केंद्रीय आयोग" या "सीईआरसी"** का अर्थ अधिनियम की धारा 76 की उप-धारा (1) में निर्दिष्ट केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग होगा;
16. **"आयोग"** का अर्थ अधिनियम की धारा 83 में निर्दिष्ट गोवा राज्य और संघ शासित प्रदेशों (दिल्ली को छोड़कर) के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग होगा;
17. **"नियंत्रण अवधि"** का अर्थ 1 अप्रैल, 2019 से 31 मार्च, 2022 तक तीन (3) वर्ष की अवधि होगा;
18. **"केंद्रीय ट्रांसमिशन उपयोगिता" या "सीटीयू"** का अर्थ किसी भी सरकारी कंपनी से होगा, जिसे केंद्र सरकार अधिनियम की धारा 38 के उप-धारा (1) के अंतर्गत अधिसूचित कर सकती है;
19. **"कट ऑफ तारीख"** का अर्थ परियोजना के वाणिज्यिक प्रचालन के वर्ष से दो (2) वर्ष के बाद समाप्त होने वाले वर्ष का 31 मार्च होगा, और यदि एक वर्ष की अंतिम तिमाही में परियोजना का वाणिज्यिक परिचालन घोषित किया जाता है, तो कट ऑफ तारीख वाणिज्यिक परिचालन के वर्ष से तीन (3) वर्ष बाद समाप्त होने वाले वर्ष का 31 मार्च होगा;
- बशर्ते कि कट-ऑफ तारीख आयोग द्वारा बढ़ाई गई हो यदि दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर यह साबित होता है कि परियोजना डेवलपर के नियंत्रण से परे कारणों से कट-ऑफ तारीख के भीतर पूंजीकरण नहीं किया जा सकता था;
20. **"उपभोक्ता"** कोई भी व्यक्ति होगा, जिसे लाइसेंसधारक या सरकार द्वारा या किसी भी अन्य व्यक्ति द्वारा इस अधिनियम के अंतर्गत जनता को बिजली की आपूर्ति करने के व्यवसाय में लगे किसी अन्य व्यक्ति या प्रचलित किसी अन्य कानून में बिजली की आपूर्ति की जाती है और जिसमें वर्तमान में ऐसा व्यक्ति शामिल है जिसका परिसर लाइसेंसधारक, सरकार या ऐसे अन्य व्यक्ति, जैसा भी मामला हो, के कार्यों के साथ बिजली प्राप्त करने के उद्देश्य से जुड़ा हुआ है, लेकिन जो राज्य के भीतर ऐसे उपभोक्ताओं तक ही सीमित होगा;
21. **"अनुबंधित क्षमता"** का अर्थ ट्रांसमिशन प्रणाली उपयोगकर्ता द्वारा अनुबंधित मेगावाट क्षमता होगा;
22. **"दिवस"** का अर्थ 00.00 घंटों से शुरू होने और 24.00 घंटों तक समाप्त होने वाला दिन होगा;
23. ट्रांसमिशन प्रणाली के मामले में **"वाणिज्यिक परिचालन की तारीख"** या **"सीओडी"** का अर्थ 00.00 घंटों से ट्रांसमिशन लाइसेंसधारक द्वारा घोषित तारीख होगी, जिसके लिए बिजली संचारित करने के लिए सफल परीक्षण प्रचालन के बाद ट्रांसमिशन प्रणाली का एक घटक नियमित सेवा प्रदान कर रहा है, और एक सिरे से दूसरे प्राप्त करने वाले सिरे तक संचार संकेत भेजना है;
- बशर्ते ट्रांसमिशन लाइन या सब-स्टेशन किसी विशेष जेनरेटिंग स्टेशन से बिजली का उत्पादन करने के लिए समर्पित हो, जेनरेटिंग कंपनी और ट्रांसमिशन लाइसेंसधारक जेनरेटिंग स्टेशन और ट्रांसमिशन सिस्टम को एक साथ व्यावहारिक रूप से स्थापित करने का प्रयास करेगा और उचित कार्यान्वयन समझौते के माध्यम से इसे सुनिश्चित करेगा;
- बशर्ते कि एक ट्रांसमिशन प्रणाली या उसके घटक को नियमित सेवा से रोक दिया गया हो, जिसके लिए ट्रांसमिशन लाइसेंसधारक या उसके आपूर्तिकर्ता या उसके ठेकेदारों जिम्मेदार न हों, लेकिन विलंब संबंधित जेनरेटिंग स्टेशन को चालू करने या अपस्ट्रीम या डाउनस्ट्रीम ट्रांसमिशन प्रणाली की स्थापना करने के कारण है, तो ट्रांसमिशन लाइसेंसधारक इस तरह की ट्रांसमिशन प्रणाली या उसके घटक के वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख की मंजूरी के लिए उपयुक्त आवेदन के माध्यम से आयोग से संपर्क करेगा;
- बशर्ते आगे यह कि किसी जेनरेटिंग स्टेशन के लिए वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख प्रचलित सीईआरसी टैरिफ विनियमों में परिभाषित की जाएगी;
24. **"डी-कैपिटलाइजेशन"** का अर्थ आयोग द्वारा अनुमोदित अनुसार परिसंपत्तियों को हटाने के लिए संबंधित परियोजना की सकल नियत परिसंपत्तियों में कमी होगा;
25. **"वितरण व्यवसाय"** का अर्थ वितरण लाइसेंसधारक की आपूर्ति के क्षेत्र में बिजली की आपूर्ति के लिए वितरण प्रणाली का प्रचालन और रखरखाव का व्यवसाय होगा;
26. **"वितरण लाइसेंसधारक"** का अर्थ उपभोक्ता को आपूर्ति के उसके क्षेत्र में बिजली की आपूर्ति के लिए वितरण प्रणाली को संचालित और बनाए रखने के लिए अधिकृत लाइसेंसधारक होगा;

27. **"डिस्ट्रीब्यूशन वॉयर व्यापार"** का अर्थ वितरण लाइसेंसधारक की आपूर्ति के क्षेत्र में बिजली की व्हीलिंग के लिए वितरण प्रणाली का संचालन और रखरखाव का व्यवसाय होगा;
28. **"टैरिफ और शुल्क से अपेक्षित राजस्व"** का अर्थ मौजूदा टैरिफ पर विनियमित व्यवसाय से जेनरेटिंग कंपनी, ट्रांसमिशन लाइसेंसधारक या वितरण लाइसेंसधारक को प्राप्त होने वाला राजस्व होगा;
29. **"विद्युत आपूर्ति संहिता"** का अर्थ अधिनियम की धारा 50 के अंतर्गत निर्दिष्ट विद्युत आपूर्ति संहिता होगा;
30. **"मौजूदा परियोजना"** का अर्थ किसी परियोजना को 1 अप्रैल, 2019 से पूर्व वाणिज्यिक प्रचालन घोषित किया जाना होगा;
31. **"अप्रत्याशित घटना"** का अर्थ किसी भी पार्टी के लिए, किसी भी घटना या परिस्थिति या घटनाओं या परिस्थितियों के संयोजन के साथ नीचे उल्लिखित स्थिति सहित, जो उचित नियंत्रण में न हो, और उस पार्टी की किसी भूल-चूक के कारण नहीं है और जिसे उचित देखभाल और तत्परता से नहीं बचाया जा सकता था, और जिसमें पूर्ववर्ती की व्यापकता को सीमित किए बिना, निम्नलिखित घटनाओं का शामिल होना होगा:
 - क) बिजली गिरना, सूखा पड़ना, आग लगना और विस्फोट होना, भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट, भूस्खलन, बाढ़, चक्रवात, तूफान, बवंडर, अप्रत्याशित भूवैज्ञानिक घटना, या असाधारण प्रतिकूल मौसम की स्थिति जो आंकड़ों की दृष्टि से पिछले सौ वर्षों में किए गए उपायों से अधिक रही हैं सहित ईवरीय प्रकोप; या
 - ख) युद्ध, आक्रमण, सशस्त्र संघर्ष या विदेशी दुश्मन, नाकाबंदी, प्रतिबंध, क्रांति, दंगा, विद्रोह, आतंकवादी या सैन्य कार्रवाई का कोई कार्य; या
 - ग) भारत में राष्ट्रव्यापी प्रभाव वाले उद्योग-व्यापी हमले और श्रमिक अशांति;
32. **"जनरेशन कंपनी"** का अर्थ ऐसी कंपनी या निगमित निकाय या संघ या व्यक्तिगत निकाय, चाहे निगमित हो या नहीं, या कृत्रिम विधिक व्यक्ति से है, जो किसी जेनरेटिंग स्टेशन का मालिक है या उसका संचालन करता है या उसे बनाए रखता है और इन विनियमों के प्रयोजन के लिए, इसमें नवीकरणीय स्रोतों से बिजली उत्पादन करने वाली कंपनी शामिल नहीं होंगी;
33. **"जनरेटिंग स्टेशन"** का अर्थ बिजली उत्पादन करने वाले किसी स्टेशन से है, जिसमें किसी भी इमारत और संयंत्र सहित स्टेप-अप ट्रांसफॉर्मर, स्विचगियर, स्विच यार्ड, केबल्स या अन्य अपरिवर्तनीय उपकरण, यदि कोई हो, का उस उद्देश्य और उसकी साइट के लिए उपयोग किया जाता है; किसी जनरेटिंग स्टेशन के लिए इस्तेमाल की जाने वाली साइट, और किसी भी इमारत को जेनरेटिंग स्टेशन के प्रचालन स्टाफ के आवास के लिए उपयोग किया जाता है, और जहां बिजली को पन-शक्ति से उत्पन्न किया जाता है, जिसमें पेनस्टॉक्स, शीर्ष और अंतिम कार्य, मुख्य और जलाशयों, बांधों और अन्य हाइड्रोलिक कार्यों का नियंत्रण शामिल है, लेकिन किसी भी मामले में कोई भी उप-स्टेशन शामिल नहीं है और इन नियमों के प्रयोजन के लिए अक्षय स्रोतों से बिजली उत्पादन करने वाले स्टेशनों भी शामिल नहीं होंगे;
34. **"ग्रिड"** का अर्थ इंटर-कनेक्टेड ट्रांसमिशन लाइनों, उप-स्टेशनों और जेनरेटिंग संयंत्रों की उच्च वोल्टेज बैकबोन प्रणाली से है;
35. **"सकल स्टेशन ताप दर"** या **"जीएचआर"** का अर्थ है थर्मल जेनरेटिंग स्टेशन के जेनरेटर टर्मिनल पर विद्युत ऊर्जा के एक किलोवाट का उत्पादन करने के लिए कैकल में पात ऊर्जा इनपुट;
36. **"एकीकृत उपयोगिता"** का अर्थ गोवा राज्य में बिजली विभाग तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दमन और दीव, लक्षद्वीप और पुडुचेरी के केंद्र शासित प्रदेशों से है, जो वर्तमान स्वरूप में या उत्तराधिकारी संस्थाओं में से एक से अधिक कार्यों का निष्पादन, पुनर्गठन के बाद जेनरेशन, ट्रांसमिशन और वितरण करते हैं;
37. **"लाइसेंसधारी व्यवसाय"** का अर्थ गोवा और संघ शासित प्रदेश (ट्रांसमिशन लाइसेंसधारकों और वितरण लाइसेंसधारियों के अन्य व्यवसायों का उपचार) विनियम, 2009 में समय-समय पर संशोधित संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग के विनियमन 2 में परिभाषित अनुसार होगा;
38. **"लाइसेंसधारी"** का अर्थ उस व्यक्ति से होगा जिसे अधिनियम की धारा 14 के अंतर्गत लाइसेंस दिया गया है और इन नियमों के प्रयोजन के लिए इसमें एकीकृत उपयोगिता भी शामिल होगी;
39. **"एमसीएलआर"** का अर्थ निधियां आधारित ऋण दर की एक वर्ष की मामूली लागत से है;
40. **"मध्यावधि समीक्षा"** का अर्थ विनियमन 5.2 (ख) के अनुसार समीक्षा किया जाना है;
41. **"माह"** का अर्थ ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार कैलेंडर माह होगा;

42. **"नई परियोजना"** का अर्थ 1 अप्रैल, 2019 को या उसके बाद वाणिज्यिक प्रचालन के अंतर्गत घोषित एक परियोजना होगी;
43. **"नॉन-टैरिफ आय"** का अर्थ अन्य व्यवसाय से किसी भी आय को छोड़कर, टैरिफ के अलावा लाइसेंस प्राप्त व्यवसाय से संबंधित आय से है, तथा वितरण लाइसेंसधारक के खुदरा आपूर्ति व्यापार के मामले में, क्रॉस-सब्सिडी अधिभार और व्हीलिंग के प्रभारों पर अतिरिक्त अधिभार और प्राप्तियों से प्राप्त आय को छोड़कर है;
44. **"प्रचालन और रखरखाव व्यय"** या **"ओएंडएम व्यय"** का अर्थ किसी उत्पादन कंपनी, ट्रांसमिशन लाइसेंसधारी या वितरण लाइसेंसधारी के संबंध व्यय उत्पादन कंपनी, ट्रांसमिशन लाइसेंसधारी या वितरण लाइसेंसधारी द्वारा प्रचालन और इस प्रणाली के रखरखाव पर व्यय से है, और इसमें जनशक्ति, मरम्मत, स्पेयर, उपभोग्य सामग्रियां, बीमा और उपरि शीर्ष आदि पर व्यय शामिल है;
45. **"मूल परियोजना लागत"** का अर्थ है जनरेटिंग कंपनी द्वारा ट्रांसमिशन लाइसेंसधारक या वितरण लाइसेंसधारक, जैसा भी मामला हो, द्वारा किया गया पूंजीगत व्यय परियोजना के मूल दायरे में आयोग द्वारा स्वीकृत अनुसार कट-ऑफ तारीख होगी;
46. **"अन्य व्यवसाय"** का अर्थ समय-समय पर संशोधित अनुसार गोवा और संघ शासित प्रदेश (ट्रांसमिशन, लाइसेंसधारकों और वितरण लाइसेंसधारियों के अन्य व्यवसायों का उपचार) विनियम, 2009 के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग के विनियमन 2(i) (ड.) में परिभाषित अनुसार होगा;
47. **"विवेकानुसार जांच"** का अर्थ व्यय के निर्धारण के लिए किए गए या प्रस्तावित व्यय की तर्कसंगतता की जांच, वित्तपोषण योजना, कुशल प्रौद्योगिकी का उपयोग, अधिक लागत और समय लगने तथा ऐसे अन्य कारकों के रूप में किया जाएगा, जिन्हें आयोग द्वारा टैरिफ के निर्धारण के लिए उपयुक्त माना गया हो;
48. **"रेटेड वोल्टेज"** का अर्थ निर्माता का डिज़ाइन वोल्टेज होगा, जिस पर ट्रांसमिशन प्रणाली को संचालित करने की रूपरेखा ट्रांसमिशन सिस्टम उपयोगकर्ताओं के परामर्श से इस तरह के कम वोल्टेज, जिस पर लाइन चार्ज की जाती है, बनाई गई है;
49. **"खुदरा आपूर्ति व्यवसाय"** का अर्थ वितरण लाइसेंसधारक द्वारा अपनी लाइसेंस की शर्तों के अनुसार अपने उपभोक्ता को वितरण लाइसेंसधारक द्वारा बिजली की बिक्री का व्यवसाय होगा;
50. **"राज्य"** का अर्थ गोवा राज्य होगा, और इसमें दिल्ली को छोड़कर केंद्र शासित प्रदेश भी शामिल होंगे;
51. **"राज्य ग्रिड कोड"** का अर्थ अधिनियम की धारा 86 की उप-धारा (1) के खंड (ज) के अंतर्गत आयोग द्वारा निर्दिष्ट राज्य ग्रिड कोड होगा;
52. **"राज्य भार प्रेषण केंद्र"** या **"एसएलडीसी"** का अर्थ अधिनियम की धारा 31 की उप-धारा (1) के अंतर्गत स्थापित केंद्र होगा;
53. **"ट्रांसमिशन लाइसेंसधारक"** का अर्थ ट्रांसमिशन लाइनों को स्थापित करने या संचालित करने के लिए अधिकृत लाइसेंसधारी होगा;
54. **"ट्रांसमिशन प्रणाली उपयोगकर्ता"** का अर्थ वितरण लाइसेंसधारक या खुली पहुंच उपयोगकर्ता होगा, जैसा भी मामला हो, जो बिजली के हस्तांतरण के उद्देश्य से अंतर-राज्य ट्रांसमिशन नेटवर्क का उपयोग करता है;
55. **"उपयोगी आय"** को वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से ट्रांसमिशन प्रणाली और वितरण प्रणाली की एक यूनिट के संबंध में इन विनियमों के परिशिष्ट-1 में परिभाषित किया जाएगा;
56. **"कार्य दिवस"** का अर्थ एक दिवस होगा जिस दिन बैंक व्यवसाय के लिए खुले रहते हैं;
57. **"वर्ष" या "वित्तीय वर्ष"** का अर्थ ऐसा वित्तीय वर्ष होगा, जो कैलेंडर वर्ष 1 अप्रैल से शुरू होकर अगले कैलेंडर वर्ष की 31 मार्च को समाप्त होगा।

2.2 इन विनियमों में प्रयुक्त ऐसे शब्द और अभिव्यक्तियां जिन्हें यहां परिभाषित नहीं किया गया है परंतु अधिनियम या ग्रिड कोड अथवा राज्य ग्रिड कोड में परिभाषित किया गया है, का वही अर्थ होगा जो उन्हें क्रमशः अधिनियम, या ग्रिड कोड अथवा राज्य ग्रिड कोड में प्रदान किया गया है और ऐसे प्रयुक्त शब्द और अभिव्यक्तियां जिन्हें यहां विशिष्ट तौर पर परिभाषित नहीं किया गया है, का वही अर्थ होगा जो उन्हें सामान्य तौर पर विद्युत उद्योग में प्रदान किया गया है।

2.3 इन विनियमों की व्याख्या करने में, जब तक कि संदर्भ के लिए अथवा आवश्यक न हो :

- क) एकवचन अथवा बहुवचन अर्थों, जैसा भी मामला हो, में प्रयोग किए गए शब्दों में क्रमशः बहुवचन अथवा एकवचन भाव भी समाहित माना जाएगा;
- ख) “समावेश होना” अथवा “सहित” शब्दों के बाद “बिना किसी सीमा के” अथवा “परंतु, तक सीमित नहीं” शब्दों का भाव समाहित माना जाएगा चाहे इन शब्दों के बाद ये वाक्यांश अथवा इसी तरह के शब्दों का प्रयोग किया गया हो या नहीं;
- ग) यहां “विनियमों” के संदर्भों का अर्थ इन विनियमों का अथवा आयोग द्वारा लागू विधियों के अनुरूप समय-समय पर यथा संशोधित अथवा आशोधित विनियमों का संदर्भ माना जाएगा;
- घ) विनियमों के शीर्षकों को सुविधा के लिए अन्तर्वेशित किया गया है तथा इन विनियमों की व्याख्या के प्रयोजनार्थ उन्हें नीचे दिए गए पाठ के साथ पढ़ा जाना चाहिए;
- ङ) सांविधियों, विनियमों अथवा दिशा-निर्देशों के संदर्भों में संदर्भित समेकित, संशोधित या ऐसी सांविधियों, विनियमों या दिशा-निर्देशों को प्रतिस्थापित करने वाले सभी सांविधिक उपबंधों को शामिल माना जाएगा;
- च) इन विनियमों के किसी खंड और किसी अन्य विनियम या आयोग द्वारा पारित आदेशों के बीच असंगतता होने की स्थिति में इन विनियमों के उपबंध लागू होंगे।

3. विनियमन का कार्यक्षेत्र और अनुप्रयोग की सीमा

3.1 आयोग बहु वर्ष टैरिफ ढांचे के भीतर ही उन सभी मामलों के लिए टैरिफ का निर्धारण करेगा, जिसके लिए आयोग के पास निम्नलिखित मामलों सहित अधिनियम के अंतर्गत क्षेत्राधिकार है:

क) वितरण कंपनी द्वारा किसी जेनरेटिंग कंपनी को बिजली की आपूर्ति :

बशर्ते कि जहां बिजली की आपूर्ति की कमी व्याप्त है, वहां यह किसी जेनरेटिंग कंपनी और वितरण लाइसेंसधारक या वितरण लाइसेंसधारकों के बीच हुए समझौते के अनुसार बिजली की बिक्री या बिजली की खरीद के लिए न्यूनतम और अधिकतम सीमा तय कर सकता है, बिजली का उचित मूल्य सुनिश्चित करने की अवधि एक वर्ष से अधिक नहीं होगी;

ख) बिजली का अंतर-राज्य ट्रांसमिशन;

ग) बिजली की अंतर-राज्य व्हीलिंग;

घ) बिजली की खुदरा आपूर्ति:

बशर्ते कि दो या अधिक वितरण लाइसेंसधारकों द्वारा एक ही क्षेत्र में बिजली वितरण के मामले में, आयोग, वितरण लाइसेंसधारियों के बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए, बिजली की खुदरा बिक्री के लिए टैरिफ की केवल अधिकतम सीमा निर्धारित कर सकता है:

बशर्ते आगे यह कि आयोग ने जहां अधिनियम की धारा 42 की उप-धारा (2) के अंतर्गत कुछ उपभोक्ता को ओपन एक्सेस की अनुमति दी है, वहां ऐसे उपभोक्ताओं को अधिनियम की धारा 62 की उप-धारा (1) के खंड (घ) के प्रावधानों के बावजूद, ऐसी निबंधन एवं शर्तों (टैरिफ सहित) पर बिजली की आपूर्ति या खरीद के लिए किसी भी व्यक्ति के साथ एक समझौता कर सकता है, जैसी कि उनके बीच सहमति हुई हो। इस तरह के ओपन एक्सेस को समय-समय पर संशोधित गोवा और संघ शासित प्रदेश (कनेक्टिविटी और अंतर-राज्य ट्रांसमिशन और वितरण में ओपन एक्सेस) विनियम, 2017 के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग के प्रावधानों द्वारा विनियमित किया जाएगा।

3.2 विनियम 48, विनियम 50 और विनियम 57 में निर्धारित सिद्धांतों के अनुसार, आयोग निम्नलिखित के अनुसार कुल राजस्व आवश्यकता निर्धारित करेगा:

क) वितरण वॉयर व्यापार; तथा

ख) खुदरा आपूर्ति व्यापार।

3.3 वितरण लाइसेंसधारक इन नियमों में निर्दिष्ट विनियम 48 के अनुसार डिस्ट्रीब्यूशन वॉयर व्यवसाय और खुदरा बिक्री व्यवसाय के लिए कुल राजस्व आवश्यकता के निर्धारण हेतु पृथक विवरण वाला एक आवेदन प्रस्तुत करेगा।

3.4 व्हीलिंग शुल्क डिस्ट्रीब्यूशन वॉयर व्यवसाय के लिए निर्धारित सकल राजस्व आवश्यकता पर आधारित होगा।

3.5 बिजली की खुदरा बिक्री के लिए खुदरा आपूर्ति शुल्क, खुदरा आपूर्ति व्यवसाय के लिए निर्धारित कुल राजस्व आवश्यकता पर आधारित होगा।

- 3.6 आयोग समय-समय पर संशोधित गोवा राज्य और संघ शासित प्रदेशों के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (अंतर-राज्य ट्रांसमिशन एवं वितरण में कनेक्टिविटी और ओपन एक्सेस) विनियम, 2017 के अनुसार, अधिनियम की धारा 42 की उप-धारा (2) के पहले प्रावधान के अंतर्गत व्हीलिंग के प्रभारों के अलावा, क्रॉस-सब्सिडी अधिभार भी निर्धारित करेगा।
- 3.7 आयोग समय-समय पर संशोधित गोवा राज्य और संघ शासित प्रदेशों के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (अंतर-राज्य ट्रांसमिशन एवं वितरण में कनेक्टिविटी और ओपन एक्सेस) विनियम 2017 के अनुसार अधिनियम की धारा 42 के उप-धारा (4) के अंतर्गत अतिरिक्त अधिभार भी निर्धारित करेगा।
- 3.8 इन नियमों में निहित किसी बात के होते हुए भी, आयोग टैरिफ को अपनाएगा, यदि ऐसे टैरिफ को अधिनियम की धारा 63 के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार बोली लगाने की पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से निर्धारित किया गया है।

4. प्रचालन के मानदंड अधिकतम सीमा मानदंड होंगे

- 4.1 संदेह दूर करने के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि इन विनियमों के अंतर्गत निर्दिष्ट संचालन के मानदंड अधिकतम सीमा मानदंड हैं और यह ट्रांसमिशन लाइसेंसधारक या वितरण लाइसेंसधारक, जैसा मामला हो, तथा लाभार्थियों को आयोग द्वारा निर्धारित अनुसार प्रचालन के बेहतर मानदंडों को स्वीकार करने से रोक नहीं पाएंगे और ऐसे बेहतर मानदंड टैरिफ के निर्धारण के लिए लागू होंगे।

अध्याय 2: सामान्य सिद्धांत

5. एमवाईटी ढांचे के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत

- 5.1 आयोग 1 अप्रैल, 2019 से बहु वर्ष टैरिफ ढांचे के अंतर्गत, विनियमन 3.1 के खंड (क), (ख), (ग) और (घ) के अंतर्गत कवर किए गए मामलों के लिए टैरिफ निर्धारित करेगा।
- 5.2 जेनरेटिंग कंपनी, ट्रांसमिशन लाइसेंसधारी, डिस्ट्रीब्यूशन वॉयर व्यवसाय और खुदरा आपूर्ति व्यवसाय के लिए टैरिफ और प्रभार से सकल राजस्व आवश्यकता और संभावित राजस्व के निर्धारण के लिए बहुवर्षीय टैरिफ ढांचा और संभावित आय में निम्नलिखित शामिल होंगे:
- क) नियंत्रण अवधि के शुरू होने से पहले अनुमोदन के लिए आयोग को प्रस्तुत अनुसार संपूर्ण नियंत्रण अवधि के लिए लाइसेंसधारी हेतु व्यवसाय योजना;
- ख) एक विस्तृत बहुवर्षीय टैरिफ अनुप्रयोग, जिसमें पूरी नियंत्रण अवधि के लिए सकल राजस्व आवश्यकता का वर्ष-वार पूर्वानुमान तथा आयोग द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट प्रपत्रों में आवेदक द्वारा प्रस्तुत नियंत्रण अवधि के पहले वर्ष के लिए टैरिफ और प्रभारों से संभावित राजस्व का निर्धारण शामिल है:
- वर्षों कि निष्पादन मानकों, जिसका निर्धारित मार्ग आयोग द्वारा अनुमोदित विनियम या व्यापार योजना या बहुवर्षीय टैरिफ आर्डर में निर्दिष्ट किया गया है, पूरी नियंत्रण अवधि के लिए सकल राजस्व आवश्यकता में इन निष्पादन मानकों के निर्धारित मार्ग का आधार होगा:
- वर्षों आगे यह कि सकल राजस्व आवश्यकता की मध्यावधि समीक्षा जेनरेटिंग कंपनी, ट्रांसमिशन लाइसेंसधारी वितरण लाइसेंसधारी द्वारा एक आवेदन के रूप में लिया जाएगा जिसे यूटिलिटी द्वारा नियंत्रण अवधि के तीसरे वर्ष के टैरिफ निर्धारण हेतु आवेदन सहित प्रस्तुत किया जाएगा;
- ग) पूरी नियंत्रण अवधि के लिए आयोग द्वारा वर्ष-वार कुल राजस्व आवश्यकता तथा जेनरेटिंग कंपनी, ट्रांसमिशन लाइसेंसधारक, डिस्ट्रीब्यूटर वॉयर व्यवसाय और खुदरा आपूर्ति व्यवसाय की नियंत्रण अवधि के पहले वर्ष के लिए टैरिफ का निर्धारण;
- घ) निष्पादन की वार्षिक समीक्षा, जो अनुमोदित पूर्वानुमान तथा नियंत्रित और अनियंत्रित तथ्यों के निष्पादन में परिवर्तन के वर्गीकरण के अनुसार की जाएगी;
- ड.) अनुमोदित पूर्वानुमान, वार्षिक निष्पादन समीक्षा, मध्यावधि समीक्षा और वास्तविक अभ्यास के आधार पर नियंत्रण अवधि के भीतर प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए जेनरेटिंग कंपनी, ट्रांसमिशन लाइसेंसधारक, डिस्ट्रीब्यूशन वॉयर व्यवसाय और खुदरा आपूर्ति व्यवसाय के लिए टैरिफ का वार्षिक निर्धारण;
- च) अनुमोदित पूर्वानुमान और आवेदक (नियंत्रक कारकों) के नियंत्रण में कारकों से उत्पन्न निष्पादन में भिन्नता का वर्गीकरण तथा आवेदक (नियंत्रक कारकों) के नियंत्रण से परे कारकों (अनियंत्रित कारकों) की तुलना में लेखा-परीक्षित खातों के आधार पर पिछले वर्ष(षों) के वास्तविक व्यय और राजस्व का निर्धारण;

- छ) इन विनियमों में आयोग द्वारा निर्दिष्ट अनियंत्रित कारकों के कारण अनुमोदित लाभ या हानि से निपटने के लिए प्रणाली;
- ज) इन विनियमों में आयोग द्वारा निर्दिष्ट नियंत्रित कारकों के कारण अनुमोदित लाभ या हानि को साझा करने के लिए प्रणाली।

6. आधार वर्ष के लिए मूल्य

- 6.1 नियंत्रण अवधि के आधार वर्ष के मूल्यों को लेखापरीक्षित खातों या पिछले तीन (3) वर्षों के अस्थायी खातों के आधार पर निर्धारित किया जाएगा, और अन्य कारकों को आयोग द्वारा प्रासंगिक माना जाता है:
- बशर्ते कि लेखा-परीक्षित खातों या पिछले तीन (3) वर्षों के अस्थायी खातों के अभाव में, आयोग आधार वर्ष के मूल्यों को स्थापित करने के लिए अन्य समान उपयोगिताओं के साथ मापदंडों को बेंचमार्क कर सकता है:
- आगे बशर्ते यह कि आयोग लेखा परीक्षित खातों के वास्तविक आंकड़ों को देखते हुए आधार वर्ष के लिए मूल्यों और फलस्वरूप नियंत्रण अवधि के लिए मापदंडों की निर्धारित मार्ग को बदल सकता है।
- 6.2 आयोग विनियमन 5.2(ख) के प्रावधान के अनुसार मध्यावधि समीक्षा के दौरान नियंत्रण अवधि के लिए निष्पादन लक्ष्यों पर पुनर्विचार कर सकता है।

7. खुदरा आपूर्ति का पृथक्करण और डिस्ट्रीब्यूशन वॉयर व्यापार

- 7.1 वितरण लाइसेंसधारी डिस्ट्रीब्यूशन वॉयर व्यापार और खुदरा आपूर्ति व्यापार के खातों को पृथक करेगा। व्हीलिंग शुल्क निर्धारित करने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन वॉयर व्यापार के लिए एआरआर का उपयोग किया जाएगा। खुदरा आपूर्ति व्यापार के लिए एआरआर, जिसमें विनियम 57 के अनुसार डिस्ट्रीब्यूशन वॉयर व्यापार के लिए एआरआर शामिल होगा, का खुदरा आपूर्ति शुल्क निर्धारित करने के लिए उपयोग किया जाएगा।
- 7.2 ऐसी अवधि के लिए, जब तक खातों को पृथक नहीं किया जाता है, लाइसेंसधारक विनियम विनियम 48 में प्रदान किए गए आवंटन विवरण संबंधित व्यवसाय की लागत और राजस्व का विभाजन करने के लिए उपयोग करेंगे।

8. व्यापार योजना

- 8.1 ट्रांसमिशन लाइसेंसधारक और वितरण लाइसेंसधारक आयोग की स्वीकृति के लिए 31 अगस्त, 2018 तक सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत अनुमोदित पूरी नियंत्रण अवधि के लिए एक व्यापार योजना प्रस्तुत करेगा:
- बशर्ते कि जनरेशन कंपनी को नियंत्रण अवधि के लिए कोई व्यवसाय योजना प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी।
- 8.2 वितरण लाइसेंसधारक द्वारा प्रस्तुत व्यवसाय योजना में डिस्ट्रीब्यूशन वॉयर व्यापार और खुदरा आपूर्ति व्यापार के अलग-अलग अनुभाग होंगे।
- 8.3 ट्रांसमिशन लाइसेंसधारक द्वारा प्रस्तुत व्यवसाय योजना में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल होंगे:
- क) ट्रांसमिशन नेटवर्क में लोड को बढ़ाने का अनुमान;
- ख) नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष के लिए **पूंजीगत निवेश योजना** विनियम 8.5 के अनुसार व्यापार योजना में प्रस्तावित लोड वृद्धि, ट्रांसमिशन हानि कम करने के निर्धारित मार्ग और गुणवत्ता सुधार उपायों के अनुरूप होगी;
- ग) प्रस्तावित प्रत्येक योजना की **पूंजी संरचना** और वित्त-पोषण की लागत (ऋण पर ब्याज और इक्विटी पर प्रतिलाभ), मौजूदा ऋण समझौतों की शर्तों आदि;
- घ) ट्रांसमिशन लाइसेंस धारा द्वारा प्रस्तावित पूंजी निवेश योजना के अनुरूप, नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष के लिए संचरण हानि, ट्रांसमिशन प्रणाली की उपलब्धता, ट्रांसफॉर्मर विफलता दर, और किसी भी अन्य मापदंड जैसी **निष्पादन लक्ष्य** मर्दे;
- ड.) प्रस्तावित भर्ती और सेवानिवृत्ति के आधार पर नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष के दौरान **कर्मचारियों की संख्या का अनुमान लगाना**;
- च) नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष के लिए **अन्य व्यवसाय से आय के संबंध में प्रस्ताव**।
- 8.4 वितरण लाइसेंसधारक द्वारा व्यापार योजना फाइल डी शैल एल के साथ-साथ इसमें शामिल हैं:
- क) नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष के लिए **पूंजीगत निवेश योजना** विनियमन 8.5 के अनुसार व्यापार योजना में प्रस्तावित भार वृद्धि, वितरण हानि में कमी प्रक्षेपण और गुणवत्ता सुधार उपायों के अनुरूप है;
- ख) प्रस्तावित प्रत्येक योजना की **पूंजी संरचना** और वित्त पोषण की लागत (ऋण पर ब्याज और इक्विटी पर प्रतिलाभ), मौजूदा ऋण समझौतों की शर्तों आदि;

- ग) विनियमन 8.6 के अनुसार नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष के लिए प्रत्येक उपभोक्ता श्रेणी और उप-श्रेणियों के लिए **बिक्री पूर्वानुमान**;
- घ) बिक्री अनुमान **विद्युत क्रय योजना** के आधार पर विनियम 8.7 के अनुसार नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष के लिए वितरण हानि ट्रेजेक्टरी हेतु लक्ष्य;
- ड.) लाइसेंसधारक द्वारा प्रस्तावित पूंजी निवेश योजना के अनुरूप नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष के लिए वितरण हानि के **लक्ष्य**;
- च) प्रस्तावित भर्ती और सेवानिवृत्ति के आधार पर नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष के दौरान **कर्मचारियों की संख्या का अनुमान**;
- छ) नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष के लिए **अन्य व्यवसाय से आय के संबंध में प्रस्ताव**।

8.5 पूंजीगत निवेश योजना

- क) व्यवसाय योजना के भाग के रूप में प्रस्तुत की जाने वाली पूंजीगत निवेश योजना में नियंत्रण अवधि के दौरान नियोजित नई परियोजनाएं, निवेश के उद्देश्य, पूंजीगत ढांचा, कार्यान्वयन अनुसूची, तिमाही-वार पूंजीगत व्यय और पूंजीकरण अनुसूची, वित्तपोषण योजना, लागत-लाभ विश्लेषण, प्रस्तावित निवेश के कारण नियंत्रण अवधि में परिचालन दक्षता में सुधार और चल रही परियोजनाओं के लिए ऐसा विवरण शामिल होगा जो औचित्य सहित समीक्षा के अंतर्गत नियंत्रण अवधि तक जाएगा;
- ख) ट्रांसमिशन लाइसेंसधारक द्वारा प्रस्तावित पूंजीगत निवेश योजना प्राधिकारी / केंद्रीय ट्रांसमिशन यूटिलिटी द्वारा बनाई गई योजनाओं और वितरण लाइसेंसधारक की पूंजी निवेश योजना के अनुरूप होगा;
- ग) वार्षिक निष्पादन समीक्षा के दौरान, आयोग अनुमोदित पूंजीगत व्यय की तुलना में लाइसेंसधारी द्वारा किए गए वास्तविक पूंजीगत व्यय की प्रगति की निगरानी करेगा। लाइसेंसधारक वार्षिक निष्पादन की समीक्षा, वास्तविक और टैरिफ निर्धारण फाइलिंग सहित वास्तविक पूंजीगत व्यय प्रस्तुत करेगा;
- घ) यदि, वार्षिक निष्पादन समीक्षा के दौरान, संचयी (वर्तमान वर्ष तक नियंत्रण अवधि के पहले वर्ष से शुरू) वास्तविक पूंजीगत व्यय संचयी अनुमोदित पूंजीगत व्यय के 50 % से कम है, तो आयोग वर्तमान वर्ष में वास्तविक पूंजी व्यय से संबंधित एंशर और घटक और नियंत्रण अवधि के शेष वर्ष में सुधार करेगा;
- ड.) यदि आपातकालीन कार्य के लिए पूंजीगत व्यय की आवश्यकता होती है जिसे पूंजीगत निवेश योजना में अनुमोदित नहीं किया गया है, तो लाइसेंसधारक आयोग की मंजूरी प्राप्त करने के लिए प्रस्तावित कार्य की आपातकालीन प्रकृति का औचित्य ठहराने के कारण देते हुए सभी संगत सूचना वाला एक आवेदन प्रस्तुत करेगा:
- वर्शते कि यदि आपातकालीन कार्य के लिए पूंजीगत व्यय की आवश्यकता होती है या जीवन और संपत्ति के खतरे को कम करने की स्थिति उत्पन्न होती है और यदि आयोग से इसकी पूर्व अनुमति लेने से किसी भी अपरिवर्तनीय हानि हो सकती हो या चोट लग सकती हो, तो लाइसेंसधारक पूंजीगत व्यय कर सकता है और आयोग की वास्तविक स्वीकृति के लिए पर्याप्त औचित्य देते हुए ब्यौरा प्रस्तुत कर सकता है:
- वर्शते आगे यह कि उपरोक्त विनियम 8.5 (ड.) के प्रयोजन के लिए, ऐसे अनुमोदित पूंजी व्यय को लाइसेंसधारक द्वारा किए गए वास्तविक पूंजीगत व्यय और आयोग द्वारा अनुमोदित पूंजी व्यय दोनों के भाग के रूप में माना जाएगा;
- च) लाइसेंसधारक आयोग द्वारा समीक्षा के लिए संबंधित तिमाही के बाद वाले महीने के अंतिम दिन या उससे पहले पूंजीगत निवेश योजना में प्रस्तावित पूंजीगत व्यय और पूंजीकरण की प्रगति के बारे में प्रत्येक तिमाही से संबंधित एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

8.6 बिक्री पूर्वानुमान

- क) वितरण लाइसेंसधारक आयोग की समीक्षा और अनुमोदन के लिए, अपनी व्यापार योजना फाइलिंग में नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष के लिए, विभिन्न वोल्टेज स्तरों पर, प्रत्येक उपभोक्ता श्रेणी और उप-श्रेणियों के लिए बिक्री का पूर्वानुमान बताएगा;
- ख) पूर्वानुमान पिछले वर्षों में बिजली की वास्तविक मांग पर आधारित होगा, जिसमें आने वाले वर्षों में मांग में प्रत्याशित वृद्धि, उपभोक्ताओं की संख्या में संभावित वृद्धि, लक्ष्य वितरण हानि और अन्य संगत कारक शामिल होंगे;
- ग) लाइसेंसधारक व्यापारियों या अन्य लाइसेंसधारकों तथा ओपन एक्सेस उपभोक्ताओं को श्रेणी-वार बिजली की बिक्री अलग से दर्शाएगा।

8.7 विद्युत खरीद योजना

क) वितरण लाइसेंसधारक अपनी आपूर्ति के क्षेत्र में बिजली की मांग को पूरा करने के लिए बिजली की खरीद के लिए एक योजना तैयार करेगा और व्यापार योजना के एक भाग के रूप में अनुमोदित हेतु आयोग को यह योजना मंजूरी के लिए प्रस्तुत करेगा:

बशर्ते कि ऐसी बिजली खरीद योजना में इन विनियमों के अनुसार, बिजली खरीद के दीर्घावधि, मध्यम अवधि और अल्पकालिक स्रोत शामिल हो सकते हैं;

ख) वितरण लाइसेंसधारक की बिजली खरीद योजना में निम्नलिखित शामिल होंगे:

- (i) आपूर्ति के क्षेत्र में बिजली के लिए अप्रतिबंधित बेस लोड और शीर्ष लोड का मात्रात्मक पूर्वानुमान;
- (ii) बिजली की खरीद के पहचाने गए स्रोतों से विद्युत आपूर्ति की मात्रा का अनुमान, जिसमें निजी उत्पादन, यदि कोई हो, शामिल है;
- (iii) ऊर्जा संरक्षण, ऊर्जा दक्षता, और मांग पक्ष प्रबंधन के लिए प्रस्तावित उपाय;
- (iv) बेस लोड और पीक लोड आवश्यकता को पूरा करने के लिए बिजली की उपलब्धता का अनुमान:
बशर्ते कि मांग और आपूर्ति का ऐसा अनुमान मेगावाट (एमडब्ल्यू) तथा मिलियन यूनिट्स (एमयू) में व्यक्त मासिक-वार आधार पर होगा;
- (v) आयोग के प्रासंगिक विनियमों के अनुसार आपूर्ति की गुणवत्ता और विश्वसनीयता के संबंध में मानकों को बनाए रखना;
- (vi) उपर्युक्त (i) से (v) के आधार पर, बिजली उत्पादन के नए स्रोतों की आवश्यकता, जिसमें निजी उत्पादन क्षमता, यदि कोई हो, और आपूर्ति के नए स्रोतों की पहचान शामिल है;
- (vii) ऐसी खरीद के लिए बिजली, मात्रा और लागत अनुमान के स्रोत :

बशर्ते कि नियंत्रण अवधि के लिए पूर्वानुमान या अनुमान नियंत्रण अवधि के अनुसार प्रत्येक माह के लिए तैयार किए जाएंगे:

बशर्ते आगे यह कि दीर्घावधि खरीद योजना आपूर्ति के विभिन्न स्रोतों की लागत के संबंध में उपलब्ध सूचना पर आधारित लागत प्रभावी योजना होगी;

ग) पूर्वानुमान या अनुमान पिछले डेटा, बिक्री पूर्वानुमान, हानि में कमी की पहल के प्रभाव, स्टेशन प्लांट लोड कारकों और अन्य प्रासंगिक कारकों पर आधारित पूर्वानुमान तकनीक का उपयोग करके तैयार किया जाएगा;

घ) जहां आयोग ने सौर ऊर्जा सहित ऊर्जा के सह-उत्पादन या अक्षय स्रोतों से खरीदे जाने वाले वितरण लाइसेंसधारक के क्षेत्र में बिजली की कुल खपत का प्रतिशत निर्दिष्ट किया है, वहां बिजली खरीद योजना में ऐसे स्रोतों से निर्दिष्ट स्तर तक खरीद की योजना शामिल होगी;

ड.) वितरण लाइसेंसधारक, वितरण ट्रांसमिशन प्रणाली योजना की ऐसी योजना की संगतता सुनिश्चित करने के लिए, विद्युत खरीद योजना की तैयारी के समय राज्य ट्रांसमिशन यूटिलिटी से भी परामर्श करेगा;

च) वितरण लाइसेंसधारक, अतिरिक्त सूचना के परिणामस्वरूप, जो पहले ज्ञात नहीं थी या विनियम के अंतर्गत खरीद योजना प्रस्तुत करते समय मध्यावधि समीक्षा के लिए अपनी याचिका के भाग के रूप में शेष नियंत्रण अवधि के लिए बिजली खरीद योजना में संशोधन के लिए आवेदन कर सकता है;

छ) आयोग, खरीद की योजना के अनुमोदन के समय पहले अज्ञात या आयोग के लिए उपलब्ध अतिरिक्त जानकारी के परिणामस्वरूप, यदि उपयुक्त समझता है, तो स्वतः संज्ञान लेते हुए या वितरण लाइसेंसधारक द्वारा दायर याचिका पर, मध्यावधि समीक्षा के भाग के रूप में शेष नियंत्रण अवधि के लिए वितरण लाइसेंसधारक की खरीद योजना में संशोधित कर सकता है।

9. बहु वर्षीय टैरिफ आवेदन

9.1 आवेदक नियंत्रण अवधि के पहले वर्ष के लिए नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष के लिए सकल राजस्व आवश्यकता का पूर्वानुमान और टैरिफ प्रस्ताव को इन विनियमों में दिए गए अनुसार और समय-समय पर आयोग द्वारा निर्दिष्ट प्रारूपों में प्रस्तुत करेगा। इस आवेदन के साथ 30 नवंबर, 2018 तक समय-समय पर संशोधित अनुसार संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (व्यापार आचरण) विनियम, 2009 में आयोग द्वारा निर्दिष्ट किए गए इस तरह के शुल्क के साथ भुगतान किया जाएगा:

- बशर्ते कि आवेदन के साथ टू-अप याचिका प्रस्तुत की जाएगी जो उपलब्ध नवीनतम लेखा-परीक्षित खातों और पहले छह महीनों के दौरान वास्तविक निष्पादन और बाद के छह महीने के अनुमान हेतु वार्षिक निष्पादन समीक्षा वर्ष पर आधारित होगा।
- 9.2 आवेदक व्यक्तिगत परिवर्तनशील व्यवहार से संबंधित अनुमानों का उपयोग करके कुल राजस्व आवश्यकता का पूर्वानुमान विकसित करेगा जिसमें नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष के दौरान कुल राजस्व आवश्यकता शामिल है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ विस्तृत श्रेणीवार बिक्री और मांग अनुमान, बिजली खरीद योजना, पूंजीगत निवेश योजना, इन विनियमों और व्यापार योजना में निर्दिष्ट मापदंडों के निर्धारित मार्ग शामिल हैं जिसे आयोग द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट किया जा सकता है।
- 9.3 आवेदक निम्नलिखित के आधार पर टैरिफ और शुल्क से अपेक्षित राजस्व का पूर्वानुमान विकसित करेगा :
- क) जनरेटिंग कंपनी के मामले में, नियंत्रण अवधि के भीतर आने वाले वित्तीय वर्ष के लिए प्रत्येक यूनिट / स्टेशन द्वारा उत्पन्न होने वाली बिजली की मात्रा का अनुमान;
- ख) ट्रांसमिशन लाइसेंसधारी के मामले में, नियंत्रण अवधि के भीतर वित्तीय वर्ष सुनिश्चित करने के लिए ट्रांसमिशन प्रणाली उपयोगकर्ता को आवंटित ट्रांसमिशन क्षमता का अनुमान;
- ग) वितरण लाइसेंसधारक के मामले में, उपभोक्ताओं को आपूर्ति की जाने वाली बिजली की मात्रा का अनुमान और नियंत्रण अवधि के भीतर आने वाले वित्तीय वर्ष के लिए वितरण प्रणाली उपयोगकर्ताओं की तरफ से वहील किया जाना;
- घ) आवेदन करने की तारीख को प्रचलित टैरिफ।
- 9.4 नियंत्रण अवधि के पहले वर्ष और टैरिफ और शुल्क से अपेक्षित राजस्व के लिए कुल राजस्व आवश्यकता के पूर्वानुमान के आधार पर, डिस्ट्रीब्यूशन वॉयर व्यवसाय और खुदरा आपूर्ति व्यवसाय के लिए जेनरेटिंग कंपनी, ट्रांसमिशन लाइसेंसधारक और लाइसेंसधारक नियंत्रण अवधि के पहले वर्ष के लिए टैरिफ का प्रस्ताव करेंगे:
- बशर्ते कि वितरण लाइसेंसधारी द्वारा प्रस्तावित टैरिफ विनियम 62 और इन विनियमों अनुसार होगा।
- 9.5 आवेदक पूर्वानुमान के समर्थन में पूर्ण विवरण प्रदान करेगा, जिसमें केवल पिछला निष्पादन का ब्यौरा ही शामिल नहीं होगा बल्कि दक्षता या उत्पादकता लाभ, तकनीकी अध्ययन, संविदात्मक व्यवस्था और / या माध्यमिक शोध प्राप्त करने के लिए प्रस्तावित पहल शामिल होगी, ताकि आयोग पूर्वानुमान की तर्कसंगतता का आकलन करने में सक्षम बन सके।
- 9.6 आवेदन प्राप्त होने पर आयोग या तो:
- क) पूरी नियंत्रण अवधि के लिए कुल राजस्व आवश्यकता और नियंत्रण अवधि के पहले वर्ष के लिए टैरिफ को मंजूरी देने का आदेश जारी करेगा; अथवा
- ख) जैसा आयोग उचित समझेगा, कारणों को लिखित रूप में दर्ज करते हुए आवेदन को खारिज करेगा:
- बशर्ते कि आवेदक को उसका आवेदन रद्द करने से पहले सुनवाई का उचित अवसर दिया जाएगा।

10. विशिष्ट परिवर्तनशील निर्धारित मार्ग

- 10.1 आयोग व्यापार योजना और / या बहुवर्षीय टैरिफ याचिका का अनुमोदन करते हुए कुछ परिवर्तन करने के लिए कोई निर्धारित मार्ग तय कर सकता है, जो केवल सहायक की खपत, स्टेशन ताप दर, ओ एंड एम व्यय आदि तक ही सीमित नहीं होगा:
- बशर्ते कि यूटिलिटीज बहु वर्षीय टैरिफ याचिका पर ऑर्डर में उल्लिखित मानदंडों का पालन करेंगे:
- बशर्ते आगे यह कि जेनरेटिंग कंपनी या ट्रांसमिशन लाइसेंसधारी या वितरण लाइसेंसधारक, जैसा मामला हो, शेष राशि अवधि के लिए कुल राजस्व आवश्यकता की मध्यावधि समीक्षा के समय समीक्षा करा सकेंगे।

11. नियंत्रण अवधि के दौरान वार्षिक निष्पादन समीक्षा, समायोजन और टैरिफ निर्धारण

- 11.1 जेनरेटिंग कंपनी, ट्रांसमिशन लाइसेंसधारी और वितरण लाइसेंसधारी वार्षिक निष्पादन की समीक्षा करने और इन विनियमों के अनुसार नियंत्रण अवधि के दौरान व्यय और राजस्व का समायोजन करने के अधीन होंगे।
- 11.2 जेनरेटिंग कंपनी, ट्रांसमिशन लाइसेंसधारक और वितरण लाइसेंसधारक वर्तमान वर्ष की वार्षिक निष्पादन समीक्षा, पिछले वर्ष या उस वर्ष की अवधि के लिए आवेदन करेंगे, जिसके लिए लेखा-परीक्षित खाते उपलब्ध हैं और आगामी वर्ष के लिए टैरिफ का निर्धारण आयोग द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट प्रारूपों में प्रत्येक वर्ष 30 नवंबर को या उससे पहले करेंगे:

वशर्ते कि जेनरेटिंग कंपनी, ट्रांसमिशन लाइसेंसधारी या वितरण लाइसेंसधारी, जैसा भी मामला हो, सूचना को ऐसे प्रपत्र में प्रस्तुत करेंगे जैसा कि आयोग द्वारा निर्दिष्ट किया गया है, जिसके साथ-साथ, लेखा-परीक्षित खातों, बही खातों के उद्धरण तथा ऐसा अन्य ब्यौरा, जो आयोग को टैरिफ और प्रभारों से कुल राजस्व आवश्यकता के अनुमोदित पूर्वानुमान से वित्तीय निष्पादन में किसी भी बदलाव के कारणों और सीमा का आकलन के लिए आवश्यक हो सकता है।

- 11.3 वार्षिक निष्पादन समीक्षा, समायोजन और टैरिफ निर्धारण का कार्यक्षेत्र जेनरेटिंग कंपनी, ट्रांसमिशन लाइसेंसधारक या वितरण लाइसेंसधारक के निष्पादन की तुलना होगा जिसके साथ कुल राजस्व आवश्यकता और टैरिफ और शुल्क से अपेक्षित राजस्व का अनुमोदित पूर्वानुमान संलग्न होगा और इसमें निम्नलिखित शामिल होगा:

- क) **डू-अप:** वित्तीय वर्ष के लिए आवेदक के लेखा-परीक्षित निष्पादन की तुलना, जिसके लिए समायोजन ऐसे पिछले वित्तीय वर्ष के लिए अनुमोदित पूर्वानुमान से किया जा रहा है, विवेकानुसार जांच के अधीन होगी;
- ख) **वार्षिक निष्पादन की समीक्षा:** वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए आवेदक के संशोधित निष्पादन लक्ष्यों की वर्तमान वित्तीय वर्ष की नियंत्रण अवधि के अनुरूप टैरिफ आदेश में अनुमोदित पूर्वानुमान के साथ तुलना जो विवेकानुसार जांच के अधीन होगी;
- ग) वर्ष के लिए कुल राजस्व आवश्यकता के संशोधित पूर्वानुमान के आधार पर नियंत्रण अवधि के आगामी वर्ष के लिए **टैरिफ निर्धारण**;
- घ) आयोग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुपालन की समीक्षा;
- ड.) अन्य प्रासंगिक विवरण, यदि कोई हो।

- 11.4 प्रक्रिया के पूरा होने पर, आयोग आवेदक (नियंत्रित कारकों) के नियंत्रण में या आवेदक (अनियंत्रित कारकों) के नियंत्रण से परे कारकों के लिए, नीचे विनियम 12 के अंतर्गत निर्दिष्ट परिवर्तन के निष्पादन में किसी भिन्नता या अपेक्षित अंतर को महत्व देगा:

वशर्ते कि निष्पादन में कोई भिन्नता या अपेक्षित विविधता, नीचे विनियम 12 के अंतर्गत निर्दिष्ट कारकों से पृथक, किसी कारक के लिए पूरी तरह से नियंत्रित कारकों पर आधारित होगी।

- 11.5 प्रक्रिया के पूरा होने पर, आयोग एक आदेश जारी करेगा जिसमें यह दर्ज होगा कि:

- क) अनियंत्रित कारकों से संबंधित अनुमोदित लागत के घटक, जिनकी पिछले वर्ष के दौरान वसूली नहीं हुई थी, को इन नियमों के विनियम 13 के अनुसार टैरिफ के जरिए पारित किया जाएगा:

वशर्ते कि, किसी जेनरेटिंग कंपनी के लिए, उपर्युक्त प्रक्रिया मौजूदा सीईआरसी टैरिफ विनियम के अनुसार होगी।

- ख) ट्रांसमिशन लाइसेंसधारी या वितरण लाइसेंसधारी के लिए नियंत्रित कारकों के कारण अनुमोदित कुल लाभ या हानि, और ऐसे लाभ या ऐसी हानि की मात्रा को इन विनियमों के विनियम 14 के अनुसार शेयर किया जा सकता है:

वशर्ते कि, जेनरेटिंग कंपनी के लिए, उपर्युक्त प्रक्रिया संगत सीईआरसी टैरिफ विनियमन के अनुसार होगी।

- ग) किसी जेनरेटिंग कंपनी, ट्रांसमिशन लाइसेंसधारी या वितरण लाइसेंसधारी को राजस्व अंतर की राशि की अवधि अर्थात् वर्ष के अंत, जिसके लिए समायोजन किया गया है, से लेकर वर्ष के अंत तक वह तारीख, जिससे अंतर देय हो गया है, के लिए रखरखाव लागत की अनुमति दी जाएगी, जिसमें लाइसेंसधारक द्वारा लिए गए ऋण की वास्तविक दर के आधार पर राजस्व में घाटे के वित्त-पोषण के लिए उसका समाधान किया गया है:

वशर्ते कि राजस्व अंतर की राशि पर रखरखाव लागत की अनुमति, उस वर्ष से पहले के वर्षों में ले जाने वाली लागत के लिए विवेकानुसार जांच और दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने के अधीन होगी, जिसमें राजस्व अंतर का समाधान किया गया है:

वशर्ते कि यदि राजस्व घाटे का वित्त-पोषण करने के लिए कोई ऋण नहीं लिया गया है, तो आयोग एक (1) वर्ष के लिए भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) एमसीएलआर / उसके किसी प्रतिस्थापन के रूप में आरबीआई द्वारा अधिसूचित अनुसार किसी भी प्रतिस्थापन पर सामान्य ब्याज के आधार पर रखरखाव लागत की अनुमति देगा, जो 1 वर्ष की अवधि के लिए संबंधित वर्ष की 1 अप्रैल को 100 आधार अंक के रूप में लागू होगी;

वशर्ते आगे यह कि राजस्व अधिशेष के मामले में, आयोग लाइसेंसधारक से उस तारीख से रखरखाव लागत का शुल्क लेगा जिस तारीख से ऐसा अधिशेष देय बन गया है, अर्थात् वर्ष के अंत, जिसके लिए डू-अप किया गया है, से लेकर उस वर्ष के अंत तक जिसमें इसका साधारण ब्याज के आधार पर समाधान किया गया है, एक (1) वर्ष के लिए भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) एमसीएलआर / उसके किसी प्रतिस्थापन के रूप में आरबीआई द्वारा अधिसूचित अनुसार सामान्य ब्याज के

आधार पर रखरखाव लागत की अनुमति देगा, जो वर्तमान में 1 वर्ष की अवधि के लिए संबंधित वर्ष के 1 अप्रैल को 100 आधार अंक के रूप में लागू होगी;

घ) आगामी वित्तीय वर्ष के लिए अनुमान और टैरिफ में संशोधन।

12. नियंत्रित और अनियंत्रित कारक

12.1 इन विनियमों के प्रयोजन के लिए, ट्रांसमिशन या वितरण लाइसेंसधारक के लिए "अनियंत्रित कारक" शब्द में निम्नलिखित कारक शामिल होंगे, जो लाइसेंसधारक के नियंत्रण से परे थे, और लाइसेंसधारक द्वारा कम नहीं किया जा सका:

- क) अप्रत्याशित घटनाएं;
- ख) कानून, न्यायिक घोषणाओं और केंद्र सरकार, राज्य सरकार या आयोग के आदेश में परिवर्तन;
- ग) संख्या में परिवर्तन या मिश्रित उपभोक्ता या उपभोक्ताओं को आपूर्ति की गई बिजली की मात्रा;
- घ) ट्रांसमिशन हानि;
- ड.) अनुमोदित स्रोतों से बिजली खरीद की दर में भिन्नता के कारण बिजली खरीद की लागत में भिन्नता, जो बिजली खरीद समझौते या आयोग द्वारा अनुमोदित व्यवस्था की शर्तों के अधीन होगी;
- च) ईंधन लागत में परिवर्तन;
- छ) बिजली खरीद मिश्रण में परिवर्तन;
- ज) मुद्रास्फीति;
- झ) वितरण लाइसेंसधारक के लिए ट्रांसमिशन शुल्क;
- ञ) दीर्घावधि ऋण के लिए बाजार ब्याज दरों में परिवर्तन;
- ट) वेतन आयोग की आवश्यकताओं के कारण एक बारगी भुगतान तक सीमित कर्मचारी व्यय और कर्मचारियों की आवधिक देयता;
- ठ) कर और सांविधिक शुल्क;
- ड) आय पर कर;
- ण) अशोध्य ऋणों की आय को बट्टे खाते में डालना:

बशर्ते कि जहां आवेदक का मानना है कि ऊपर निर्दिष्ट नहीं किए गए किसी भी परिवर्तन में, अनियंत्रित कारकों के कारण किसी भी वित्तीय वर्ष के निष्पादन में सामग्री परिवर्तन या संभावित भिन्नता है, तो ऐसा आवेदक आयोग को इस विनियमन के अंतर्गत ऐसे वित्तीय वर्ष के लिए आयोग के विवेक पर ऐसे परिवर्तन को शामिल करने के लिए आवेदन कर सकता है:

बशर्ते आगे यह कि जेनरेटिंग कंपनी के लिए अनियंत्रित कारक प्रचलित सीईआरसी टैरिफ विनियमों में निर्दिष्ट अनुसार होंगे।

12.2 इन विनियमों के प्रयोजन के लिए, ट्रांसमिशन या वितरण लाइसेंसधारक के लिए "नियंत्रित कारक" शब्द में लाइसेंसधारक के ऐसे कारक शामिल होंगे, जो उसके वे नियंत्रण में थे, और इनमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल होंगे:

- क) पूंजीगत व्यय परियोजना के कार्यान्वयन में अधिक समय और / या लागत लगने / क्षमता के कारण पूंजीकरण में परिवर्तन, जो ऐसी परियोजना के दायरे में अनुमोदित परिवर्तन के लिए जिम्मेदार नहीं है, वैधानिक शुल्क में परिवर्तन या अप्रत्याशित घटनाओं में परिवर्तन;
- ख) ब्याज और वित्त प्रभारों में भिन्नता, इक्विटी पर प्रतिलाभ, और पूंजीकरण में भिन्नता के कारण मूल्यहास, जैसा उपर्युक्त खंड (क) में निर्दिष्ट है;
- ग) वितरण लाइसेंसधारक के तकनीकी और वाणिज्यिक हानि में परिवर्तन;
- घ) ट्रांसमिशन प्रणाली की उपलब्धता;
- ड.) निष्पादन मानकों में परिवर्तन;
- च) गोवा और संघ शासित प्रदेश (वितरण लाइसेंसधारकों के लिए निष्पादन मानक) विनियमन, 2015 के लिए समय-समय पर संशोधित संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग में निर्दिष्ट मानकों को पूरा करने में विफलता;
- छ) श्रम उत्पादकता में परिवर्तन;

- ज) मुद्रास्फीति को छोड़कर, ओएंडएम व्यय में भिन्नता;
- ज) नियम 62 के प्रावधानों के अनुसार, अशोध्य ऋण को बट्टे खाते में डालना:
- बशर्ते आगे यह कि जेनरेटिंग कंपनी के लिए नियंत्रित कारक प्रचलित सीईआरसी टैरिफ विनियमों में निर्दिष्ट होंगे।

13. अनियंत्रित कारकों के कारण लाभ या हानि को साझा करने की प्रणाली

- 13.1 अनियंत्रित कारकों के कारण ट्रांसमिशन लाइसेंसधारक या वितरण लाइसेंसधारक को अनुमोदित कुल लाभ या हानि को ट्रांसमिशन लाइसेंसधारक या वितरण लाइसेंसधारक के टैरिफ में समायोजन के रूप में साझा किया जाएगा, जैसा कि इन विनियमों के अंतर्गत पारित आयोग के आदेश में निर्दिष्ट किया गया हो:
- बशर्ते कि जेनरेटिंग कंपनी के लिए अनियंत्रित कारकों के कारण लाभ या हानि को साझा करने की प्रणाली प्रचलित सीईआरसी टैरिफ विनियमों में निर्दिष्ट अनुसार होगी।
- 13.2 ट्रांसमिशन लाइसेंसधारी या वितरण लाइसेंसधारी किए गए खर्च और अर्जित राजस्व और आयोग द्वारा अनुमोदित आंकड़ों के बीच भिन्नता के ऐसे विवरण को आयोग द्वारा निर्दिष्ट प्रारूप में प्रस्तुत करेगा, जिसके साथ आयोग द्वारा सत्यापन के लिए अपेक्षित विस्तृत संगणना और सहायक दस्तावेज संलग्न किए जाएंगे।

14. नियंत्रित कारकों के कारण लाभ या हानि साझा करने की प्रणाली

- 14.1 नियंत्रित कारकों के कारण ट्रांसमिशन लाइसेंसधारक या वितरण लाइसेंसधारक को स्वीकृत कुल लाभ को लाइसेंसधारक और उपभोक्ताओं के बीच समान रूप से साझा किया जाएगा:
- बशर्ते कि जेनरेटिंग कंपनी के लिए नियंत्रित कारकों के कारण लाभ या हानि को साझा करने की प्रणाली प्रचलित सीईआरसी टैरिफ विनियमों में निर्दिष्ट अनुसार होगी।
- 14.2 यदि नियंत्रित कारकों के कारण ट्रांसमिशन लाइसेंसधारक या वितरण लाइसेंसधारक को अनुमोदित कुल हानि, यदि कोई हो, लाइसेंसधारक के कारण होती है, तो उसे उपभोक्ताओं को साझा नहीं किया जाएगा।

15. टैरिफ का निर्धारण

- 15.1 टैरिफ के निर्धारण के लिए आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली कार्यवाही समय-समय पर संशोधित संयुक्त विद्युत नियामक आयोग (व्यवसाय का आचरण) विनियम, 2009 के अनुसार होगी।
- 15.2 इन नियमों में कुछ भी निहित होते हुए, आयोग को हर समय या तो स्वतः संज्ञान लेते हुए या जेनरेटिंग कंपनी, ट्रांसमिशन लाइसेंसधारी या वितरण लाइसेंसधारी द्वारा दायर किसी याचिका पर यह अधिकार होगा कि वह टैरिफ निर्धारित करें, जिसमें उसकी निबंधन एवं शर्तें शामिल होंगी:
- बशर्ते कि टैरिफ का ऐसा निर्धारण किसी समझौते या व्यवस्था के अनुसार हो सकता है या अन्यथा आयोग द्वारा पहले अनुमोदित किया गया हो अथवा नहीं और इन नियमों की प्रयोज्यता से पहले या बाद में किसी भी समय किया गया हो।
- 15.3 इन नियमों में निहित कुछ भी होने के बावजूद, आयोग टैरिफ अपनाएगा, यदि इस तरह के टैरिफ को केंद्र सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार बोली लगाने की पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से निर्धारित किया गया है:
- बशर्ते कि आवेदक इस तरह की जानकारी जो आयोग को स्वयं को संतुष्ट करने के लिए अपेक्षित हो, उपलब्ध कराएगा कि क्या इस संबंध में केंद्र सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का विधिवत पालन किया गया है।
- 15.4 मौजूदा जनरेशन स्टेशन के लिए टैरिफ का निर्धारण:
- क) जहां आयोग ने इन विनियमों के प्रभावी होने की तारीख से पहले किसी भी समय, जनरेटिंग कंपनी और वितरण लाइसेंसधारक के बीच बिजली खरीद समझौते या व्यवस्था को मंजूरी दे दी है या मौजूदा जेनरेटिंग यूनिट / स्टेशन से बिजली की आपूर्ति के लिए उसमें निहित टैरिफ अपनाया है, वहां वितरण लाइसेंसधारक को जेनरेटिंग कंपनी द्वारा बिजली की आपूर्ति के लिए टैरिफ ऐसे बिजली खरीद समझौते या इस अवधि के लिए व्यवस्था के अनुसार होगा जैसा कि आयोग द्वारा स्वीकृत या अपनाया गया हो;
- ख) जहां, इन विनियमों की प्रभावशीलता की तारीख के अनुसार, किसी जेनरेटिंग कंपनी के बीच बिजली खरीद समझौता या व्यवस्था और मौजूदा जेनरेटिंग स्टेशन से बिजली की आपूर्ति के लिए वितरण लाइसेंसधारक को आयोग द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया है या उसमें निहित टैरिफ आयोग द्वारा नहीं अपनाया गया है या जहां कोई बिजली खरीद समझौता या व्यवस्था नहीं है, वहां इन विनियमों की प्रभावशीलता की तारीख के बाद ऐसे वितरण लाइसेंसधारक को ऐसी जेनरेटिंग कंपनी द्वारा बिजली की आपूर्ति आयोग द्वारा अनुमोदित बिजली खरीद समझौते के अनुसार की जाएगी:

बशर्ते कि इस तरह के बिजली खरीद समझौते या व्यवस्था की मंजूरी के लिए आवेदन इन विनियमों की अधिसूचना की तारीख से तीन (3) महीने की अवधि के भीतर आयोग को वितरण लाइसेंसधारक द्वारा किया जाएगा:

बशर्ते आगे यह कि वर्तमान समझौता या व्यवस्था, जैसा कि मामला हो, के अंतर्गत बिजली की आपूर्ति जारी रखने की अनुमति दी जा सके, जब तक आयोग इस तरह के बिजली खरीद समझौते को मंजूरी दे देता है और यदि आयोग अस्वीकार कर देता है, तो इसे तत्काल बंद कर दिया जाएगा जिसके कारणों को ऐसे बिजली खरीद समझौते या व्यवस्था को लिखित में दर्ज किया जाएगा।

15.5 नए जेनरेटिंग स्टेशन के लिए टैरिफ का निर्धारण:

क) नई उत्पादन यूनिट / स्टेशन से वितरण लाइसेंसधारक को जेनरेटिंग कंपनी द्वारा बिजली की आपूर्ति के लिए टैरिफ आयोग द्वारा अनुमोदित क्रय करार टैरिफ समझौते के अनुसार होगा।

15.6 ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन वॉयर व्यापार और खुदरा आपूर्ति व्यापार के लिए टैरिफ का निर्धारण:

क) आयोग, विनियम 16 के अनुसार ट्रांसमिशन या वितरण लाइसेंसधारकों द्वारा किए गए आवेदन के आधार पर टैरिफ निर्धारित करेगा:

- (i) इन विनियमों के अध्याय 5 में निहित निबंधन एवं शर्तों के अनुसार बिजली का ट्रांसमिशन;
- (ii) इन विनियमों के अध्याय 6 में निहित निबंधन एवं शर्तों के अनुसार डिस्ट्रीब्यूशन वॉयर व्यापार; तथा
- (iii) इन विनियमों के अध्याय 7 में निहित निबंधन एवं शर्तों के अनुसार खुदरा आपूर्ति व्यापार।

16. फाइलिंग प्रक्रिया

16.1 आवेदक आयोग को अपनी याचिका के भाग के रूप में, समय-समय पर आयोग द्वारा निर्दिष्ट प्रारूपों में, कुल राजस्व आवश्यकता की अपनी गणना और टैरिफ और प्रभारों से अपेक्षित राजस्व की पूर्ण जानकारी प्रदान करेगा, और उसके बाद इस तरह की गणना का आकलन करने के लिए आयोग को ऐसी और अधिक जानकारी या विवरण या दस्तावेज प्रस्तुत करेगा:

बशर्ते कि याचिका के साथ, जहां प्रासंगिक होगा, नियंत्रण अवधि के संबंधित वर्ष के लिए सकल राजस्व आवश्यकता की वसूली हेतु श्रेणी-वार टैरिफ दर्शाने वाला प्रस्ताव संलग्न होगा:

बशर्ते आगे यह कि आयोग आवेदक द्वारा समय-समय पर प्रस्तुत किए जाने वाले विवरणों के लिए अतिरिक्त / वैकल्पिक प्रारूप निर्दिष्ट करेगा, क्योंकि इसकी कुल राजस्व आवश्यकता का आकलन करने और टैरिफ निर्धारित करने के लिए उचित रूप से आवश्यकता हो सकती है।

16.2 इन नियमों में उल्लिखित सभी आवश्यकताओं के अनुपालन में सभी आवश्यक जानकारी, विवरण और दस्तावेजों के साथ पूर्ण याचिका प्राप्त होने पर, याचिका प्राप्त मानी जाएगी और आयोग याचिका की स्वीकृति के संबंध में आवेदक को सूचित करेगा।

16.3 याचिका के साथ व्यक्ति का शपथ-पत्र संलग्न होगा जिसमें आवेदन में उल्लिखित तथ्यों का उल्लेख किया जाएगा।

16.4 आवेदक, आयोग द्वारा याचिका की स्वीकृति के बाद सात (7) दिनों के भीतर, कम से कम दो अंग्रेजी और दो देशी भाषा दैनिक समाचार-पत्रों में अपने क्षेत्र की सूचना प्रकाशित करेगा जिनका संगत क्षेत्र में व्यापक सर्कुलेशन होगा:

बशर्ते कि आवेदक किसी भी व्यक्ति को, इस तरह के स्थानों पर और आयोग द्वारा निर्धारित दरों पर पूर्ण याचिका की एक हार्ड प्रति उपलब्ध कराएगा:

बशर्ते कि आवेदक अपनी इंटरनेट वेबसाइट पर टेक्स्ट सर्च करने योग्य प्रारूप में या डाउनलोड करने योग्य स्प्रेडशीट प्रारूप में, आयोग द्वारा निर्धारित अनुसार सभी विनियामक फाइलिंग, सूचना, विवरण और दस्तावेज आयोग के समक्ष दायर याचिका की विस्तृत गणना प्रस्तुत करेगा:

बशर्ते यह भी कि इस तरह की जानकारी का वेब लिंक आसानी से उपलब्ध हो, डाउनलोड करने के लिए संग्रहीत किया गया हो और आवेदक की इंटरनेट वेबसाइट पर प्रमुख रूप से प्रदर्शित किया जाए:

बशर्ते आगे यह कि आवेदक को आयोग द्वारा इस तरह की कोई भी जानकारी, विवरण या दस्तावेज प्रदान करने से छूट दी जाए, जिसकी प्रकृति गोपनीय है।

- 16.5 टैरिफ के निर्धारण के प्रस्ताव पर सुझाव और आपत्तियां, यदि कोई हों, को किसी भी व्यक्ति द्वारा आवेदक को एक प्रति देते हुए इस प्रकार प्रकाशित नोटिस में निर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर सचिव, संयुक्त विद्युत नियामक आयोग के समक्ष दायर किया जा सकता है।
- 16.6 आवेदक उपर्युक्त नोटिस के प्रकाशन की तारीख से सात (7) दिन के भीतर शपथ-पत्र पर आयोग को प्रकाशित नोटिस का विवरण जमा करेगा और समाचार-पत्रों की प्रतियां भी प्रस्तुत करेगा जहां नोटिस प्रकाशित किया गया है।
- 16.7 आवेदक आयोग द्वारा निर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर अपने आवेदन के उत्तर में प्राप्त सुझावों और आपत्तियां, यदि कोई हों, पर अपनी टिप्पणियां देगा।

17. टैरिफ आदेश

- 17.1 आयोग पूर्ण याचिका की स्वीकृति की तारीख से एक सौ बीस (120) दिन के भीतर, याचिकाकर्ता के अधीन आयोग द्वारा मांगी गई जानकारी को समय पर प्रदान करेगा और विभिन्न हितधारकों से प्राप्त सभी सुझावों और आपत्तियों पर विचार करने के बाद -
- क) एक टैरिफ आदेश जारी करेगा; या
- ख) ऐसे आवेदन को रद्द करेगा यदि ऐसे आवेदन अधिनियम के प्रावधानों और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों या लागू होने वाले किसी अन्य कानून के प्रावधानों के अनुसार नहीं है, जिसके कारणों को लिखित रूप में दर्ज किया जाएगा:
- बशर्ते कि आवेदक को उसके आवेदन को रद्द करने से पहले सुनवाई का उचित अवसर दिया जाएगा।
- 17.2 इस प्रकार प्रकाशित टैरिफ उक्त आदेश में उल्लिखित तारीख से लागू रहेगा और जब तक संशोधित या निरस्त नहीं किया जाएगा, तब तक इसमें निर्धारित ऐसी अवधि के लिए लागू रहेगा।
- 17.3 आवेदक आयोग द्वारा अनुमोदित टैरिफ को कम से कम दो अंग्रेजी और दो स्थानीय भाषा दैनिक समाचार-पत्रों, जिनका जेनरेटिंग कंपनी या ट्रांसमिशन लाइसेंसधारी या वितरण लाइसेंसधारी के आपूर्ति के क्षेत्र, जैसा भी मामला हो, में व्यापक परिचालन है, अपनी इंटरनेट वेबसाइट पर अनुमोदित टैरिफ अनुसूची प्रदर्शित करेगा, और उचित पुनरुत्पादन शुल्क के भुगतान पर किसी भी व्यक्ति को ऐसे टैरिफ की पुस्तिका की विक्री के लिए उपलब्ध कराएगा।

18. टैरिफ आदेश का पालन करना

- 18.1 निर्दिष्ट किसी भी ईंधन अधिभार फॉर्मूला की शर्तों के तहत स्पष्ट रूप से अनुमत किसी भी परिवर्तन के संबंध में, किसी भी टैरिफ का कोई शुल्क या भाग सामान्यतया वर्ष में एक से अधिक बार संशोधित नहीं किया जाएगा।
- 18.2 यदि कोई जेनरेटिंग कंपनी या लाइसेंसधारक अधिनियम की धारा 62 के अंतर्गत और इन विनियमों के अनुसार आयोग द्वारा निर्धारित टैरिफ से अधिक मूल्य या शुल्क की वसूली करता है, तो उस व्यक्ति, जिसने ऐसे मूल्य या शुल्क का भुगतान किया है, को अन्य किसी देयता के पूर्वाग्रह के बिना प्रासंगिक अवधि के दौरान प्रचलित बैंक दर के समतुल्य ब्याज सहित अतिरिक्त राशि देय होगी, जो ऐसी जेनरेटिंग कंपनी या लाइसेंसधारी के अधीन होंगी:
- बशर्ते कि किसी भी पार्टी को देय ब्याज को लाइसेंसधारक की कुल राजस्व आवश्यकता के माध्यम से पुनः प्राप्त करने की अनुमति नहीं दी जाएगी:
- बशर्ते आगे यह कि लाइसेंसधारी ऐसे देय ब्याज या उसके द्वारा भुगतान किए गए ब्याज का अलग से विवरण रखेगा, और उन्हें अपनी याचिका के साथ आयोग को प्रस्तुत करेगा।

19. टैरिफ का वार्षिक निर्धारण

- 19.1 आयोग निम्नलिखित के संबंध में विनियम 17 में निर्दिष्ट समय-सारिणी के अनुसार, नियंत्रण अवधि के दौरान प्रत्येक वर्ष के लिए बहु वर्ष टैरिफ ढांचे के अंतर्गत एक जेनरेटिंग कंपनी, ट्रांसमिशन लाइसेंसधारक और वितरण लाइसेंसधारक के टैरिफ का निर्धारण करेगा:
- क) मध्यावधि समीक्षा, यदि कोई हो, के समय अनुमोदित संशोधनों सहित, वित्तीय वर्ष के लिए जेनरेटिंग कंपनी, ट्रांसमिशन लाइसेंसधारक और वितरण लाइसेंसधारक के टैरिफ और शुल्क से कुल राजस्व आवश्यकता और अपेक्षित राजस्व का अनुमोदित पूर्वानुमान; तथा
- ख) पिछले वर्ष की टूटिंग के बाद टैरिफ में साझा किए जाने वाले प्रोत्साहन सहित स्वीकृत लाभ और हानि।

20. राजसहायता प्रणाली

20.1 यदि सरकार को आयोग द्वारा निर्धारित टैरिफ में उपभोक्ता या उपभोक्ता वर्ग के किसी भी उपभोक्ता को कोई राजसहायता देने की आवश्यकता है, तो सरकार अधिनियम की धारा 108 के अंतर्गत दिए गए किसी निर्देश के बावजूद, इन विनियमों में निर्दिष्ट ढंग से सरकार द्वारा उपलब्ध कराई की गई राजसहायता को लागू करने के लिए संबंधित लाइसेंसधारक या किसी अन्य व्यक्ति के लिए शर्त के रूप में राजसहायता के अनुदान से प्रभावित वितरण लाइसेंसधारक / व्यक्ति को अग्रिम भुगतान करने के लिए राशि का भुगतान करेगी:

बशर्ते कि सरकार का ऐसा कोई निर्देश लागू नहीं होगा यदि भुगतान इन नियमों में निहित प्रावधानों के अनुसार नहीं किया गया है, और आयोग द्वारा निर्धारित टैरिफ इस संबंध में आयोग द्वारा आदेश जारी करने की तारीख से लागू होगा।

अध्याय 3: वित्तीय सिद्धांत**21. जेनरेटिंग कंपनी के लिए वित्तीय सिद्धांत**

21.1 जेनरेटिंग कंपनी के लिए पूंजीगत लागत आयोग द्वारा निर्धारित की जाएगी, जिसे विवेकानुसार जांच के अधीन बिजली के उत्पादन को नियंत्रित करने वाले प्रचलित सीईआरसी टैरिफ विनियमों के प्रासंगिक प्रावधानों द्वारा निर्देशित किया गया है। इस प्रकार निर्धारित पूंजीगत लागत मौजूदा परियोजनाओं और नई परियोजनाओं के लिए टैरिफ के निर्धारण का आधार होगा।

21.2 जेनरेटिंग कंपनी के लिए अतिरिक्त पूंजीकरण और नवीनीकरण और आधुनिकीकरण के मानदंड प्रचलित सीईआरसी टैरिफ विनियमों, बिजली के शासी उत्पादन के अनुसार होंगे।

21.3 किसी जेनरेटिंग कंपनी के लिए इक्विटी अनुपात पर ऋण, इक्विटी पर प्रतिलाभ, ऋण पर ब्याज, विदेशी मुद्रा जोखिम भिन्नता, कार्यशील पूंजी पर ब्याज, आय पर कर का उपचार, कार्यशील पूंजी के मानदंड आदि को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों सहित वित्तीय सिद्धांत प्रचलित सीईआरसी टैरिफ विनियमों, और बिजली के शासी उत्पादन में निर्दिष्ट अनुसार होंगे।

22. ट्रांसमिशन और वितरण व्यवसाय के लिए वित्तीय सिद्धांत

22.1 इन विनियमों के इस अध्याय के बाद के खंडों में निर्दिष्ट वित्तीय सिद्धांत ट्रांसमिशन और वितरण लाइसेंसधारक पर लागू होंगे।

23. पूंजीगत लागत

23.1 पूंजीगत निवेश परियोजना के लिए पूंजीगत लागत में निम्न शामिल होंगे:

- (क) निर्माण और वित्त-पोषण शुल्क के दौरान ब्याज सहित किया गया व्यय या किया जाने वाला अनुमानित व्यय, जैसा कि आयोग द्वारा विवेकानुसार जांच के बाद अनुमत हो;
- (ख) इस विनियमन में निर्दिष्ट अधिकतम दरों के अधीन पूंजीकृत प्रारंभिक अतिरिक्त पुर्जे;
- (ग) मार्गाधिकार प्राप्त करने के लिए लाइसेंसधारी द्वारा किया गया व्यय, जैसा कि आयोग द्वारा विवेकानुसार जांच के बाद स्वीकार किया गया है;
- (घ) विनियम 24 के अनुसार निर्धारित अतिरिक्त पूंजीकरण;
- (ङ.) वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख तक ली गई ऋण राशि से संबंधित विदेशी विनिमय दर भिन्नता के कारण हुआ लाभ या हानि, जैसा कि आयोग द्वारा विवेकानुसार जांच के बाद स्वीकार किया गया है;

बशर्ते वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख तक ली गई ऋण राशि से संबंधित विदेशी विनिमय दर भिन्नता के कारण हुआ कोई लाभ या हानि केवल पूंजीगत लागत के ऋण घटक के खिलाफ ही समायोजित किया जाएगा:

बशर्ते आगे यह कि परियोजना का भाग बनाने वाली परिसंपत्तियों की पूंजी लागत, जिसका उपयोग नहीं किया गया है या उपयोग में नहीं है, को पूंजीगत लागत से बाहर रखा जाएगा:

बशर्ते कि लाइसेंसधारक उपयोग की जा रही परिसंपत्तियों के अपने दावे के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करेगा।

23.2 विवेकानुसार जांच के बाद आयोग द्वारा स्वीकृत पूंजीगत लागत टैरिफ के निर्धारण का आधार बनेगी:

बशर्ते कि विवेकानुसार जांच में पूंजीगत व्यय की तर्कसंगतता की जांच, वित्त-पोषण की पसंद और तरीके सहित वित्त-पोषण योजना, निर्माण के दौरान ब्याज, कुशल प्रौद्योगिकी का उपयोग, अधिक लागत और अधिक समय लगना, और ऐसे अन्य मामले जैसे कि टैरिफ के निर्धारण के लिए आयोग द्वारा उचित माने जाएं।

- 23.3 अनुमोदित पूंजीगत लागत को टैरिफ के निर्धारण के लिए माना जाएगा और यदि पूंजीगत लागत में किसी भी वृद्धि के लिए पर्याप्त औचित्य प्रदान किया जाता है, तो आयोग द्वारा इसे विवेकानुसार जांच के अधीन माना जा सकता है:
- बशर्ते कि वास्तविक पूंजी लागत अनुमोदित पूंजी लागत से कम है, तो वास्तविक पूंजी लागत को लाइसेंसधारक के टैरिफ के निर्धारण के लिए माना जाएगा।
- 23.4 ट्रांसमिशन लाइसेंसधारक और वितरण लाइसेंसधारक के लेखापरीक्षित खातों के आधार पर मूल कार्यक्षेत्र के लिए वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख पर वास्तविक पूंजी व्यय, मूल लागत तक सीमित होगा, जो आयोग द्वारा विवेकानुसार जांच के अधीन होगा।
- 23.5 जहां बल्क पावर ट्रांसमिशन करार पूंजीगत लागत की अधिकतम सीमा प्रदान करता है, वहां विचार की जाने वाली पूंजी लागत ऐसी अधिकतम सीमा से अधिक नहीं होगी।
- 23.6 पूंजीगत लागत में कट ऑफ तारीख तक संयंत्र और मशीनरी लागत के प्रतिशत के रूप में पूंजीकृत प्रारंभिक पुर्जे शामिल हो सकते हैं, बशर्ते कि निम्नलिखित अधिकतम सीमा मानदंडों का पालन किया जाए:
- | | |
|--|------|
| क) ट्रांसमिशन लाइन और वितरण लाइन | 1.0% |
| ख) ट्रांसमिशन सब-स्टेशन और वितरण सब-स्टेशन (ग्रीन फील्ड) | 4.0% |
| ग) ट्रांसमिशन सब-स्टेशन (ब्राउन फील्ड) | 6.0% |
| घ) सीरिज मुआवजा उपकरण और एचवीडीसी स्टेशन | 4.0% |
| ड.) गैस इन्सुलेट उप-स्टेशन (जीआईएस) | 5.0% |
| च) संचार प्रणाली | 3.5% |
- 23.7 ट्रांसमिशन लाइसेंसधारक और वितरण लाइसेंसधारक पर लागू होने वाली पुरानी स्थाई परिसंपत्तियों का प्रतिस्थापन, नवीनीकरण और आधुनिकीकरण या आयु विस्तार पर कोई व्यय, मूल पूंजीगत लागत से ऐसी प्रतिस्थापित संपत्तियों के निवल मूल्य को बढ़े खाते में डालने के बाद विचार किया जाएगा और इसकी गणना निम्नानुसार होगी:
- प्रतिस्थापित संपत्तियों का शुद्ध मूल्य = ओसीएफए - एडी - सीसी
- जहां;
- ओसीएफए: प्रतिस्थापित परिसंपत्तियों की मूल पूंजीगत लागत
- एडी: प्रतिस्थापित परिसंपत्तियों से संबंधित संचित मूल्यहास
- सीसी: प्रतिस्थापित परिसंपत्तियों से संबंधित कुल उपभोक्ता अंशदान:
- बशर्ते आगे यह कि किसी भी परिसंपत्ति को हुई क्षति, जिसका प्रतिस्थापन किया जाना अपेक्षित है, के लिए प्राप्त बीमा राशि, यदि कोई हो, को पहले बकाया वास्तविक या मानक ऋण के खिलाफ समायोजित किया जाएगा और शेष राशि, यदि कोई हो, का ऐसे प्रतिस्थापन की लागत को कम करने के लिए उपयोग किया जाएगा और आगे किसी बकाया राशि को गैर-टैरिफ आय के रूप में माना जाएगा।

24. अतिरिक्त पूंजीकरण

- 24.1 वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख के बाद और कट-ऑफ तारीख तक, मूल कार्यक्षेत्र में निम्नलिखित मामलों पर, नई परियोजना या मौजूदा परियोजना के संबंध में, वास्तविक खर्च या अनुमानित पूंजीगत व्यय हो सकता है जो आयोग द्वारा विवेकानुसार जांच के अधीन होगा:
- अप्रचलित देनदारियों को भावी तारीख में देय माना जाता है;
 - कार्य निष्पादन के लिए आस्थगित;
 - विनियमन 23.6 के प्रावधानों के अनुसार, मूल कार्यक्षेत्र में प्रारंभिक पूंजीगत वस्तुओं की खरीद;
 - मध्यस्थता को पूरा करने या विधि न्यायालय के आदेश या आज्ञा के अनुपालन के लिए देयताएं; तथा
 - किसी मौजूदा कानून में विधि द्वारा परिवर्तन या अनुपालन:
- बशर्ते कि व्यय के अनुमान सहित मूल कार्यक्षेत्र में शामिल परिसंपत्ति-वार / कार्य-वार विवरण, भावी तारीख को देय देनदारियों और निष्पादन के लिए आस्थगित कार्यों को टैरिफ के निर्धारण के लिए आवेदन के साथ प्रस्तुत किया जाएगा।

24.2 कट ऑफ तारीख के बाद मूल कार्यक्षेत्र में निम्नलिखित मामलों पर नई परियोजना के संबंध में किए गए पूंजीगत या अनुमानित व्यय को आयोग द्वारा विवेकानुसार जांच द्वारा अनुमति प्रदान की जाएगी:

- (i) मध्यस्थता को पूरा करने या विधि न्यायालय के आदेश या आज्ञा के अनुपालन के लिए देयताएं;
- (ii) किसी मौजूदा कानून में विधि द्वारा परिवर्तन या अनुपालन;
- (iii) ऐसी पूरी न की गई देयता की विवेकानुसार जांच के बाद कट ऑफ तारीख से पहले निष्पादित कार्यों के लिए कोई देयता, पैकेज की कुल अनुमानित लागत, भुगतान रोकने और ऐसा भुगतान जारी करने के कारण आदि।

24.3 कट-ऑफ तारीख के बाद निम्नलिखित मामलों पर किए जाने वाले और अनुमानित व्यय मौजूदा परियोजना के संबंध में पूंजीगत को विवेकानुसार जांच के बाद आयोग द्वारा स्वीकृत किया जा सकता है:

- (i) मध्यस्थता को पूरा करने या विधि न्यायालय के आदेश या आज्ञा के अनुपालन के लिए देयताएं;
- (ii) किसी मौजूदा कानून में विधि द्वारा परिवर्तन या अनुपालन;
- (iii) राष्ट्रीय सुरक्षा / आंतरिक सुरक्षा के लिए जिम्मेदार उचित सरकारी एजेंसियों या सांविधिक प्राधिकारियों द्वारा दी गई सलाह या निर्देशित पूंजीगत परिसंपत्ति की उच्च सुरक्षा और संरक्षा की आवश्यकता के कारण होने वाला कोई व्यय;
- (iv) ऐसी पूरी न की गई देयता के ब्यौरे की विवेकानुसार जांच के बाद कट ऑफ तारीख से पहले निष्पादित कार्यों के लिए कोई देयता, पैकेज की कुल अनुमानित लागत, भुगतान रोकने और ऐसे भुगतान जारी करने के कारण आदि;
- (v) वास्तविक भुगतान द्वारा ऐसी देनदारियों के निर्वहन की सीमा तक कट ऑफ तारीख के बाद आयोग द्वारा स्वीकृत कार्यों के लिए कोई देयता;
- (vi) कोई भी अतिरिक्त पूंजी व्यय, जो ट्रांसमिशन प्रणाली के कुशल संचालन के लिए जरूरी हो गया हो। दावे को दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा विधिवत तकनीकी औचित्य के साथ प्रमाणित किया जाएगा, जैसे परिसंपत्तियों में गिरावट के मामले में किसी स्वतंत्र एजेंसी द्वारा किए गए परीक्षण परिणाम, प्राकृतिक आपदाओं के कारण होने वाली क्षति के मामले में स्वतंत्र एजेंसी की रिपोर्ट, प्रौद्योगिकी में बाधाएं, तकनीकी कारणों के लिए क्षमता का उन्नयन जैसे दोषपूर्ण स्तर में वृद्धि, तथा
- (vii) ट्रांसमिशन प्रणाली के मामले में, रिले, नियंत्रण और इंस्ट्रुमेंटेशन, कंप्यूटर प्रणाली, पावर लाइन कैरियर संचार, डीसी बैटरी, प्रौद्योगिकी के अभाव के कारण प्रतिस्थापन, दोषपूर्ण स्तर में वृद्धि के कारण स्विचयार्ड उपकरण के प्रतिस्थापन पर कोई अतिरिक्त व्यय, टावर सुदृढ़ता, संचार उपकरण, आपातकालीन बहाली प्रणाली, इंसुल्युलेटर सफाई अवसंरचना, पॉर्सिलीन इंसुलेटर का पॉलीमर इंसुलेटर के साथ प्रतिस्थापन, बीमा द्वारा कवर न होने वाले क्षतिग्रस्त उपकरणों का प्रतिस्थापन और अन्य कोई व्यय जो ट्रांसमिशन प्रणाली के सफल और कुशल प्रचालन के लिए आवश्यक हो गया है:

बशर्ते कि कट ऑफ तारीख के बाद औजार और साजो-सामान, फर्नीचर, एयर कंडीशनर, वोल्टेज स्टेबिलाइजर्स, रेफ्रिजरेटर, कूलर, कंप्यूटर, पंखों, वाशिंग मशीन, ताप कंवरटर, गद्दे, कालीन आदि सहित मामूली वस्तुओं या संपत्तियों को प्राप्त करने पर किए गए किसी व्यय पर टैरिफ के निर्धारण के लिए अतिरिक्त पूंजीकरण के लिए विचार नहीं किया जाएगा:

बशर्ते कि यदि नवीनीकरण और आधुनिकीकरण (आरएंडएम) या ओएंडएम व्यय के अंतर्गत मरम्मत और रखरखाव के लिए कोई व्यय दावा किया गया है, तो उस व्यय का इस विनियम के अंतर्गत दावा नहीं किया जा सकता है।

24.4 टैरिफ पर अतिरिक्त पूंजीकरण के प्रभाव, जैसा भी मामला हो, पर नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वित्तीय वर्ष के दौरान समायोजन करने पर विचार किया जाएगा।

25. उपभोक्ता अंशदान, जमा कार्य, अनुदान और पूंजीगत राजसहायता

25.1 प्रयोक्ताओं से आंशिक या सभी निधियां प्राप्त करने के बाद ट्रांसमिशन लाइसेंसधारक और वितरण लाइसेंसधारक द्वारा किए गए कार्यों को जमा कार्यों के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा;

25.2 विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत निधियों सहित राज्य और केंद्र सरकारों से प्राप्त अनुदान का उपयोग कर ट्रांसमिशन लाइसेंसधारक और वितरण लाइसेंसधारक द्वारा किए गए पूंजीगत कार्यों को अनुदान की श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाएगा;

25.3 इसी तरह की प्रकृति के साथ किसी अन्य अनुदान के साथ किए गए कार्यों या ऐसी राशि को वापस करने की किसी देयता के बिना प्राप्त किया गया है जिस पर ऐसी आर्थिक सहायता से संबद्ध कोई ब्याज लागत न हो, को उपभोक्ता अंशदान, जमा कार्य, पूंजीगत राजसहायता या अनुदान के जरिए भी वर्गीकृत किया जाएगा।

25.4 ऐसे पूंजीगत व्यय पर खर्च को निम्नानुसार माना जाएगा:

- क) इन विनियमों में निर्दिष्ट अनुसार मानक ओएंडएम व्यय की अनुमति दी जाएगी;
- ख) उपभोक्ता अंशदान, जमा कार्य, पूंजीगत राजसहायता या अनुदान के माध्यम से प्रदान की गई वित्तीय सहायता की राशि की कटौती के बाद इक्विटी अनुपात ऋण पर विनियम 26 के अनुसार विचार किया जाएगा;
- ग) उपभोक्ता अंशदान, जमा कार्य, पूंजीगत राजसहायता या अनुदान के माध्यम से किए गए कार्यों की सीमा तक मूल्यहास को विनियम 30 में निर्दिष्ट अनुसार अनुमति नहीं दी जाएगी;
- घ) विनियम 27 में निर्दिष्ट अनुसार इक्विटी पर प्रतिलाभ से संबंधित प्रावधान, उपभोक्ता अंशदान, जमा कार्य, पूंजीगत राजसहायता या अनुदान के माध्यम से प्रदान की गई वित्तीय सहायता की सीमा तक लागू नहीं होंगे;
- ड.) विनियम 28 में निर्दिष्ट अनुसार ऋण पूंजी पर व्याज से संबंधित प्रावधान, उपभोक्ता अंशदान, जमा कार्य, पूंजीगत राजसहायता या अनुदान के माध्यम से प्रदान की गई वित्तीय सहायता की सीमा तक लागू नहीं होंगे।

26. इक्विटी अनुपात ऋण

26.1 मौजूदा परियोजनाओं के मामले में 31 मार्च, 2018 को समाप्त अवधि के लिए टैरिफ के निर्धारण हेतु आयोग द्वारा अनुमत इक्विटी अनुपात ऋण पर विचार किया जाएगा:

बशर्ते कि सेवानिवृत्ति या प्रतिस्थापन या परिसंपत्तियों का पूंजीकरण हटाने के मामले में, ऊपर वर्णित इक्विटी पूंजी ऐसी परिसंपत्ति की मूल लागत के 30% की सीमा तक घटा दी जाएगी (या दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर वास्तविक इक्विटी घटक, यदि यह 30% से कम हो):

बशर्ते कि सेवानिवृत्ति या प्रतिस्थापन या परिसंपत्तियों का पूंजीकरण हटाने के मामले में, ऊपर उल्लिखित अनुसार अनुमोदित ऋण पूंजी को दस्तावेजी साक्ष्य, या मानक ऋण घटक के आधार पर बकाया ऋण घटक, जैसा मामला हो, ऐसी संपत्तियों की मूल लागत की सीमा तक घटा दिया जाएगा।

26.2 नई परियोजनाओं के लिए, वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख को ऋण-इक्विटी अनुपात विनियम 23 के अंतर्गत आयोग द्वारा टैरिफ के निर्धारण की विवेकानुसार जांच के बाद अनुमोदित पूंजीगत लागत की राशि का 70:30 होगा:

बशर्ते कि जहां वास्तव में निवेश की गई इक्विटी पूंजीकृत परिसंपत्ति की पूंजीगत लागत के 30% से कम है, वहां वास्तविक इक्विटी को टैरिफ के निर्धारण के लिए माना जाएगा:

बशर्ते यह भी कि यदि वास्तव में निवेश की गई इक्विटी, पूंजीगत लागत के 30% से अधिक है तो 30% से अधिक इक्विटी को टैरिफ का निर्धारण करने के लिए लाइसेंसधारी हेतु मानक ऋण के रूप में माना जाएगा:

बशर्ते यह भी है कि लाइसेंसधारी इक्विटी के वास्तविक निवेश के लिए दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करेगा और इक्विटी के लिए निधियों के स्रोत की व्याख्या करेगा:

बशर्ते कि विदेशी मुद्रा में निवेश की गई इक्विटी प्रत्येक निवेश की तारीख को भारतीय रुपए में की जाएगी:

बशर्ते आगे यह कि योजना के वित्त-पोषण के लिए, शेयर पूंजी जारी करते समय और अपने निःशुल्क रिजर्व में से सृजित आंतरिक संसाधनों का निवेश करते समय लाइसेंसधारक द्वारा दिए गए प्रीमियम, यदि कोई हो, की इक्विटी पर प्रतिलाभ की गणना के उद्देश्य से प्रदत्त पूंजी के रूप में मानी जाएगी, बशर्ते कि ऐसी प्रीमियम राशि और आंतरिक संसाधनों का उपयोग वास्तव में ट्रांसमिशन प्रणाली या वितरण प्रणाली के पूंजीगत व्यय को पूरा करने के लिए किया गया हो, और यह आयोग द्वारा अनुमोदित पूंजीगत लागत के 30% की सीमा के भीतर हो।

26.3 1 अप्रैल, 2019 को या उसके बाद किए जाने वाले व्यय या अनुमानित व्यय, जैसा कि आयोग द्वारा अनुमति दी जाए, को टैरिफ के निर्धारण के लिए अतिरिक्त पूंजीगत व्यय, और आयु विस्तार के लिए नवीकरण और आधुनिकीकरण के रूप में इस विनियम में विनिर्दिष्ट तरीके से सर्विस की जाएगी।

27. इक्विटी पर प्रतिलाभ

27.1 इक्विटी पर प्रतिलाभ की गणना ट्रांसमिशन लाइसेंसधारक के लिए उपयोग की जाने वाली परिसंपत्तियों के लिए विनियम 26 के अनुसार निर्धारित प्रदत्त इक्विटी पूंजी पर गणना की जाएगी और ट्रांसमिशन प्रणाली के लिए प्रचलित सीईआरसीटी टैरिफ विनियमों के अनुसार अनुमति दी जाएगी।

27.2 ट्रांसमिशन प्रणाली के लिए प्रचलित सीईआरसीटी टैरिफ विनियमों में उल्लिखित इक्विटी पर प्रतिलाभ की दर पश्चात् दर पर उपयोग की जाने वाली संपत्तियों के लिए विनियम 26 के अनुसार निर्धारित इक्विटी पूंजी पर डिसट्रीब्यूशन वॉयर व्यापार के लिए इक्विटी पर प्रतिलाभ की अनुमति दी जाएगी।

27.3 खुदरा आपूर्ति व्यापार के लिए इक्विटी पर प्रतिलाभ प्रति वर्ष सोलह (16) प्रतिशत की दर से उपयोग की जाने वाली संपत्तियों के लिए विनियम 26 के अनुसार निर्धारित इक्विटी पूंजी पर दी जाएगी।

27.4 इक्विटी पर प्रतिलाभ की गणना वर्ष की शुरुआत और अंत में इक्विटी पूंजी के औसत पर की जाएगी।

28. ऋण पर ब्याज

28.1 प्रयुक्त परिसंपत्तियों पर विनियम 26 में उल्लिखित तरीके से लिए गए ऋण को ऋण पर ब्याज की गणना के लिए सकल मानक ऋण के रूप में माना जाएगा:

बशर्ते कि पूंजीगत कार्यों पर ब्याज और वित्तीय प्रभार को शामिल नहीं किया जाएगा:

बशर्ते आगे यह कि पूंजीकरण हटाने या सेवानिवृत्ति या परिसंपत्तियों के प्रतिस्थापन के मामले में, दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर, ऋण पूंजी को पूंजी हटाने या सेवानिवृत्त या प्रतिस्थापित परिसंपत्तियों की मूल लागत के बकाया ऋण घटक की सीमा तक घटा दिया जाएगा।

28.2 1 अप्रैल, 2019 को बकाया मानक ऋण को कुल मानक ऋण में से 31 मार्च, 2018 तक आयोग द्वारा अनुमेय अनुसार संचयी पुनर्भुगतान को घटाकर निकाला जाएगा।

28.3 ट्रांसमिशन लाइसेंसधारक या वितरण लाइसेंसधारक द्वारा प्राप्त किसी भी ऋण स्थगन अवधि के बावजूद, जैसा भी मामला हो, ऋण के पुनर्भुगतान को परियोजना के वाणिज्यिक प्रचालन के पहले वर्ष से माना जाएगा और विनियमन 30 के अनुसार यह अनुमत वार्षिक मूल्यहास के बराबर होगा।

28.4 ब्याज दर ट्रांसमिशन लाइसेंसधारक या वितरण लाइसेंसधारक के लिए लागू प्रत्येक वर्ष की शुरुआत में वास्तविक ऋण पोर्टफोलियो के आधार पर गणना की गई भारित औसत ब्याज दर होगा:

बशर्ते कि सामंजस्य करते समय, ट्रांसमिशन लाइसेंसधारक या वितरण लाइसेंसधारक के लिए लागू वर्ष के दौरान वास्तविक ऋण पोर्टफोलियो के आधार पर गणना की गई ब्याज की भारित औसत दर को ब्याज दर के रूप में माना जाएगा:

बशर्ते यह भी है कि यदि वहाँ किसी विशेष वर्ष में कोई वास्तविक ऋण नहीं है, लेकिन प्रामाणिक ऋण अभी भी बकाया है, तो वास्तविक ऋण के लिए ब्याज की अंतिम उपलब्ध भारित औसत दर पर विचार किया जाएगा:

बशर्ते आगे यह कि यदि ट्रांसमिशन लाइसेंसधारक या वितरण लाइसेंसधारक पर कोई वास्तविक ऋण नहीं है, तो आयोग एक (1) वर्ष के लिए भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) एमसीएलआर / उसके किसी प्रतिस्थापन के रूप में आरबीआई द्वारा अधिसूचित अनुसार किसी भी प्रतिस्थापन पर सामान्य ब्याज के आधार पर रखरखाव लागत की अनुमति देगा, जो 1 वर्ष की अवधि के लिए संबंधित वर्ष की 1 अप्रैल को 100 आधार अंक के रूप में लागू होगी;

28.5 ऋण पर ब्याज की गणना, ब्याज की भारित औसत दर लागू करके मानक औसत ऋण की जाएगी:

बशर्ते कि समायोजन के समय, वर्ष के मानक औसत ऋण को वर्ष के लिए आयोग द्वारा अनुमोदित वास्तविक परिसंपत्ति पूंजीकरण के आधार पर माना जाएगा।

28.6 नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए प्रस्तावित नए ऋणों के लिए, ब्याज दर (i) एक (1) वर्ष के लिए भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) एमसीएलआर / उसके किसी प्रतिस्थापन के रूप में आरबीआई द्वारा अधिसूचित अनुसार किसी भी प्रतिस्थापन पर सामान्य ब्याज के आधार पर रखरखाव लागत की अनुमति देगा, जो 1 वर्ष की अवधि के लिए संबंधित वर्ष की 1 अप्रैल को 100 आधार अंक के रूप में; और (ii) वितरण लाइसेंसधारक द्वारा प्रस्तावित ब्याज की भारित औसत दर के रूप में होगी।

28.7 उपर्युक्त ब्याज गणना में ट्रांसमिशन लाइसेंसधारक या वितरण लाइसेंसधारक द्वारा लिए गए उपभोक्ता अंशदान, जमा कार्य, पूंजीगत राजसहायता या अनुदान द्वारा वित्त-पोषित पूंजीगत लागत की सीमा तक ऋण राशि, मानक या अन्यथा पर ब्याज शामिल नहीं होगा।

28.8 किसी भी वर्ष के लिए वित्तीय संस्थानों से ऋण प्राप्त करने के लिए खर्च किए गए वित्त प्रभारों को आयोग द्वारा समायोजन करते समय, विवेकानुसार जांच के अधीन अनुमति दी जाएगी।

28.9 अनुमोदित समापन अनुसूची और पूंजीगत लागत या अनुसूची समाप्ति स्थिति के आधार पर वास्तविक आवश्यकता की तुलना में ऋण निधियों के असंगत होने पर अतिरिक्त आहरण की तुलना में अधिक समय और/या लागत लगने के कारण निर्माण के दौरान अतिरिक्त ब्याज पर आयोग द्वारा विवेकानुसार जांच करने के बाद मामला दर मामला आधार पर पूर्ण या आंशिक रूप से अनुमति दी जाएगी या अस्वीकृत किया जाएगा:

बशर्ते कि जहां निर्माण के दौरान अतिरिक्त ब्याज किसी एजेंसी या ठेकेदार या ट्रांसमिशन लाइसेंसधारक द्वारा लगाए गए आपूर्तिकर्ता द्वारा की गई देरी के कारण होता है, तो ऐसी एजेंसी या ठेकेदार या आपूर्तिकर्ता से वसूली गई परिसमाप्ति क्षति को पूंजीगत लागत की गणना करते समय ध्यान में रखा जाएगा:

बशर्ते आगे यह कि विचार की जाने वाली परिसमाप्ति क्षति की सीमा आयोग द्वारा अनुमत अनुसार निर्माण के दौरान अतिरिक्त ब्याज की मात्रा पर निर्भर करेगी।

28.10 ट्रांसमिशन लाइसेंसधारक या वितरण लाइसेंसधारक, जैसा मामला हो, ऋण के पुनः वित्त-पोषण के लिए हर संभव प्रयास करेंगे जब तक कि ब्याज पर शुद्ध बचत न हो और ऐसी स्थिति में ऐसे पुनः वित्त-पोषण से संबद्ध लागत को लाभार्थियों द्वारा वहन किया जाएगा और शुद्ध बचत को लाभार्थियों और ट्रांसमिशन लाइसेंसधारक या वितरण लाइसेंसधारक और वितरण लाइसेंसधारक के उपभोक्ताओं के बीच समान रूप से साझा किया जाएगा।

28.11 खुदरा उपभोक्ता से नकद के रूप में जमा की गई जमानत राशि पर वित्तीय वर्ष, जिसमें याचिका दायर की गई है, की 1 अप्रैल को बैंक दर पर ब्याज दिया जाएगा:

बशर्ते कि समायोजन के समय, वर्ष के लिए जमानत राशि पर ब्याज को वर्ष के दौरान लाइसेंसधारक द्वारा भुगतान किए गए वास्तविक ब्याज के आधार के रूप में माना जाएगा, जो आयोग द्वारा विवेकानुसार जांच के अधीन होगा।

29. विदेशी विनिमय दर में अंतर

29.1 लाइसेंसधारक विदेशी मुद्रा ऋण पर ब्याज और ट्रांसमिशन प्रणाली या वितरण प्रणाली के लिए प्राप्त विदेशी ऋण की चुकौती के संबंध में विदेशी मुद्रा जोखिम का आंशिक या पूरी तरह से अपने विवेकानुसार भुगतान करेगा।

29.2 लाइसेंसधारक को प्रासंगिक वर्ष में व्यय के रूप में विदेशी ऋण से संबंधित विदेशी मुद्रा दर भिन्नता की सीमा तक लागत वसूलने की अनुमति दी जाएगी, जो आयोग द्वारा विवेकानुसार जांच के अधीन होगी, और ऐसे परिवर्तन से संबंधित अतिरिक्त रूपए की देयता हेतु निर्धारित विदेशी ऋण के लिए अनुमति नहीं दी जाएगी।

29.3 इस सीमा तक कि विदेशी मुद्रा जोखिम सीमित न हो, किसी संगत वर्ष में विदेशी मुद्रा ऋण से संबंधित ब्याज भुगतान और ऋण चुकौती के लिए रूपए में अतिरिक्त देयता आयोग द्वारा विवेकानुसार जांच के अधीन होगी।

30. मूल्यहास

30.1 मूल्यहास के उद्देश्य के लिए मूल्य आधार आयोग द्वारा स्वीकृत परिसंपत्ति की पूंजी लागत होगी:

बशर्ते यह भी कि सेवानिवृत्त या प्रतिस्थापित या गैर-पूंजीकृत परिसंपत्ति की अनुमोदित मूल लागत को कम करने के बाद मूल्यहास की अनुमति दी जाएगी:

बशर्ते कि उपभोक्ता अंशदान, जमा कार्य, पूंजीगत राजसहायता या अनुदान के माध्यम से वित्त पोषित संपत्तियों पर किसी मूल्यहास की अनुमति नहीं दी जाएगी।

30.2 परिसंपत्ति के निस्तारण मूल्य को 10% के रूप में विचार किया जाएगा और मूल्यहास की अनुमति परिसंपत्ति की पूंजी लागत के अधिकतम 90% तक दी जाएगी।

30.3 पट्टे पर रखी गई भूमि के अलावा, अन्य भूमि अवमूल्यन संपत्ति नहीं होगी और परिसंपत्तियों के अवमूल्यन मूल्य की गणना करते समय इसकी पूंजीगत लागत से इसे बाहर रखा जाएगा।

30.4 मौजूदा परिसंपत्तियों के मामले में, 1 अप्रैल, 2019 को शेष अवमूल्यन 31 मार्च, 2018 तक आयोग द्वारा स्वीकृत अनुसार संचयी मूल्यहास को घटाकर परिसंपत्तियों के सकल मूल्यहास मूल्य से किया जाएगा।

30.5 मूल्यहास वाणिज्यिक परिचालन के पहले वर्ष से किया जाएगा। वर्ष के दौरान परिसंपत्तियों के अनुमानित वाणिज्यिक परिचालन के मामले में, मूल्यहास परिसंपत्तियों के खुलने और बंद होने के औसत के आधार पर किया जाएगा:

बशर्ते कि आवेदक द्वारा पूंजीकृत परिसंपत्ति के दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष के समायोजन के दौरान होने वाली पूंजीकृत परिसंपत्तियों के समायोजन में मूल्यहास की पुनः गणना की जाएगी, जो आयोग के विवेकानुसार जांच के अधीन होगी।

30.6 ट्रांसमिशन लाइसेंसधारक के लिए, मूल्यहास की गणना ट्रांसमिशन प्रणाली के लिए प्रचलित सीईआरसी टैरिफ विनियमों में निर्दिष्ट दरों और मानदंडों पर की जाएगी।

30.7 वितरण लाइसेंसधारक के लिए मूल्यहास की गणना प्रति वर्ष की जाएगी, जो विनियम के परिशिष्ट I में निर्दिष्ट दरों पर परिसंपत्ति की उपयोगी आयु की तुलना में सीधी नियम पद्धति के आधार पर की जाएगी।

30.8 अनुमेय मूल्यहास के अलावा, वितरण लाइसेंसधारक मूल्यहास (एएडी) की तुलना में अग्रिम के लिए पात्र होंगे, जिसकी यहाँ नीचे दिए गए तरीके से गणना की गई है:

एएडी = ऋण (पूजीगत व्यय जुटाना) ऋण पुनर्भुगतान कार्यकाल के आधार पर पुनर्भुगतान राशि, जो इन विनियमों के आधार पर की गई गणना के अनुसार ऋण राशि के 1/10वें भाग की अधिकतम सीमा होगी जिसमें से मूल्यहास को घटाया जाएगा:

बशर्ते कि मूल्यहास की तुलना में अग्रिम की अनुमति केवल तभी दी जाएगी, जब किसी विशेष वर्ष तक संचयी पुनर्भुगतान उस वर्ष तक संचयी मूल्यहास से अधिक हो :

बशर्ते आगे यह कि एक वर्ष में मूल्यहास की तुलना में अग्रिम उस वर्ष तक संचयी पुनर्भुगतान और संचयी मूल्यहास के बीच अंतर की सीमा तक ही सीमित होगा।

30.9 वितरण लाइसेंसधारक नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष के दौरान जोड़ी गई परिसंपत्तियों की सूची और वार्षिक निष्पादन समीक्षा, समायोजन और आगामी वर्ष के लिए टैरिफ निर्धारण हेतु वर्ष याचिका सहित वर्ष में 90% मूल्यहास पूरा करने वाली संपत्तियों की सूची प्रदान करेगा।

30.10 वितरण लाइसेंसधारक के लिए शेष अवमूल्यन मूल्य का पूरे ऋण की चुकौती पर परिसंपत्ति की शेष उपयोगी आयु तक विस्तार किया जाएगा।

31. कार्यशील पूंजी पर ब्याज

31.1 ट्रांसमिशन लाइसेंसधारक के लिए कार्यशील पूंजी के मानदंड इन विनियमों के अध्याय 5 में निर्दिष्ट अनुसार होंगे।

31.2 डिस्ट्रीब्यूशन वॉयर व्यवसाय और खुदरा आपूर्ति व्यवसाय के लिए कार्यशील पूंजी के मानदंड इन विनियमों के अध्याय 6 और अध्याय 7 में निर्दिष्ट अनुसार होंगे।

31.3 कार्यशील पूंजी पर ब्याज मानक आधार पर देय होगा, भले ही लाइसेंसधारक ने किसी बाहरी एजेंसी से कार्यशील पूंजी ऋण नहीं लिया है या मानक आंकड़ों के आधार पर कार्यशील पूंजी ऋण को पार कर लिया है।

31.4 कार्यशील पूंजी पर ब्याज दर बराबर होगी (1) वर्ष भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) एमसीएलआर/ आरबीआई द्वारा अधिसूचित अनुसार किसी भी प्रतिस्थापन के लिए प्रभावी रूप से एक (1) वर्ष की अवधि के लिए लागू होने वाले समय हेतु वित्तीय वर्ष जिसमें 200 आधार अंक सहित याचिका दायर की गई है, 1 अप्रैल को लागू होगी।

32. आय पर कर

32.1 ट्रांसमिशन लाइसेंसधारक के लिए आय पर कर का उपचार प्रचलित सीईआरसी टैरिफ विनियमों के अनुसार होगा।

32.2 आयोग अपने एमईटी आदेश में वितरण लाइसेंसधारक के लिए उपलब्ध कराए गए वास्तविक लेखा-परीक्षित खातों, यदि कोई हो, के अनुसार उस पर उप-कर और अधिभार सहित भुगतान किए गए वास्तविक आयकर के आधार पर नियंत्रण अवधि, यदि कोई हो, के प्रत्येक वर्ष के लिए देय आयकर को अस्थायी रूप से स्वीकृति देगा जो विवेकानुसार जांच के अधीन होगा।

32.3 वितरण लाइसेंसधारकों के लाइसेंस-प्राप्त व्यवसाय की आय धारा पर, वास्तव में भुगतान किए गए आयकर के बीच भिन्नता, यदि कोई हो, और अनुमोदित, यदि कोई हो, की नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष की यात्रा के समय प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर वितरण लाइसेंसधारकों से प्रतिपूर्ति / वसूल की जाएगी, जो विवेकानुसार जांच के अधीन होगी।

32.4 उपभोक्ताओं से किसी भी राशि की अल्प वसूली या अधिक वसूली, जो ऐसे कर के कारण उन को दी गई है, को सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा प्रमाणित अनुसार आयकर अधिनियम, 1961 के तहत आयकर निर्धारण के आधार पर हर वर्ष समायोजित किया जाएगा। वितरण लाइसेंसधारक अपनी समायोजन याचिका में इस परिवर्तन को शामिल कर सकता है:

बशर्ते कि प्रमुख व्यवसाय के अलावा, किसी भी आय स्ट्रीम पर कर, टैरिफ में घटक के जरिए पास नहीं किया जाएगा और ऐसी अन्य आय पर कर को वितरण लाइसेंसधारक द्वारा वहन किया जाएगा।

33. छूट

33.1 बिलों के शुरुआती भुगतान के लिए वितरण लाइसेंसधारक को जेनरेटिंग कंपनी या ट्रांसमिशन लाइसेंसधारक द्वारा प्रदान की जाने वाली छूट मौजूदा सीईआरसी टैरिफ विनियमों के अनुसार होगी।

33.2 वितरण लाइसेंसधारक द्वारा अर्जित ऐसी छूट को वितरण लाइसेंसधारक के लिए गैर-टैरिफ आय के अंतर्गत माना जाएगा।

33.3 लाभार्थियों को जेनरेटिंग कंपनी या ट्रांसमिशन लाइसेंसधारक, जैसा भी मामला हो, द्वारा प्रदान की गई किसी भी छूट को जेनरेटिंग कंपनी या ट्रांसमिशन लाइसेंसधारक के खर्च के रूप में अनुमति नहीं दी जाएगी।

34. विलंब भुगतान अधिभार

- 34.1 यदि लाभार्थी द्वारा ट्रांसमिशन शुल्क के बिलों का भुगतान प्रचलित सीईआरसी टैरिफ विनियमों में निर्दिष्ट अवधि के बाद विलंब से होता है, तो मौजूदा सीईआरसी टैरिफ विनियमों के अनुसार बिल राशि पर विलंब भुगतान अधिभार लगाया जाएगा।
- 34.2 ट्रांसमिशन लाइसेंसधारक या वितरण लाइसेंसधारक द्वारा अर्जित विलंब भुगतान शुल्क को गैर-टैरिफ आय के तहत नहीं माना जाएगा।
- 34.3 ट्रांसमिशन लाइसेंसधारक या वितरण लाइसेंसधारक द्वारा अर्जित विलंब भुगतान पर ब्याज उपभोक्ताओं द्वारा विलंब से किए गए भुगतान के कारण लाइसेंसधारक द्वारा अपेक्षित अतिरिक्त कार्यशील पूंजी पर मानक ब्याज घटाने के बाद अपनी गैर-टैरिफ आय के अंतर्गत माना जाएगा।
- 34.4 जेनरेटिंग कंपनी या ट्रांसमिशन लाइसेंसधारक को वितरण लाइसेंसधारक द्वारा देय विलंब भुगतान शुल्क की ऐसे वितरण लाइसेंसधारक के व्यय के रूप में अनुमति नहीं दी जाएगी।

35. अन्य व्यवसाय से आय

- 35.1 जहां ट्रांसमिशन लाइसेंसधारी या वितरण लाइसेंसधारी किसी भी अन्य व्यवसाय में लगे हैं, वहां ऐसे व्यापार से आय की गणना समय-समय पर संशोधित गोवा और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग विनियम (ट्रांसमिशन लाइसेंसधारियों और वितरण लाइसेंसधारियों का अन्य व्यवसाय का उपचार) विनियम, 2009 के अनुसार की जाएगी और इसकी लाइसेंसधारक की कुल राजस्व आवश्यकता से कटौती की जाएगी:

बशर्ते कि लाइसेंसधारक ट्रांसमिशन या वितरण व्यवसाय और अन्य व्यवसाय के बीच सभी संयुक्त और सामान्य लागतों के आवंटन के लिए उचित आधार का पालन करेगा तथा समय-समय पर संशोधित गोवा और संघ शासित प्रदेशों के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (ट्रांसमिशन लाइसेंसधारक और वितरण लाइसेंसधारक के अन्य व्यवसाय का उपचार) विनियम, 2009 के अनुसार लेखांकन विवरण तैयार करेगा और उसे टैरिफ के निर्धारण के लिए आयोग को अपने आवेदन के साथ प्रस्तुत करेगा।

बशर्ते आगे यह कि जहां ऐसे अन्य व्यवसाय की प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लागतों की कुल राशि ऐसे अन्य व्यवसाय के राजस्व से अधिक हो, तो ऐसे अन्य व्यवसायों के कारण लाइसेंसधारक की कुल राजस्व आवश्यकता में कोई राशि जोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

अध्याय 4: उत्पादन**36. प्रयोज्यता**

- 36.1 इस अध्याय में निहित विनियम राज्य में स्थित जेनरेटिंग स्टेशन से वितरण लाइसेंसधारक को टैरिफ के निर्धारण या बिजली की आपूर्ति के लिए आवेदन करेगा।
- 36.2 आयोग को निम्नलिखित मामलों में जेनरेटिंग कंपनी द्वारा वितरण कंपनी को बिजली उत्पादन की आपूर्ति के लिए टैरिफ निर्धारित करने के लिए इस अध्याय में निहित निबंधन एवं शर्तों द्वारा निर्देशित किया जाएगा:
- (क) जहां ऐसा टैरिफ इन विनियमों की प्रभावकारिता की तारीख के बाद किए गए बिजली क्रय करार या व्यवस्था के अनुसार किया जाता है; या
- (ख) जहां ऐसे टैरिफ इन विनियमों की प्रभावकारिता की तारीख से पूर्व किए गए बिजली खरीद करार या व्यवस्था के अनुसार होते हैं और या तो आयोग द्वारा ऐसे समझौते / व्यवस्था का पूर्व में अनुमोदन नहीं किया गया है या ऐसे समझौते / व्यवस्था में यह परिकल्पना की गई हो कि टैरिफ आयोग द्वारा अधिसूचित टैरिफ विनियम पर आधारित होगा; या
- (ग) जहां वितरण लाइसेंसधारक बिजली उत्पादन के कारोबार में लगा हुआ है, वहां डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंसधारक के जेनरेटिंग स्टेशन द्वारा अपने खुदरा आपूर्ति व्यवसाय के लिए बिजली की आपूर्ति का मूल्य निर्धारित किया जाता है।
- 36.3 इस अध्याय 4 में निहित किसी बात के होते हुए, आयोग ऐसे टैरिफ को केंद्र सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार बोली लगाने की पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से निर्धारित किया जाएगा।

37. टैरिफ के घटक

- 37.1 जेनरेशन कंपनी के लिए कुल राजस्व आवश्यकता में निम्नलिखित घटक शामिल होंगे:

- क) इक्विटी पर प्रतिलाभ;
- ख) ऋण पर ब्याज और वित्त प्रभार;

- ग) मूल्यहास;
- घ) कार्यशील पूंजी पर ब्याज;
- ड.) संचालन और रखरखाव खर्च;
- च) आय कर।
- 37.2 उपर्युक्त घटकों में से प्रत्येक का उपचार विद्युत उत्पादन को नियंत्रित करने वाले प्रचलित सीईआरसी टैरिफ विनियमों के अनुसार होगा।
- 37.3 जेनरेशन कंपनी के लिए कुल राजस्व आवश्यकता और ईंधन लागत की वसूली बिजली के उत्पादन को नियंत्रित करने वाले प्रचलित सीईआरसी टैरिफ विनियमों के अनुसार होगी।

38. प्रचालन के मानदंड

- 38.1 सामान्य वार्षिक संयंत्र उपलब्धता कारक (एनएपीएएफ), सामान्य वार्षिक संयंत्र लोड फैक्टर (एनएपीएलएफ), सकल स्टेशन ताप दर, सहायक खपत इत्यादि सहित जनरेटिंग स्टेशन के लिए प्रचालन के मानक बिजली के उत्पादन को नियंत्रित करने वाले प्रचलित सीईआरसी टैरिफ विनियमों के अनुसार होंगे।

अध्याय 5: अंतर-राज्य ट्रांसमिशन

39. प्रयोज्यता

- 39.1 इस अध्याय में निहित विनियम राज्यों में अंतर-राज्य ट्रांसमिशन प्रणाली की पहुंच और उपयोग के लिए टैरिफ के निर्धारण पर लागू होंगे।

40. टैरिफ के घटक

- 40.1 नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक ट्रांसमिशन शुल्क में नियंत्रण अवधि के संबंधित वित्तीय वर्ष के लिए ट्रांसमिशन लाइसेंसधारक की कुल राजस्व आवश्यकता की वसूली का प्रावधान होगा, जिसे समय-समय पर संशोधित गोवा और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (कनेक्टिविटी और अंतर-राज्य ट्रांसमिशन एवं वितरण में ओपन एक्सेस) विनियम, 2017 के अनुसार गैर-टैरिफ आय, अन्य व्यवसाय से आय और पिछले वर्ष के अन्य व्यापार से प्राप्त आय में से घटाया जाएगा:

बशर्ते कि अधिनियम की धारा 63 के अनुपालन में प्रतिस्पर्धात्मक रूप से प्रदत्त ट्रांसमिशन प्रणाली परियोजनाओं के मामले में और ट्रांसमिशन के लिए प्रतिस्पर्धी बोली लगाने संबंधी दिशानिर्देशों के अनुसार, वार्षिक प्रतिस्पर्धा सेवा शुल्क प्रतिस्पर्धात्मक रूप से प्रदत्त ट्रांसमिशन परियोजनाओं द्वारा उद्धृत वार्षिक ट्रांसमिशन सेवा शुल्क (टीएससी) के अनुसार होगा।

- 40.2 ट्रांसमिशन लाइसेंसधारक के वार्षिक ट्रांसमिशन शुल्क को आयोग द्वारा इन विनियमों के अध्याय 2 के अनुसार ट्रांसमिशन लाइसेंसधारक द्वारा किए गए कुल राजस्व आवश्यकता के निर्धारण के लिए आवेदन के आधार पर निर्धारित किया जाएगा।

- 40.3 ट्रांसमिशन लाइसेंसधारक के लिए कुल राजस्व आवश्यकता निम्नलिखित घटकों में शामिल होगी:

- क) लाभांश;
- ख) मूल्यहास;
- ग) ऋण पूंजी पर ब्याज और वित्त शुल्क;
- घ) ट्रांसमिशन प्रणाली प्रयोक्ता से कार्यशील पूंजी और जमा पर ब्याज;
- ड.) संचालन और रखरखाव खर्च;
- च) आय कर

घटा:

- छ) समय-समय पर यथा-संशोधित गोवा और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (अंतर-राज्य ट्रांसमिशन एवं वितरण में कनेक्टिविटी और ओपन एक्सेस) विनियम, 2017 के अनुसार ओपन एक्सेस शुल्क से आय;
- ज) गैर-टैरिफ आय;

झ) इन विनियमों में निर्दिष्ट सीमा तक अन्य विनियमों से आय:

बशर्ते कि इक्विटी पर प्रतिलाभ, ऋण पर ब्याज, मूल्यहास, कार्यशील पूंजी पर ब्याज और ट्रांसमिशन प्रणाली प्रयोक्ताओं से जमा राशि और ट्रांसमिशन लाइसेंसधारकों के लिए आयकर पर इन विनियमों के अध्याय 3 में निर्दिष्ट प्रावधानों के अनुसार अनुमति दी जाएगी:

बशर्ते कि पूर्व अवधि आय / व्यय आयोग द्वारा लेखा-परीक्षित खातों के आधार पर समायोजन के समय, मामला-दर-मामला आधार पर, विवेकानुसार जांच के अधीन होगा।

41. ट्रांसमिशन लाइसेंसधारियों के लिए प्रचालन और रखरखाव (ओएंडएम) व्यय

41.1 प्रचालन और रखरखाव (ओ एंड एम) व्यय में निम्नलिखित शामिल होंगे:

- क) कर्मचारी व्यय - वेतन, मजदूरी, पेंशन अंशदान और अन्य कर्मचारी लागत;
- ख) बीमा शुल्क, यदि कोई हो, सहित प्रशासनिक और सामान्य व्यय; तथा
- ग) मरम्मत और रखरखाव व्यय।

41.2 ट्रांसमिशन लाइसेंसधारक बहु वर्षीय टैरिफ याचिका के भाग के रूप में नियंत्रण अवधि के लिए आवश्यक ओएंडएम व्यय प्रस्तुत करेगा। आधार वर्ष के लिए ओएंडएम व्यय को आयोग द्वारा नवीनतम उपलब्ध लेखा-परीक्षित खातों, ट्रांसमिशन लाइसेंसधारक द्वारा दायर की गई व्यावसायिक योजना, आधार वर्ष के लिए वास्तविक अनुमान, विवेकानुसार जांच और आयोग द्वारा उपयुक्त माने जाने वाली अन्य कारकों को ध्यान में रखते हुए अनुमोदित किया जाना चाहिए।

41.3 नियंत्रण अवधि के एन^{वें} वर्ष के लिए ओएंडएम व्यय नीचे दिए गए सूत्र के आधार पर अनुमोदित किया जाएगा :

$$\text{ओएंडएम}_{\text{एन}} = (\text{आरएंडएम}_{\text{एन}} + \text{ईएमपी}_{\text{एन}} + \text{एंडजी}_{\text{एन}}) \times (1 - X_{\text{एन}}) + \text{टर्मिनल देयताएं}$$

जहां,

$$\text{आरएंडएम}_{\text{एन}} = \text{के} \times \text{जीएफए}_{\text{एन-1}} \times (\text{डब्ल्यूपीआई}_{\text{मुद्रास्फीति}})$$

$$\text{ईएमपी}_{\text{एन}} = (\text{ईएमपी}_{\text{एन-1}}) \times (1 + \text{जी}_{\text{एन}}) \text{ एक्स (सीपीआई}_{\text{मुद्रास्फीति}})$$

$$\text{एंडजी}_{\text{एन}} = (\text{एंडजी}_{\text{एन-1}}) \times (\text{सीपीआई}_{\text{मुद्रास्फीति}})$$

'के' स्थिर है (% में अभिव्यक्त) नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष के लिए 'के' का मूल्य आयोग द्वारा विगत में अनुमोदित जीएफए और आयोग द्वारा उपयुक्त समझे गए किसी भी अन्य कारक की तुलना में आयोग द्वारा बहु वर्षीय टैरिफ ऑर्डर में लाइसेंसधारक की फाइलिंग, मरम्मत और रखरखाव व्यय की बेंचमार्किंग, अनुमोदित मरम्मत और रखरखाव व्यय के आधार पर अनुमोदित किया जाएगा;

सीपीआई_{मुद्रास्फीति} - आधार वर्ष से तत्काल पहले तीन (3) वर्ष के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) में औसत वृद्धि है;

डब्ल्यूपीआई_{मुद्रास्फीति} - थोक मूल्य सूचकांक (सीपीआई) आधार वर्ष से तत्काल पहले तीन (3) वर्ष में हुई औसत वृद्धि है;

ईएमपी_{एन} - एन^{वें} वर्ष के लिए ट्रांसमिशन लाइसेंसधारक का कर्मचारी व्यय;

एंडजी_{एन} - एन^{वें} वर्ष के लिए ट्रांसमिशन लाइसेंसधारक का प्रशासनिक और सामान्य व्यय;

आरएंडएम_{एन} - एन^{वें} वर्ष के लिए ट्रांसमिशन लाइसेंसधारक का मरम्मत और रखरखाव व्यय;

जीएफए_{एन-1} - एन-1^{वें} वर्ष के लिए ट्रांसमिशन लाइसेंसधारक की सकल नियत परिसंपत्ति;

X_{एन} एन^{वें} वर्ष के लिए एक दक्षता कारक है। X_{एन} का मूल्य बहु वर्षीय टैरिफ आर्डर में आयोग द्वारा लाइसेंसधारक की फाइलिंग, बेंचमार्किंग, विगत में आयोग द्वारा अनुमोदित लागत और आयोग के विचार में उपयुक्त समझे जाने वाले किसी अन्य कारक को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किया जाएगा;

जी_{एन} एन^{वें} वर्ष के लिए एक दक्षता कारक है। जी_{एन} का मूल्य अतिरिक्त जनशक्ति की आवश्यकता को पूरा करने के लिए बहु वर्षीय टैरिफ आर्डर में आयोग द्वारा लाइसेंसधारक की फाइलिंग, बेंचमार्किंग, विगत में आयोग द्वारा अनुमोदित लागत और आयोग के विचार में उपयुक्त समझे जाने वाले किसी अन्य कारक को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किया जाएगा;

41.4 पेंशन व्यय आदि सहित लाइसेंसधारक के कर्मचारियों की आवधिक देयताओं को लाइसेंसधारक द्वारा प्रस्तुत वास्तविकता के अनुसार अनुमोदित किया जाएगा, जो विवेकपूर्ण जांच के अधीन होगी या जिसे वास्तविक अध्ययन के माध्यम से स्थापित

किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, वेतन आयोग द्वारा संस्तुत परिवर्तनों के कारण किसी भिन्नता को आयोग द्वारा अलग से अनुमति दी जाएगी, जो विवेकपूर्ण जांच के अधीन होगी।

41.5 आकलन के उद्देश्य के लिए, कारकों का समान मूल्य - सीपीआईमुद्रास्फीति और डब्ल्यूपीआईमुद्रास्फीति का उपयोग नियंत्रण अवधि के सभी वर्षों के लिए किया जाएगा। तथापि, आयोग कारकों के वास्तविक मान पर विचार करेगा - वर्ष, जिसके लिए समायोजन किया जा रहा है, के लिए समायोजन प्रक्रिया के दौरान सीपीआईमुद्रास्फीति और डब्ल्यूपीआईमुद्रास्फीति और केवल मुद्रास्फीति के लिए उस वर्ष के ओएंडएम व्यय का समायोजन।

41.6 नए ट्रांसमिशन लाइसेंसधारक के लिए, वर्ष-वार ओएंडएम मानदंडों को मामला दर मामला के आधार पर निर्धारित किया जाएगा:

बशर्ते कि वे उन नई परियोजनाओं पर लागू नहीं होंगे, जिन्हें प्रतिस्पर्धी बोली-प्रक्रिया के आधार पर दिया जाता है।

टिप्पणी: "नया ट्रांसमिशन लाइसेंसधारक" शब्द का अर्थ ट्रांसमिशन लाइसेंसधारक होगा, जिसके लिए आयोग द्वारा इन विनियमों की प्रभावकारिता की तारीख के बाद आयोग द्वारा ट्रांसमिशन लाइसेंस दिया जाता है, और जिनकी ट्रांसमिशन परियोजना परिसंपत्तियां 31 मार्च, 2018 के बाद शुरू की जाती हैं।

42. ट्रांसमिशन लाइसेंसधारक के लिए कार्यशील पूंजी के मानदंड

42.1 ट्रांसमिशन लाइसेंसधारक को मौजूदा सीईआरसी टैरिफ विनियमों के अनुसार गणना किए गए वित्तीय वर्ष के लिए कार्यशील पूंजी के अनुमानित स्तर पर ब्याज लेने की अनुमति दी जाएगी।

43. गैर-टैरिफ आय

43.1 ट्रांसमिशन लाइसेंसधारक के वार्षिक ट्रांसमिशन शुल्कों को निर्धारित करने में आयोग द्वारा अनुमोदित अनुसार ट्रांसमिशन व्यवसाय से संबंधित गैर-टैरिफ आय की राशि की कुल राजस्व आवश्यकता से कटौती की जाएगी:

बशर्ते कि ट्रांसमिशन लाइसेंसधारक कुल राजस्व आवश्यकता के निर्धारण के लिए अपने आवेदन के साथ आयोग को गैर-टैरिफ आय के पूर्वानुमान का पूर्ण विवरण प्रस्तुत करेगा।

43.2 गैर-टैरिफ आय में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल होंगे:

- क) भूमि या भवनों पर किराए से आय;
- ख) कबाड़ की बिक्री से आय;
- ग) सांविधिक निवेश से आय;
- घ) आपूर्तिकर्ताओं / ठेकेदारों को अग्रिम पर ब्याज;
- ड.) स्टाफ क्वार्टर से किराया;
- च) ठेकेदारों से किराया;
- छ) ठेकेदारों और अन्यो से किराया शुल्क से आय;
- ज) विज्ञापनों से आय, आदि;
- झ) समानांतर प्रचालन शुल्क जैसे विविध प्राप्तियां;
- ञ) वार्षिक खातों के अनुसार अनुदान, राजसहायता आदि से आस्थगित आय;
- ट) भौतिक सत्यापन पर पाई गई अतिरिक्त आय;
- ठ) निवेश, नियत और कॉल डिपॉजिट और बैंक बैलेंस पर ब्याज;
- ड) पूर्व अवधि आय, आदि:

बशर्ते कि ट्रांसमिशन लाइसेंसधारक के लाइसेंस प्राप्त व्यवसाय से संबंधित इक्विटी पर प्रतिलाभ में से किए गए निवेश से अर्जित ब्याज / लाभान्श गैर-टैरिफ आय में शामिल नहीं किया जाएगा।

44. ट्रांसमिशन लाइसेंसधारक के लिए प्रचालन के मानदंड

44.1 ट्रांसमिशन लाइसेंसधारक के लिए प्रचालन के मानदंड प्रचलित सीईआरसी टैरिफ विनियमों में निर्दिष्ट अनुसार लागू होंगे।

बशर्ते कि प्रचालनों के मानदंडों से अधिक आय होने पर प्रोत्साहन, यदि कोई हो, को लाभार्थियों के साथ साझा किया जाना प्रचलित सीईआरसी टैरिफ विनियमों के प्रावधानों के अनुसार होगा।

45. ट्रांसमिशन हानि

45.1 राज्य लोड प्रेषण केंद्र द्वारा निर्धारित अनुसार ट्रांसमिशन लाइसेंसधारक की ट्रांसमिशन प्रणाली में ऊर्जा हानि, अंतर-राज्य ट्रांसमिशन प्रणाली के उसके उपयोग के अनुपात में ट्रांसमिशन प्रणाली उपयोगकर्ताओं द्वारा वहन की जाएगी।

46. अंतर-राज्य ट्रांसमिशन नेटवर्क के लिए शुल्क साझा करना

46.1 आयोग द्वारा अनुमोदित अनुसार ट्रांसमिशन लाइसेंसधारी की सकल राजस्व आवश्यकता को निम्नलिखित सूत्र के अनुसार कुल आवंटित ट्रांसमिशन क्षमता की तुलना में मासिक आधार पर उनके संबंधित आवंटित ट्रांसमिशन क्षमता के अनुपात में सभी दीर्घावधि उपयोगकर्ताओं और पारेषण प्रणाली के मध्यम अवधि के उपयोगकर्ताओं द्वारा साझा किया जाएगा:

$$\text{एटीसीएल} = (\text{ट्रांसमिशन एआरआर}/12) \times (\text{सीसीएल} / \text{एससीसी})$$

जहां,

एटीसीएल = ट्रांसमिशन प्रणाली के एन^{बै} दीर्घावधि उपयोगकर्ता या मध्यम अवधि उपयोगकर्ता द्वारा देय वार्षिक ट्रांसमिशन शुल्क;

ट्रांसमिशन एआरआर = इन विनियमों के अनुसार निर्धारित ट्रांसमिशन लाइसेंसधारी की सकल राजस्व आवश्यकता;

सीसीएल = ट्रांसमिशन प्रणाली के एन^{बै} दीर्घावधि उपयोगकर्ता या मध्यम अवधि उपयोगकर्ता द्वारा आवंटित ट्रांसमिशन क्षमता;

एससीसी = ट्रांसमिशन प्रणाली के सभी दीर्घावधि उपयोगकर्ता या मध्यम अवधि उपयोगकर्ता द्वारा आवंटित ट्रांसमिशन क्षमता का योग;

बशर्ते कि एटीसीएल का भुगतान ट्रांसमिशन प्रणाली के प्रत्येक दीर्घावधि उपयोगकर्ता या मध्यम अवधि उपयोगकर्ता द्वारा मासिक आधार पर किया जाएगा और इसे राज्य ट्रांसमिशन यूटिलिटी (एसटीयू) द्वारा एकत्र किया जाएगा।

46.2 अल्पावधि ओपन एक्सेस उपभोक्ता समय-समय पर यथा संशोधित गोवा और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (अंतर-राज्य ट्रांसमिशन एवं वितरण में कनेक्टिविटी और ओपन एक्सेस) विनियम, 2017 के लिए के अनुसार रुपए / मेगावाट / दैनिक आधार पर ट्रांसमिशन शुल्क का भुगतान करेंगे।

46.3 एस हॉर्ट-टर्म ओपन एक्सेस उपभोक्ताओं से एकत्रित 75% शुल्क एल ओएनजी टर्म और एम एडियम-टर्म ओपन एक्सेस उपभोक्ताओं द्वारा देय शुल्कों में कमी के लिए समायोजित किया जाएगा। एस हॉर्ट-टर्म ओपन एक्सेस उपभोक्ताओं से एकत्र किए गए शुल्कों का शेष 25% ट्रांसमिशन लाइसेंसधारक द्वारा बनाए रखा जाएगा।

47. भारत सरकार की किसी योजना का परिणामी प्रभाव

47.1 अन्य संस्थाओं द्वारा देय ट्रांसमिशन शुल्क पर किसी भी कंपनी/ कंपनियों के लिए ट्रांसमिशन शुल्क, प्रोत्साहन, और हानि को माफ / कम करने के लिए भारत सरकार की किसी योजना के परिणामी प्रभाव को आयोग द्वारा समय-समय पर जारी किए जाने वाले अलग-अलग आदेशों के माध्यम से समाधान किया जाएगा।

अध्याय 6: डिस्ट्रीब्यूशन वॉयर व्यापार

48. वितरण लाइसेंसधारक के खातों का पृथक्करण

48.1 प्रत्येक वितरण लाइसेंसधारक डिस्ट्रीब्यूशन वॉयर व्यापार और खुदरा आपूर्ति व्यापार के लिए अलग-अलग खाते खोलेगा और एक आवंटन विवरण तैयार करेगा। वितरण लाइसेंसधारी के डिस्ट्रीब्यूशन वॉयर व्यापार से संबंधित व्हीलिंग शुल्क का निर्धारण इन पृथक खातों के आधार पर आयोग द्वारा निर्धारित किया जाएगा:

बशर्ते कि यदि पूर्ण लेखांकन पृथक्करण नहीं किया गया है, तो निम्नलिखित आवंटन विवरण लागू होगा:

तालिका 1: डिस्ट्रीब्यूशन वॉयर व्यापार और खुदरा आपूर्ति व्यापार के पृथक्करण के लिए आवंटन विवरण

| विवरण | वॉयर व्यापार (%) | खुदरा आपूर्ति व्यापार (%) |
|-----------------------------|------------------|---------------------------|
| बिजली खरीद व्यय | 0% | 100% |
| अंतर-राज्य ट्रांसमिशन शुल्क | 0% | 100% |

| | | |
|---|-----|------|
| अंतर-राज्य ट्रांसमिशन शुल्क | 0% | 100% |
| कर्मचारी व्यय | 40% | 60% |
| प्रशासन और सामान्य व्यय | 50% | 50% |
| मरम्मत और रखरखाव व्यय | 90% | 10% |
| पूंजी लागत | 90% | 10% |
| मूल्यह्रास | 90% | 10% |
| दीर्घकालिक ऋण पूंजी पर ब्याज | 90% | 10% |
| कार्यशील पूंजी और उपभोक्ता सुरक्षा जमा पर ब्याज | 10% | 90% |
| अशोध्य ऋण को बट्टे खाते में डालना | 0% | 100% |
| आय कर | 90% | 10% |
| गैर-टैरिफ आय | 10% | 90% |
| अन्य व्यवसाय से आय | 50% | 50% |

बशर्ते आगे यह कि उपर्युक्त आवंटन विवरण व्यय और राजस्व के सभी या किसी भी शीर्ष के लिए लागू होगा, जहां डिस्ट्रीब्यूटशन वॉयर व्यापार और खुदरा आपूर्ति व्यापार के बीच वास्तविक लेखांकन पृथक्करण नहीं किया गया है।

49. प्रयोज्यता

49.1 इस अध्याय में निहित विनियम खुदरा आपूर्ति उपभोक्ताओं के अलावा वितरण प्रणाली उपयोगकर्ताओं द्वारा वितरण लाइसेंसधारी के डिस्ट्रीब्यूटशन वॉयर के प्रयोग हेतु वहीलिंग प्रभारों के निर्धारण पर लागू होंगे।

50. वितरण वॉयर व्यापार के लिए कुल राजस्व आवश्यकता

50.1 वितरण लाइसेंसधारी के डिस्ट्रीब्यूटशन वॉयर व्यापार के लिए वहीलिंग प्रभार सकल राजस्व आवश्यकता, जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे, की वसूली उपलब्ध कराएगा:

- इक्विटी पर प्रतिलाभ;
- ऋण पर ब्याज और वित्त प्रभार;
- मूल्यह्रास;
- कार्यशील पूंजी पर ब्याज और वितरण प्रणाली उपयोगकर्ता की जमा राशि;
- प्रचालन और रखरखाव व्यय;
- आय कर;

घटा:

- गैर-टैरिफ आय;
- इन विनियमों में निर्दिष्ट सीमा तक अन्य व्यवसाय से आय:

बशर्ते कि इक्विटी पर प्रतिलाभ, ऋण पूंजी पर ब्याज, मूल्यह्रास, कार्यशील पूंजी पर ब्याज, उपभोक्ताओं और वितरण प्रणाली उपयोगकर्ता के जमा पर ब्याज, और डिस्ट्रीब्यूटशन वॉयर व्यापार के लिए आयकर की इन विनियमों के अध्याय 3 में विनिर्दिष्ट प्रावधानों के अनुसार अनुमति दी जाएगी:

बशर्ते आगे यह कि पूर्व अवधि की आय / व्यय को आयोग द्वारा लेखा-परीक्षित खातों के आधार पर समायोजन के समय मामला-दर-मामला आधार पर अनुमति दी जाएगी, जो विवेकानुसार जांच के अधीन होगी:

बशर्ते यह भी कि आयोग, न्यायालयों, उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, और लोकपाल, आदि के आदेशों के परिणामस्वरूप निष्पादन के किसी मानक को पूरा करने में विफलता के लिए किसी पार्टी को लाइसेंसधारी द्वारा देय सभी दण्ड या मुआवजा की कुल राजस्व आवश्यकता के माध्यम से वसूली की अनुमति नहीं दी जाएगी:

बशर्ते कि वितरण लाइसेंसधारक लाइसेंसधारक द्वारा ऐसे दंड और देय भुगतान या मुआवजे, यदि कोई हो, का अलग-अलग विवरण रखेगा, और उन्हें अपनी याचिका के साथ आयोग को प्रस्तुत करेगा।

51. डिस्ट्रीब्यूटशन वॉयर व्यापार का प्रचालन और रखरखाव (ओएंडएम) व्यय

51.1 डिस्ट्रीब्यूटशन वॉयर व्यापार के प्रचालन और रखरखाव व्यय की इस विनियमन के अनुसार गणना की जाएगी।

51.2 प्रचालन और रखरखाव (ओ एंड एम) व्यय में निम्नलिखित शामिल होंगे:

- क) कर्मचारी व्यय - वेतन, मजदूरी, पेंशन अंशदान और अन्य कर्मचारी लागत;
- ख) बीमा प्रभार, यदि कोई हो, सहित प्रशासनिक और सामान्य व्यय; तथा
- ग) मरम्मत और रखरखाव व्यय।

51.3 वितरण लाइसेंसधारक बहु वर्षीय टैरिफ याचिका के भाग के रूप में नियंत्रण अवधि के लिए अपेक्षित ओएंडएम व्यय प्रस्तुत करेगा। आधार वर्ष के लिए ओएंडएम व्यय को आयोग द्वारा नवीनतम उपलब्ध लेखापरीक्षित खातों, ट्रांसमिशन लाइसेंस द्वारा प्रस्तुत व्यवसाय योजना, आधार वर्ष के लिए वास्तविक अनुमान, विवेकानुसार जांच और आयोग द्वारा उपयुक्त समझे जाने वाले अन्य कोई कारक।

51.4 नियंत्रण अवधि के एन^{वें} वर्ष के लिए ओएंडएम व्यय को नीचे दिए गए सूत्र के आधार पर अनुमोदित किया जाएगा:

$$\text{ओएंडएम}_{\text{एन}} = (\text{आरएंडएम}_{\text{एन}} + \text{ईएमपी}_{\text{एन}} + \text{एएंडजी}_{\text{एन}}) \times (1 - \text{एक्स}_{\text{एन}}) + \text{टर्मिनल देयताएं}$$

जहां,

$$\text{आरएंडएम}_{\text{एन}} = \text{के} \times \text{जीएफए}_{\text{एन-1}} \times (\text{डब्ल्यूपीआई}_{\text{मुद्रास्फीति}})$$

$$\text{ईएमपी}_{\text{एन}} = (\text{ईएमपी}_{\text{एन-1}}) \times (1 + \text{जी}_{\text{एन}}) \times (\text{सीपीआई}_{\text{मुद्रास्फीति}})$$

$$\text{एएंडजी}_{\text{एन}} = (\text{एएंडजी}_{\text{एन-1}}) \times (\text{सीपीआई}_{\text{मुद्रास्फीति}})$$

'के' स्थिर है (% में व्यक्त)। नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष के लिए 'के' का मूल्य आयोग द्वारा उपयुक्त माने जाने वाले किसी भी अन्य कारक की तुलना में लाइसेंसधारक की फाइलिंग, मरम्मत और रखरखाव व्यय की बेंचमार्किंग, अनुमोदित मरम्मत एवं रखरखाव व्यय के आधार पर बहु वर्षीय टैरिफ आर्डर के आधार पर निर्धारित किया जाएगा;

सीपीआई_{मुद्रास्फीति} - आधार वर्ष से पहले तत्काल पूर्व तीन (3) वर्ष के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) में औसत वृद्धि है;

डब्ल्यूपीआई_{मुद्रास्फीति} - आधार वर्ष से पहले तत्काल पूर्व तीन (3) वर्ष के लिए थोक बिक्री सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) में औसत वृद्धि है;

ईएमपी_{एन} - एन^{वें} वर्ष के लिए वितरण लाइसेंसधारक का कर्मचारी व्यय;

एएंडजी_{एन} - वितरण लाइसेंसधारी का एन^{वें} वर्ष के लिए प्रशासनिक और सामान्य व्यय;

आरएंडएम_{एन} - एन^{वें} वर्ष के लिए वितरण लाइसेंसधारक का मरम्मत एवं रखरखाव व्यय;

जीएफए_{एन-1} - एन-1^{वें} वर्ष के लिए ट्रांसमिशन लाइसेंसधारक की सकल नियत परिसंपत्ति;

एक्स_{एन} एन^{वें} वर्ष के लिए एक दक्षता कारक है। एक्स_{एन} के मूल्य को आयोग द्वारा लाइसेंसधारक की फाइलिंग, बेंचमार्किंग, विगत में आयोग द्वारा अनुमोदित लागत और अन्य कारक, जो आयोग द्वारा उपयुक्त समझे जाएं, के आधार पर बहु वर्षीय टैरिफ आर्डर में प्रत्येक वर्ष के लिए निर्धारित किया जाएगा;

जी_{एन} एन^{वें} वर्ष के लिए एक विकास कारक है। आयोग द्वारा जी_{एन} का मूल्य प्रत्येक वर्ष के लिए बहु वर्षीय टैरिफ आदेश के आधार पर अतिरिक्त मानव शक्ति की आवश्यकता की पूर्ति के लिए लाइसेंसधारी की फाइलिंग, बेंच मार्किंग, विगत में आयोग द्वारा अनुमोदित लागत और किसी भी अन्य कारक, जो आयोग द्वारा उचित माने जाते हैं, के आधार पर निर्धारित किया जाएगा;

बशर्ते कि यदि वितरण लाइसेंसधारक इन विनियमों की प्रभावकारिता की तारीख को तीन (3) वर्ष से कम के लिए प्रचालन में है, तो ओएंडएम व्यय का मामला दर मामला आधार पर निर्धारण किया जाएगा।

51.5 पेंशन व्यय आदि सहित लाइसेंसधारक के कर्मचारियों की आवधिक देयताओं को लाइसेंसधारक द्वारा प्रस्तुत वास्तविक दावे के अनुसार अनुमोदित किया जाएगा, जो विवेकपूर्ण जांच के अधीन होंगे या उन्हें वास्तविक अध्ययन के माध्यम से स्थापित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, वेतन आयोग द्वारा अनुशासित परिवर्तनों के कारण कोई भिन्नता होने पर आयोग द्वारा इसकी अलग से अनुमति दी जाएगी, जो विवेकपूर्ण जांच के अधीन होगी।

51.6 आकलन के उद्देश्य के लिए, कारकों - सीपीआईमुद्रास्फीति और डब्ल्यूपीआईमुद्रास्फीति के समान मूल्य का उपयोग नियंत्रण अवधि के सभी वर्षों के लिए किया जाएगा। हालांकि, आयोग वर्ष, जिसके लिए समायोजन किया जा रहा है, के लिए वर्ष की समायोजन प्रक्रिया के दौरान कारकों - सीपीआईमुद्रास्फीति और डब्ल्यूपीआईमुद्रास्फीति के वास्तविक मूल्यों पर विचार करेगा और उस वर्ष के लिए ओएंडएम व्यय का समायोजन केवल मुद्रास्फीति के लिए ही करेगा।

52. डिस्ट्रीब्यूशन वॉयर व्यापार के लिए कार्यशील पूंजी के मानक

52.1 वितरण लाइसेंसधारक को वित्तीय वर्ष के लिए डिस्ट्रीब्यूशन वॉयर व्यापार के लिए कार्यशील पूंजी के अनुमानित स्तर पर ब्याज की अनुमति दी जाएगी, जिसकी निम्नानुसार गणना की जाएगी:

- क) एक (1) महीने के लिए ओएंडएम व्यय; तथा
- ख) 40% मरम्मत के लिए रखरखाव के स्पेयर पुर्जे तथा एक (1) माह के लिए रखरखाव व्यय; तथा
- ग) मौजूदा टैरिफ पर डिस्ट्रीब्यूशन वॉयरो के उपयोग के प्रभारों से अनुमानित राजस्व के दो (2) माह के बराबर प्राप्तियां;

घटा

घ) बैंक गारंटी के रूप में रखी गई जमानत राशि को छोड़कर, वितरण प्रणाली के उपयोगकर्ताओं से अधिनियम की धारा 47 के उप-धारा (1) के खंड (ख) के तहत जमानत राशि, यदि कोई हो।

बशर्ते कि किसी भी वर्ष का समायोजन करते समय, कार्यशील पूंजी आवश्यकता की आयोग द्वारा अनुमोदित कार्यशील पूंजी के घटकों के मूल्यों के आधार पर फिर से गणना की जाएगी।

53. गैर-टैरिफ आय

53.1 आयोग द्वारा अनुमोदित अनुसार डिस्ट्रीब्यूशन वॉयर व्यापार से संबंधित गैर-टैरिफ आय की राशि की वितरण लाइसेंसधारक के डिस्ट्रीब्यूशन वॉयर व्यापार के व्हीलिंग शुल्कों को निर्धारित करते समय कुल राजस्व आवश्यकता से कटौती की जाएगी:

बशर्ते कि वितरण लाइसेंसधारक व्हीलिंग शुल्क को समाप्त करने के लिए अपने आवेदन के साथ आयोग को गैर-टैरिफ आय के अपने पूर्वानुमान का पूरा विवरण प्रस्तुत करेगा।

53.2 गैर-टैरिफ आय में अन्य के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल होंगे:

- क) भूमि या भवनों के किराए से आय;
- ख) कबाड़ की बिक्री से आय;
- ग) सांविधिक निवेश से आय;
- घ) आकस्मिक आरक्षित निवेश पर ब्याज से आय;
- ङ.) आपूर्तिकर्ताओं / ठेकेदारों को दिए गए अग्रिम पर ब्याज;
- च) स्टाफ क्वार्टर से किराया;
- छ) ठेकेदारों से किराया;
- ज) ठेकेदारों और अन्य लोगों से किराया शुल्क से आय;
- झ) विज्ञापनों से आय, आदि;
- ञ) विविध प्राप्तियां;
- ट) भौतिक सत्यापन पर पाई गई अतिरिक्त आय;
- ठ) वार्षिक खातों के अनुसार अनुदान, सब्सिडी आदि से आस्थगित आय;
- ड) पूर्व अवधि आय, आदि:

बशर्ते कि वितरण लाइसेंस के डिस्ट्रीब्यूशन वॉयरो के व्यापार से संबंधित इक्विटी पर प्रतिलाभ से किए गए निवेश से अर्जित ब्याज / लाभांश में गैर-टैरिफ आय को शामिल नहीं किया जाएगा।

54. व्हीलिंग शुल्क का निर्धारण

54.1 आयोग अधिनियम के धारा 64 की उप-धारा (3) के अंतर्गत पारित आदेश में वितरण लाइसेंसधारक के डिस्ट्रीब्यूशन वॉयर व्यापार का व्हीलिंग प्रभार निर्दिष्ट करेगा:

बशर्ते कि उपर्युक्त प्रावधानों के अंतर्गत खुदरा उपभोक्ताओं के अलावा, समय-समय पर संशोधित गोवा और संघ शासित प्रदेशों के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (अंतर-राज्य ट्रांसमिशन एवं वितरण में कनेक्टिविटी और ओपन एक्सेस) विनियमन, 2017 के अनुसार वितरण प्रणाली के उपयोगकर्ताओं द्वारा भुगतान किए गए व्हीलिंग शुल्क से प्राप्त राजस्व का उपयोग संबंधित वितरण लाइसेंसधारक के खुदरा उपभोक्ताओं से वसूले जाने वाले डिस्ट्रीब्यूशन वॉयर व्यापार की कुल राजस्व आवश्यकता को कम करने के लिए किया जाएगा।

55. व्हीलिंग हानि

55.1 वितरण लाइसेंसधारी को संबंधित टैरिफ आदेश में निर्धारित अनुसार, वितरण प्रणाली के प्रचालन से होने वाली व्हीलिंग हानि के अनुमोदित स्तर तक, वस्तु में, वसूली करने की अनुमति दी जाएगी।

अध्याय 7: बिजली की खुदरा आपूर्ति**56. प्रयोज्यता**

56.1 ये विनियम अपने उपभोक्ताओं को वितरण लाइसेंसधारक द्वारा बिजली की खुदरा आपूर्ति के लिए टैरिफ के निर्धारण पर लागू होंगे।

57. खुदरा आपूर्ति व्यवसाय के लिए कुल राजस्व आवश्यकता

57.1 वितरण लाइसेंसधारक की खुदरा आपूर्ति के लिए टैरिफ में आयोग द्वारा अनुमोदित अनुसार नियंत्रण अवधि के संबंधित वर्षों के लिए खुदरा आपूर्ति व्यापार की कुल राजस्व आवश्यकता की वसूली का प्रावधान होगा और इसमें निम्नलिखित घटक शामिल होंगे:

- क) अन्य स्रोतों से अपने बिजली उत्पादन और बिजली खरीद व्यय की लागत;
- ख) अंतर-राज्य ट्रांसमिशन प्रभार;
- ग) अंतर-राज्य ट्रांसमिशन प्रभार;
- घ) एसएलडीसी शुल्क और प्रभार;
- ङ.) समय-समय पर संशोधित गोवा और संघ शासित प्रदेशों के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (अंतर-राज्य ट्रांसमिशन एवं वितरण में कनेक्टिविटी और ओपन एक्सेस) विनियमन, 2017 के अनुसार समान वितरण लाइसेंसधारक से बिजली की आपूर्ति प्राप्त करने वाले खुदरा उपभोक्ताओं के अलावा, वितरण प्रणाली उपयोगकर्ताओं द्वारा देय व्हीलिंग शुल्क से आय की कटौती करने के बाद इन विनियमों के अध्याय 6 के अंतर्गत निर्धारित शेष कुल राजस्व आवश्यकता;
- च) अशोध्य और संदिग्ध ऋण के लिए प्रावधान;
- छ) इक्विटी पूंजी पर प्रतिलाभ;
- ज) प्रचालन और रखरखाव व्यय;
- झ) मूल्यह्रास;
- ञ) ऋण पूंजी पर ब्याज और वित्त प्रभार;
- ट) कार्यशील पूंजी पर ब्याज;
- ठ) उपभोक्ता जमानत राशि पर ब्याज;
- ड) आय कर;

घटा

- ढ) गैर-टैरिफ आय;
- ण) इन विनियमों में निर्दिष्ट सीमा तक अन्य व्यवसाय से आय;
- त) क्रॉस-सब्सिडी अधिभार के कारण प्राप्तियां;

थ) अतिरिक्त अधिभार के कारण प्राप्तियां:

बशर्ते कि मूल्यह्रास, ऋण पूंजी पर ब्याज, कार्यशील पूंजी पर ब्याज, उपभोक्ता जमानत राशि पर ब्याज, आकस्मिक रिजर्व में योगदान, इक्विटी पर प्रतिलाभ, और खुदरा आपूर्ति व्यवसाय के लिए आय कर को इन विनियमों के अध्याय 3 में निर्दिष्ट प्रावधानों के अनुसार अनुमति दी जाएगी:

बशर्ते आगे यह कि आयोग द्वारा लेखा-परीक्षित खातों के आधार पर समायोजन के समय, मामला-दर-मामला आधार पर पूर्व अवधि की आय / व्यय की अनुमति दी जाएगी, जो विवेकानुसार जांच के अधीन होगी:

बशर्ते यह भी कि समय-समय पर संशोधित गोवा और संघ शासित प्रदेशों के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (अक्षय ऊर्जा प्रापण) विनियमन, 2010 के अनुसार आयोग, न्यायालय, उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, और लोकपाल, आदि के आदेशों के परिणामस्वरूप निष्पादन या क्षति के किसी भी मानक को पूरा करने में विफलता के लिए किसी भी पार्टी को लाइसेंसधारक द्वारा देय सभी जुर्माना और मुआवजा या नवीकरणीय खरीद दायित्वों का अनुपालन न करने के लिए लाइसेंसधारक पर आयोग द्वारा लगाए गए जुर्माने को कुल राजस्व आवश्यकता के माध्यम से वसूलने की अनुमति नहीं दी जाएगी:

बशर्ते यह भी कि वितरण लाइसेंसधारक ऐसे जुर्माने और लाइसेंसधारक द्वारा दिए गए या देय मुआवजे का अलग-अलग विवरण, यदि कोई हो, रखेगा और उन्हें अपनी याचिका के साथ आयोग को प्रस्तुत करेगा।

57.2 वितरण लाइसेंसधारक द्वारा खुदरा आपूर्ति के लिए शुल्क का निर्धारण आयोग द्वारा इन विनियमों के अध्याय 2 के अनुसार वितरण लाइसेंसधारक द्वारा दायर टैरिफ निर्धारण की याचिका के आधार पर किया जाएगा:

बशर्ते कि वितरण लाइसेंसधारक की कुल राजस्व आवश्यकता को डिस्ट्रीब्यूशन वॉयर व्यापार और खुदरा आपूर्ति व्यापार के खातों को अलग-अलग किए जाने तक, विनियमन 48 में तालिका 1 के अनुसार डिस्ट्रीब्यूशन वॉयर व्यापार और खुदरा आपूर्ति व्यापार के बीच आवंटित या विभाजित किया जाएगा:

बशर्ते आगे यह कि आयोग द्वारा निर्धारित अनुसार उपभोक्ताओं से वसूली के उद्देश्य के लिए, खुदरा आपूर्ति के टैरिफ में नियत / मांग प्रभार, ऊर्जा प्रभार और किसी भी अन्य प्रभार का संयोजन शामिल हो सकता है:

बशर्ते यह भी कि आयोग उसके द्वारा निर्धारित अनुसार निष्पादन मानकों के आधार पर वितरण लाइसेंसधारक के लिए क्षेत्रवार टैरिफ निर्धारित कर सकता है।

58. बिजली की खरीद की लागत

58.1 वितरण लाइसेंसधारक को आयोग द्वारा अनुमोदित वितरण लाइसेंसधारक की बिजली खरीद योजना के आधार पर उसके स्वामित्व वाले जेनरेटिंग स्टेशनों द्वारा उत्पादित बिजली की लागत या उपभोक्ता को आपूर्ति के लिए अनुमोदित स्रोतों से खरीदी गई बिजली की वसूली करने की अनुमति दी जाएगी।

58.2 वितरण लाइसेंसधारक आयोग द्वारा समय-समय पर उनके आदेशों में फॉर्मूला और संबंधित निबंधन एवं शर्तों के अनुसार, ईंधन और बिजली खरीद लागत समायोजन (एफपीपीसीए) के कारण उत्तरोत्तर बढ़ी हुई लागत की वसूली करेगा। आयोग एफपीपीसीए प्रभार की वसूली के लिए उपभोक्ताओं की श्रेणियों को भी निर्दिष्ट करेगा।

59. ट्रांसमिशन शुल्क

59.1 वितरण लाइसेंसधारक को इन विनियमों के अध्याय 5 के अंतर्गत आयोग द्वारा अनुमोदित टैरिफ के अनुसार अंतर-राज्य और अंतर-राज्य ट्रांसमिशन प्रणाली के उपयोग और एक्सेस के लिए देय ट्रांसमिशन प्रभार वसूलने की अनुमति दी जाएगी।

60. खुदरा आपूर्ति व्यापार के लिए प्रचालन और रखरखाव (ओएंडएम) व्यय

60.1 खुदरा आपूर्ति व्यापार के लिए प्रचालन और रखरखाव व्यय की गणना इस विनियमन के अनुसार की जाएगी।

60.2 ओएंडएम व्यय में निम्नलिखित शामिल होंगे:

क) कर्मचारी व्यय - वेतन, मजदूरी, पेंशन अंशदान और अन्य कर्मचारी लागत;

ख) बीमा प्रभार, यदि कोई हो, सहित प्रशासनिक और सामान्य व्यय; तथा

ग) मरम्मत और रखरखाव व्यय।

60.3 लाइसेंसधारी बहु वर्षीय टैरिफ याचिका के भाग के रूप में नियंत्रण अवधि के लिए आवश्यक ओएंडएम व्यय प्रस्तुत करेगा। आधार वर्ष के लिए ओएंडएम व्यय को आयोग द्वारा नवीनतम उपलब्ध लेखा-परीक्षित खातों, ट्रांसमिशन लाइसेंसधारी

द्वारा प्रस्तुत व्यवसाय योजना, आधार वर्ष के लिए वास्तविक अनुमान, विवेकानुसार जांच और आयोग द्वारा उपयुक्त समझे गए अन्य कारकों को ध्यान में रखते हुए अनुमोदित किया जाएगा।

60.4 नियंत्रण अवधि के एनवें वर्ष के लिए ओएंडएम व्यय नीचे दिए गए सूत्र के आधार पर अनुमोदित किया जाएगा:

ओएंडएम_{एन} = (आरएंडएम_{एन} + ईएमपी_{एन} + एएंडजी_{एन}) एक्स (1-एक्स_{एन}) + टर्मिनल देयताएं

जहां,

आरएंडएम_{एन} = के X जीएफए_{एन-1} X (डब्ल्यूपीआई_{मुद्रास्फीति})

ईएमपी_{एन} = (ईएमपी_{एन-1}) X (1+जी_{एन}) X (सीपीआई_{मुद्रास्फीति})

एएंडजी_{एन} = (एएंडजी_{एन-1}) X (सीपीआई_{मुद्रास्फीति})

'के' स्थिर है (% में व्यक्त)। विगत में आयोग द्वारा अनुमोदित जीएफए और आयोग द्वारा उपयुक्त समझे गए अन्य किसी कारक की तुलना में आयोग द्वारा नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष के लिए 'के' का मूल्य निर्धारण बहु वर्षीय टैरिफ ऑर्डर में लाइसेंसधारक की फाइलिंग, मरम्मत एवं रखरखाव व्यय की बेंचमार्किंग, अनुमोदित मरम्मत एवं रखरखाव व्यय के आधार पर अनुमोदित किया जाएगा;

सीपीआई_{मुद्रास्फीति} - आधार वर्ष से तत्काल पहले तीन (3) वर्ष के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) में औसत वृद्धि है;

डब्ल्यूपीआई_{मुद्रास्फीति} - मूल वर्ष से तत्काल पहले तीन (3) वर्ष के थोक बिक्री मूल्य सूचकांक (सीपीआई) में औसत वृद्धि;

ईएमपी_{एन} - एनवें वर्ष के लिए वितरण लाइसेंसधारक का कर्मचारी व्यय;

एएंडजी_{एन} - एनवें वर्ष के लिए वितरण लाइसेंसधारक का प्रशासनिक और सामान्य व्यय;

आरएंडएम_{एन} - एनवें वर्ष के लिए वितरण लाइसेंसधारक का मरम्मत एवं रखरखाव व्यय;

जीएफए_{एन-1} - एन-1वें वर्ष के लिए ट्रांसमिशन लाइसेंसधारक की सकल नियत परिसंपत्ति;

एक्स_{एन} एनवें वर्ष के लिए एक दक्षता कारक है। एक्स_{एन} के मूल्य को आयोग द्वारा लाइसेंसधारक की फाइलिंग, बेंचमार्किंग, विगत में आयोग द्वारा अनुमोदित लागत और अन्य कारक, जो आयोग द्वारा उपयुक्त समझे जाएं, के आधार पर बहु वर्षीय टैरिफ ऑर्डर में प्रत्येक वर्ष के लिए निर्धारित किया जाएगा;

जी_{एन} एनवें वर्ष के लिए एक विकास कारक है। आयोग द्वारा जी_{एन} का मूल्य प्रत्येक वर्ष के लिए बहु वर्षीय टैरिफ आदेश के आधार पर अतिरिक्त मानव शक्ति की आवश्यकता की पूर्ति के लिए लाइसेंसधारी की फाइलिंग, बेंच मार्किंग, विगत में आयोग द्वारा अनुमोदित लागत और किसी भी अन्य कारक, जो आयोग द्वारा उचित माने जाते हैं, के आधार पर निर्धारित किया जाएगा;

बशर्ते कि यदि वितरण लाइसेंसधारक इन विनियमों की प्रभावकारिता की तारीख को तीन (3) वर्ष से कम के लिए प्रचालन में है, तो ओएंडएम व्यय का मामला दर मामला आधार पर निर्धारण किया जाएगा।

60.5 पेंशन व्यय आदि सहित लाइसेंसधारक के कर्मचारियों की आवधिक देयताओं को लाइसेंसधारक द्वारा प्रस्तुत वास्तविक दावे के अनुसार अनुमोदित किया जाएगा, जो विवेकपूर्ण जांच के अधीन होंगे या उन्हें वास्तविक अध्ययन के माध्यम से स्थापित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, वेतन आयोग द्वारा अनुशासित परिवर्तनों के कारण कोई भिन्नता होने पर आयोग द्वारा इसकी अलग से अनुमति दी जाएगी, जो विवेकपूर्ण जांच के अधीन होगी।

60.6 आकलन के उद्देश्य के लिए, कारकों - सीपीआई_{मुद्रास्फीति} और डब्ल्यूपीआई_{मुद्रास्फीति} के समान मूल्य का उपयोग नियंत्रण अवधि के सभी वर्षों के लिए किया जाएगा। हालांकि, आयोग वर्ष, जिसके लिए समायोजन किया जा रहा है, के लिए वर्ष की समायोजन प्रक्रिया के दौरान कारकों - सीपीआई_{मुद्रास्फीति} और डब्ल्यूपीआई_{मुद्रास्फीति} के वास्तविक मूल्यों पर विचार करेगा और उस वर्ष के लिए ओएंडएम व्यय का समायोजन केवल मुद्रास्फीति के लिए ही करेगा।

61. एसएलडीसी शुल्क और प्रभार

61.1 वितरण लाइसेंसधारक को आयोग द्वारा अनुमोदित टैरिफ के अनुसार, एसएलडीसी शुल्क की वसूली करने और एसएलडीसी को देय प्रभार का भुगतान करने की अनुमति दी जाएगी।

62. अशोध्य और संदिग्ध ऋण के लिए प्रावधान

62.1 आयोग पिछले वर्षों में अशोध्य ऋण को बट्टे खाते में डालने की प्रवृत्ति के आधार पर, कुल राजस्व आवश्यकता में डालने की अनुमति दे सकता है, जो विवेकानुसार जांच के अधीन होगी:

बशर्ते कि आयोग वर्ष के दौरान माफ किए गए विलंबित भुगतान प्रभारों, यदि कोई हो, को छोड़कर कुल राजस्व आवश्यकता में अशोध्य ऋणों को बढ़े खाते में डालने का समायोजन करेगा, जो विवेकानुसार जांच के अधीन होंगे:

बशर्ते कि अशोध्य और संदिग्ध ऋण के प्रावधान वितरण लाइसेंसधारक की वार्षिक राजस्व आवश्यकता के 1% तक सीमित होंगे:

बशर्ते आगे यह कि यदि किसी विशेष अशोध्य ऋण को बढ़े खाते में डालने के बाद, राजस्व को ऐसे अशोध्य ऋण से प्राप्त किया जाता है, तो उसे वर्ष के गैर-टैरिफ आय के अंतर्गत एक अनियंत्रित मद के रूप में शामिल किया जाएगा जिसमें ऐसा राजस्व प्राप्त किया जाता है।

63. खुदरा आपूर्ति व्यापार के लिए कार्यशील पूंजी के मानदंड

63.1 वितरण लाइसेंसधारक को वित्तीय वर्ष के लिए खुदरा आपूर्ति व्यापार के लिए कार्यशील पूंजी के अनुमानित स्तर पर ब्याज की अनुमति दी जाएगी, जिसकी निम्नानुसार गणना की जाएगी:

क) एक (1) महीने के लिए ओएंडएम व्यय; तथा

ख) 40% मरम्मत के लिए रखरखाव के स्पेयर पुर्जे तथा एक (1) माह के लिए रखरखाव व्यय; तथा

ग) उपभोक्ताओं से मौजूदा टैरिफ पर अनुमानित राजस्व के दो (2) माह के बराबर प्राप्तियां;

घटा

घ) बैंक गारंटी के रूप में रखी गई जमानत राशि को छोड़कर, उपयोगकर्ताओं से अधिनियम की धारा 47 के उप-धारा (1) के खंड (ख) के तहत जमानत राशि, यदि कोई हो।

बशर्ते कि किसी भी वर्ष का समायोजन करते समय, कार्यशील पूंजी आवश्यकता की आयोग द्वारा अनुमोदित कार्यशील पूंजी के घटकों के मूल्यों के आधार पर फिर से गणना की जाएगी।

64. गैर-टैरिफ आय

64.1 आयोग द्वारा अनुमोदित अनुसार बिजली की खुदरा आपूर्ति से संबंधित गैर-टैरिफ आय की राशि की वितरण लाइसेंसधारक द्वारा बिजली की खुदरा आपूर्ति के लिए टैरिफ की गणना करते समय कुल राजस्व आवश्यकता से कटौती की जाएगी:

बशर्ते कि वितरण लाइसेंसधारक टैरिफ के निर्धारण के लिए अपने आवेदन सहित आयोग को गैर-टैरिफ आय के अपने पूर्वानुमान का पूरा विवरण प्रस्तुत करेगा।

64.2 गैर-टैरिफ आय में अन्य के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल होंगे:

क) भूमि या भवनों के किराए से आय;

ख) कबाड़ की बिक्री से आय;

ग) सांविधिक निवेश से आय;

घ) आपूर्तिकर्ताओं / ठेकेदारों को दिए गए अग्रिम पर ब्याज;

ड.) स्टाफ क्वार्टर से किराया;

च) ठेकेदारों से किराया;

छ) ठेकेदारों और अन्य लोगों से किराया शुल्क से आय;

ज) विज्ञापनों से आय, आदि;

झ) मीटर/मीटर के उपकरण / सर्विस लाइन का किराया;

ञ) सेवा प्रभार;

ट) उपभोक्ता प्रभार;

ठ) बिलों का समय पर भुगतान करने के कारण प्राप्त छूट;

ड) विविध प्राप्तियां;

ढ) वार्षिक खातों के अनुसार अनुदान, सब्सिडी आदि से आस्थगित आय;

ज) पूर्व अवधि आय, आदि:

बशर्ते कि वितरण लाइसेंसधारक के खुदरा आपूर्ति व्यवसाय से संबंधित इक्विटी पर प्रतिलाभ से किए गए निवेश से अर्जित व्याज / लाभों में गैर-टैरिफ आय को शामिल नहीं किया जाएगा।

बशर्ते आगे यह कि लाइसेंसधारक द्वारा मौजदा बिजली खरीद करारों या आपूर्ति के वितरण लाइसेंसधारक के क्षेत्र को आवंटित वितरण बल्क आपूर्ति क्षमता का प्रयोग करते हुए धारा 49 के अनुसार अन्य वितरण लाइसेंसधारियों या उपभोक्ताओं को बिजली की बिक्री से अर्जित किसी भी आय को टैरिफ के निर्धारण के उद्देश्य से वितरण लाइसेंसधारक की कुल राजस्व आवश्यकता से घटाया जाएगा। ऐसी कमी समय-समय पर संशोधित गोवा और संघ शासित प्रदेशों के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (कनेक्टिविटी और अंतर-राज्य ट्रांसमिशन और वितरण में ओपन एक्सेस) विनियम, 2017 के अनुसार की जाएगी।

65. क्रॉस-सब्सिडी अधिभार और अतिरिक्त अधिभार के कारण प्राप्ति

65.1 समय-समय पर यथा संशोधित गोवा और संघ शासित प्रदेशों के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (अंतर-राज्य ट्रांसमिशन और वितरण में कनेक्टिविटी और ओपन एक्सेस) विनियम, 2017, के अनुसार वितरण लाइसेंसधारक द्वारा प्राप्त क्रॉस-सब्सिडी अधिभार आयोग द्वारा अनुमोदित दर पर प्राप्त किया गया, जिसकी सामंजस्य के समय कुल राजस्व आवश्यकता से कटौती की जाएगी।

65.2 समय-समय पर यथा संशोधित गोवा और संघ शासित प्रदेशों के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग अंतर-राज्य ट्रांसमिशन और वितरण में कनेक्टिविटी और ओपन एक्सेस) विनियम, 2017 के अनुसार वितरण लाइसेंसधारक द्वारा प्राप्त क्रॉस-सब्सिडी अधिभार आयोग द्वारा अनुमोदित दर पर प्राप्त किया गया, जिसकी सामंजस्य के समय कुल राजस्व आवश्यकता से कटौती की जाएगी।

66. वितरण हानि

66.1 वितरण लाइसेंसधारक बिजली की खुदरा आपूर्ति से होने वाली वितरण हानि के अनुमोदित स्तर की वसूली करेगा।

66.2 बहु वर्षीय टैरिफ ऑर्डर के भाग के रूप में आयोग इन नियमों के अनुसार नियंत्रण अवधि के लिए वितरण हानि के लिए एक निर्धारित मार्ग निर्धारित कर सकता है।

66.3 विनियमन 14 के अनुसार सामंजस्य प्रक्रिया के भाग के रूप में, वितरण हानि के वास्तविक स्तर और अनुमोदित स्तर के बीच किसी अंतर का निपटान किया जाएगा।

67. टैरिफ का निर्धारण

67.1 आयोग उपभोक्ताओं को अपने लोड कारक, बिजली कारक, वोल्टेज, किसी भी निर्दिष्ट अवधि के दौरान बिजली की कुल खपत या समय जब आपूर्ति की आवश्यकता है या किसी भी क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति, आपूर्ति की प्रकृति और उद्देश्य, जिसके लिए आपूर्ति की आवश्यकता है और आयोग द्वारा उचित माने जाने वाले किसी अन्य कारक को वर्गीकृत कर सकता है।

67.2 आयोग उपभोक्ताओं की प्रत्येक श्रेणी / उप-श्रेणी के लिए आपूर्ति की लागत निर्धारित करने का प्रयास करेगा।

67.3 आयोग अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार आपूर्ति की लागत के संबंध में उपभोक्ता श्रेणियों के बीच धीरे-धीरे क्रॉस-सब्सिडी को कम करने का प्रयास करेगा।

67.4 लाइसेंसधारक द्वारा टैरिफ प्रस्ताव और आयोग द्वारा टैरिफ निर्धारण निम्नलिखित सिद्धांतों पर आधारित होगा:

(क) सभी श्रेणियों के लिए टैरिफ के मुख्यतः दो भाग होंगे, जिसमें नियत और परिवर्तनीय प्रभार शामिल होंगे।

(ख) टैरिफ में नियत प्रभार क्रमशः वितरण लाइसेंसधारक द्वारा की गई वास्तविक नियत लागत को उत्तरोत्तर दर्शाएगा;

(ग) विभिन्न उपभोक्ता श्रेणियों के लिए कुल खुदरा आपूर्ति शुल्क उपभोक्ताओं की संबंधित श्रेणियों के लिए आपूर्ति की लागत को क्रमशः प्रतिबिंबित करेगा;

(घ) आवासीय उपभोक्ताओं के लिए टैरिफ, उपभोक्ताओं के विभिन्न वर्गों के लिए टैरिफ की वहनीयता पर विचार करते हुए निर्धारित किया जाएगा;

(ङ) टैरिफ को इस तरह से निर्धारित किया जाएगा कि यह उपभोक्ताओं के किसी भी वर्ग के लिए कोई टैरिफ सदमा न बन जाए।

अध्याय 8: विविध**68. आयोग में अंतर्निहित शक्तियों का सीमित होना**

- 68.1 इन नियमों में से किसी के भी द्वारा ऐसी नहीं होना चाहिए जिससे आयोग की अंतर्निहित शक्तियां सीमित या अन्यथा प्रभावित हों, जिससे ऐसे आदेश किए जाएं जो न्याय को समाप्त करने या आयोग की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए आवश्यक हों।
- 68.2 इन विनियमों में से किसी के भी द्वारा आयोग को अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप अपनाने से रोका नहीं जाना चाहिए, ऐसी प्रक्रिया, जो इन नियमों के किसी भी प्रावधान के साथ अंतर रखती है, यदि आयोग, किसी मामले की विशेष परिस्थितियों को देखते हुए या मामलों की श्रेणी और ऐसे मामले या मामलों की श्रेणी से निपटने के लिए इसे आवश्यक या उपयुक्त मानती है, तो उसके कारणों को लिखित रूप में दर्ज किया जाना चाहिए।
- 68.3 इन नियमों में से किसी के भी द्वारा स्पष्ट रूप से या निहितार्थ, आयोग को किसी भी मामले से निपटने या अधिनियम के अंतर्गत किसी भी शक्ति का प्रयोग करने के लिए नहीं रोकेगा, जिसके लिए कोई विनियम नहीं बनाया गया है, और आयोग इस तरह के मामलों, शक्तियों और कार्यों से ऐसे निपट सकता है जैसा वह उचित समझता है।

69. आदेश जारी करना और प्रक्रियात्मक निर्देश

- 69.1 अधिनियम और इन विनियमों के प्रावधान के अधीन, आयोग समय-समय पर इन विनियमों के कार्यान्वयन और विभिन्न मामलों का पालन करने की प्रक्रिया के संबंध में आदेश और प्रक्रियात्मक निर्देश जारी कर सकता है।

70. संशोधन करने का अधिकार

- 70.1 आयोग, किसी भी समय, कानून की उचित प्रक्रिया अपनाने के बाद, इन विनियमों के किसी भी प्रावधान में परिवर्तन, बदलाव, आशोधन या संशोधन कर सकता है।

71 कठिनाइयों को दूर करने का अधिकार

- 71.1 यदि इन विनियमों के प्रावधानों को प्रभावित करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो आयोग सामान्य या विशिष्ट आर्डर से, ऐसे प्रावधान बना सकता है, जो अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत न हों, जो कि कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक प्रतीत हो सकते हैं।

72. शिथिल करने का अधिकार

- 72.1 आयोग इन विनियमों के किसी भी प्रावधान को स्वयं कार्रवाई करते हुए या किसी इच्छुक व्यक्ति द्वारा किए गए आवेदन के आधार पर शिथिल कर सकता है, जिसके कारणों को लिखित में दर्ज किया जाएगा।

73. व्याख्या

- 73.1 यदि इन नियमों के किसी भी प्रावधान की व्याख्या से संबंधित कोई प्रश्न उठता है, तो आयोग का निर्णय अंतिम होगा।

74. निरसन

- 74.1 गोवा और संघ शासित प्रदेशों के लिए संयुक्त विद्युत नियामक आयोग (बहु वर्षीय वितरण टैरिफ) विनियम, 2014 और जेईआरसी (टैरिफ के निर्धारण के लिए निबंधन एवं शर्तें) नियम, 2009 इन विनियमों के लागू होने की तारीख से निरस्त हो जाएगा और संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग के किसी भी विनियम, मानक, कोड या प्रक्रिया में विनियमों और इन नियमों के किसी भी संदर्भ को गोवा और संघ शासित प्रदेशों के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (उत्पादन, ट्रांसमिशन और वितरण बहु वर्षीय टैरिफ) विनियम, 2018 द्वारा प्रतिस्थापित माना जाएगा।
- 74.2 इस तरह के निरसन के बावजूद, निरस्त विनियमों के अंतर्गत किए गए या किए जाने में इन विनियमों में कुछ भी असंगत नहीं होना चाहिए, जो इन विनियमों के अंतर्गत किए गए या किया जाने वाला माना जाए।
- 74.3 ये विनियम आयोग द्वारा जारी अन्य विनियमों / संहिताओं के अतिरिक्त होंगे और इनसे इनका अनादन नहीं होना चाहिए।

राकेश कुमार, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./200/18]

परिशिष्ट-1: परिसंपत्ति के लिए मूल्यहास अनुसूची और उपयोगी आयु**(क) उत्पादन और ट्रांसमिशन परिसंपत्तियां**

उत्पादन और ट्रांसमिशन परिसंपत्तियों के लिए उपयोगी आयु और मूल्य हास दरें सीईआरसी टैरिफ विनियमों में निर्दिष्ट अनुसार होंगी।

(ख) वितरण संपत्तियां

| क्र.सं. | परिसंपत्ति वर्ग | उपयोगी आयु (वर्ष) | दर (%) |
|---------|--|---|--------|
| 1 | पूर्ण शीर्षक के अंतर्गत स्वामित्व वाली भूमि | अनन्त | 0 |
| 2 | पट्टे पर ली गई भूमि | | |
| (क) | भूमि में निवेश के लिए | पट्टा अवधि या पट्टा के कार्य पर समाप्त न हुई शेष अवधि | 0 |
| (ख) | साइट के समाशोधन की लागत | साइट के समाशोधन की तारीख को समाप्त न हुई शेष पट्टा अवधि | 0 |
| 3 | नई खरीदी गई परिसंपत्ति | | |
| (क) | स्थायी स्वरूप का बिल्डिंग और सिविल इंजीनियरिंग कार्य, जो ऊपर वर्णित नहीं है: | | |
| (i) | कार्यालय और शोरूम | 50 | 1.80 |
| (ii) | लकड़ी का ढांचा, जैसे अस्थायी निर्माण | 5 | 18.00 |
| (iii) | कच्ची सड़कों के अलावा अन्य सड़कें | 50 | 1.80 |
| (iv) | अन्य | 50 | 1.80 |
| (ख) | ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर (कियोस्क) सबस्टेशन उपकरण और अन्य नियत उपकरण (संयंत्र नींव सहित) | | |
| (i) | 100 किलो वोल्ट एम्पियर (केवीए) की रेटिंग वाले ट्रांसफार्मर (नींव सहित) | 25 | 3.60 |
| (ii) | अन्य | 25 | 3.60 |
| (ग) | केबल कनेक्शन सहित स्विचगियर | 25 | 3.60 |
| (घ) | लाइटनिंग अरेस्टर : | | |
| (i) | स्टेशन का प्रकार | 25 | 3.60 |
| (ii) | पोल टाइप | 15 | 6.00 |
| (iii) | सिंक्रोनस कंडेनसर | 35 | 2.57 |
| (ड.) | बैटरियां | 5 | 18.00 |
| (च) | संयुक्त बक्से और डिस्कनेक्ट बक्से सहित भूमिगत केबल | 35 | 2.57 |
| (छ) | केबल डक्ट प्रणाली | 50 | 1.80 |

| क्र.सं. | परिसंपत्ति वर्ग | उपयोगी आयु (वर्ष) | दर (%) |
|---------|---|---|--------|
| (ज) | सहायता सहित ओवरहेड लाइनें: | | |
| (i) | 66 केवी से अधिक नाममात्र वोल्टेज पर प्रचालित फैब्रिकेटेड स्टील पर लाइनें | 35 | 2.57 |
| (ii) | इस्पात पर लाइनें 11 केवी से अधिक नाममात्र वोल्टेज पर कार्य करने का समर्थन करती हैं जो 66 केवी से अधिक नहीं होनी चाहिए | 25 | 3.60 |
| (iii) | स्टील या रिइनफोर्सड कंक्रीट पर लाइनों का समर्थन | 25 | 3.60 |
| (iv) | उपचारित लकड़ी पर लाइनों का समर्थन | 25 | 3.60 |
| (i) | मीटर | | |
| | इलेक्ट्रो मैकेनिकल | 15 | 6.00 |
| | इलेक्ट्रॉनिक / स्मार्ट मीटर | 10 | 9.00 |
| (झ) | स्व-संचालित वाहन | 5 | 18.00 |
| (ज) | एयर कंडीशनिंग संयंत्र: | | |
| (i) | स्थिर | 15 | 6.00 |
| (ii) | पोर्टेबल | 5 | 18.00 |
| (ट) | अन्य | | |
| (i) | कार्यालय फर्नीचर और फिटिंग | 15 | 6.00 |
| (ii) | कार्यालय उपकरण | 15 | 6.00 |
| (iii) | फिटिंग और उपकरण सहित आंतरिक वॉरिंग | 15 | 6.00 |
| (iv) | स्ट्रीट लाइट फिटिंग | 15 | 6.00 |
| (ठ) | किराए पर दिए गए उपकरण: | | |
| (i) | मोटरो के अलावा | 5 | 18.00 |
| (ii) | मोटर्स | 15 | 6.00 |
| (ड) | संचार उपकरण | | |
| (i) | रेडियो और उच्च आवृत्ति वाहक प्रणाली | 15 | 6.00 |
| (ii) | टेलीफोन लाइनें और टेलीफोन | 15 | 6.00 |
| (ड) | पुरानी खरीदी गई परिसंपत्तियां और अन्यथा अनुसूची में प्रदान न की गई परिसंपत्तियां | ऐसी उचित अवधि, जिसे आयोग प्रत्येक मामले में मौजूदा मालिक द्वारा अधिग्रहण के समय प्रकृति, आयु और परिसंपत्तियों की शर्तें निर्धारित करता है | |

**JOINTELECTRICITYREGULATORYCOMMISSION FOR
THE STATE OF GOA AND UNION TERRITORIES
NOTIFICATION**

Gurugram, the 10th August, 2018

No. JERC-22/2018.—In exercise of the powers conferred on it by sub-Section (2) of Section 181 read with Section 36, Section 39, Section 40, Section 41, Section 51, Section 61, Section 62, Section 63, Section 64, Section 65 and Section 86 of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003) and all other powers enabling it in this behalf, the Joint Electricity Regulatory Commission for the State of Goa and Union Territories (except Delhi), after previous publications, hereby makes the following Regulations, namely:

Chapter 1: Preliminary

1. Short Title, Commencement and Extent

- 1.1. These Regulations shall be called the Joint Electricity Regulatory Commission for the State of Goa and Union Territories (Generation, Transmission and Distribution Multi Year Tariff) Regulations, 2018.
- 1.2. These Regulations shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette and shall remain in force till March 31, 2022, unless otherwise reviewed/extended.
- 1.3. These Regulations extend to the whole of the State of Goa and the Union Territories of Andaman and Nicobar Islands, Lakshadweep, Dadra & Nagar Haveli, Daman & Diu, Puducherry and Chandigarh.

2. Definitions

2.1 In these Regulations, unless the context otherwise requires:

1. **“Accounting Statements”** shall mean for each Financial Year, the balance sheet, the profit and loss statement, the cash flow statement and the report of the statutory auditors together with notes thereto:
Provided that in case of any local authority engaged in the business of distribution of electricity, the Accounting Statement shall mean the items, as mentioned above, prepared and maintained in accordance with the relevant Acts or Statutes as applicable to such local authority;
2. **“Act”** shall mean the Electricity Act, 2003 (36 of 2003), as amended from time to time;
3. **“Aggregate Revenue Requirement” or “ARR”** shall mean the annual revenue requirement comprising of allowable expenses and return on capital pertaining to the Generating Company, Transmission Licensee or Distribution Licensee, for recovery through tariff, in accordance with these Regulations;
4. **“Allocation Statement”** shall mean for each Financial Year, a statement showing the amounts of any revenue, cost, asset, liability, reserve or provision etc. determined by apportionment or allocation between Distribution Wires Business and Retail Supply Business of a Distribution Licensee;
5. **“Allotted Transmission Capacity”** shall mean the power transfer in MW between the specified point(s) of injection and point(s) of drawal allowed to a Long-term Consumer or a Medium-term Consumer on the intra-State transmission system under the normal circumstances and the expression "allotment of transmission capacity" shall be construed accordingly;
6. **“Auxiliary Energy Consumption” or “AUX”** in relation to a period in case of a Generating Station means the quantum of energy consumed by auxiliary equipment of the Generating Station, such as the equipment being used for the purpose of operating plant and machinery including switchyard of the Generating Station and the transformer losses within the Generating Station, expressed as a percentage of the sum of gross energy generated at the generator terminals of all the units of the Generating Station:
Provided that Auxiliary Energy Consumption shall not include energy consumed for supply of power to housing colony and other facilities at the Generating Station and the power consumed for construction works at the Generating Station;
7. **“Applicant”** shall mean a Generating Company, Transmission Licensee or Distribution Licensee who has made an application for determination of Aggregate Revenue Requirement and tariff in accordance with the Act and these Regulations and shall include a Generating Company, Transmission Licensee or Distribution Licensee whose tariff is being determined by the Commission on suo motu basis;
8. **“Area of Supply”** shall mean the area within which a Distribution Licensee is authorised by its license to supply electricity;
9. **“Authority”** shall mean the Central Electricity Authority referred to in Section 70 of the Act;

10. **“Availability”** in relation to a transmission system for a given period shall mean the time in hours during the period the transmission system is capable of transmitting electricity at its rated voltage expressed in percentage of total hours in the given period;
11. **“Bank Rate”** shall mean the Bank Rate declared by the Reserve Bank of India from time to time;
12. **“Base Year”** shall mean the Year immediately preceding the first Year of the Control Period;
13. **“Bulk Power Transmission Agreement”** shall mean an executed Agreement that contains the terms and conditions under which a Transmission System User is entitled to access the intra-State transmission system of a Transmission Licensee;
14. **“Change in Law”** shall mean the occurrence of any of the following events:
- enactment, bringing into effect or promulgation of any new Indian law: or
 - adoption, amendment, modification, repeal or re-enactment of any existing Indian law: or
 - change in interpretation or application of any Indian law by a competent court, Tribunal or Indian Governmental Instrumentality, which is the final authority under law for such interpretation or application: or
 - change by any competent statutory authority in any condition or covenant of any consent or clearances or approval or licence available or obtained for the project: or
 - coming into force or change in any bilateral or multilateral agreement/treaty between the Government of India and any other Sovereign Government having implication for the Generating Station or the transmission system regulated under these Regulations;
15. **“Central Commission” or “CERC”** shall mean the Central Electricity Regulatory Commission referred to in sub-section (1) of Section 76 of the Act;
16. **“Commission”** shall mean the Joint Electricity Regulatory Commission for the State of Goa and Union Territories (except Delhi) referred to in Section 83 of the Act;
17. **“Control Period”** shall mean the period of three (3) Years from April 1, 2019 to March 31, 2022;
18. **“Central Transmission Utility” or “CTU”** shall mean any Government company which the Central Government may notify under sub-section (1) of Section 38 of the Act;
19. **“Cut-off Date”** shall mean 31st March of the Year closing after two (2) Years from the Year of commercial operation of the project, and in case the project is declared under commercial operation in the last quarter of a Year, the Cut-off Date shall be 31st March of the Year closing after three (3) Years from the Year of commercial operation:
- Provided that the Cut-off Date may be extended by the Commission if it is proved on the basis of documentary evidence that the capitalisation could not be made within the Cut-off Date for reasons beyond the control of the project developer;
20. **“Consumer”** shall mean any person who is supplied with electricity for his own use by a Licensee or the Government or by any other person engaged in the business of supplying electricity to the public under this Act or any other law for the time being in force and includes any person whose premises are for the time being connected for the purpose of receiving electricity with the works of a Licensee, the Government or such other person, as the case may be, but shall be restricted to such Consumers within the State;
21. **“Contracted Capacity”** shall mean the capacity in MW contracted by a Transmission System User;
22. **“Day”** shall mean a day starting at 00.00 hours and ending at 24.00 hours;
23. **“Date of Commercial Operation” or “COD”** in case of a transmission system shall mean the date declared by the Transmission Licensee from 00.00 hours, for which an element of the transmission system is in regular service after successful trial operation for transmitting electricity, and communication signal from sending end to receiving end:
- Provided that where the transmission line or substation is dedicated for evacuation of power from a particular Generating Station, the Generating Company and Transmission Licensee shall endeavour to commission the Generating Station and the transmission system simultaneously as far as practicable and shall ensure the same through appropriate Implementation Agreement:
- Provided also that in case a transmission system or an element thereof is prevented from regular service for reasons not attributable to the Transmission Licensee or its supplier or its contractors but is on account of

the delay in commissioning of the concerned Generating Station or in commissioning of the upstream or downstream transmission system, the Transmission Licensee shall approach the Commission through an appropriate application for approval of the Date of Commercial Operation of such transmission system or an element thereof:

Provided further that the Date of Commercial Operation for a Generating Station shall be as defined in the prevalent CERC Tariff Regulations;

24. **“De-capitalisation”** shall mean reduction in Gross Fixed Assets of the project corresponding to the removal of assets as approved by the Commission;
25. **“Distribution Business”** shall mean the business of operating and maintaining a distribution system for supplying electricity in the Area of Supply of the Distribution Licensee;
26. **“Distribution Licensee”** shall mean a Licensee authorised to operate and maintain a distribution system for supplying electricity to the Consumers in its Area of Supply;
27. **“Distribution Wires Business”** shall mean the business of operating and maintaining a distribution system for wheeling of electricity in the Area of Supply of the Distribution Licensee;
28. **“Expected Revenue from Tariff and Charges”** shall mean the revenue estimated to accrue to the Generating Company, Transmission Licensee or Distribution Licensee from the regulated business at the prevailing tariff;
29. **“Electricity Supply Code”** shall mean the Electricity Supply Code specified under Section 50 of the Act;
30. **“Existing Project”** shall mean a project declared under commercial operation prior to April 1, 2019;
31. **“Force Majeure Event”** shall mean, with respect to any party, any event or circumstance or combination of events or circumstances including those stated below, which is not within the reasonable control of, and is not due to an act of omission or commission of that party and which, by the exercise of reasonable care and diligence, could not have been avoided, and without limiting the generality of the foregoing, would include the following events:
 - a) An Act of God including lightning, drought, fire and explosion, earthquake, volcanic eruption, landslide, flood, cyclone, typhoon, tornado, geological surprises, or exceptionally adverse weather conditions which are in excess of the statistical measures for the last hundred Years: or
 - b) Any act of war, invasion, armed conflict or act of foreign enemy, blockade, embargo, revolution, riot, insurrection, terrorist or military action: or
 - c) Industry-wide strikes and labour disturbances having a nationwide impact in India;
32. **“Generation Company”** shall mean any company or body corporate or association or body of individuals, whether incorporated or not, or artificial juridical person, which owns or operates or maintains a Generating Station and for the purpose of these Regulations, shall exclude a company generating electricity from renewable sources;
33. **“Generating Station”** shall mean any station for generating electricity, including any building and plant with step-up transformer, switchgear, switch yard, cables or other appurtenant equipment, if any, used for that purpose and the site thereof; a site intended to be used for a Generating Station, and any building used for housing the operating staff of a Generating Station, and where electricity is generated by water-power, includes penstocks, head and tailworks, main and regulating reservoirs, dams and other hydraulic works, but does not in any case include any sub-station and for the purpose of these Regulations shall exclude stations generating electricity from renewable sources;
34. **“Grid”** shall mean the high voltage backbone system of inter-connected transmission lines, sub-stations and generating plants;
35. **“Gross Station Heat Rate”** or **“GHR”** means the heat energy input in kCal required to generate one kWh of electrical energy at generator terminals of a thermal Generating Station;
36. **“Integrated Utility”** means the Department of Power in the State of Goa and the Union Territories of Andaman and Nicobar Islands, Chandigarh, Daman and Diu, Lakshadweep and Puducherry, in its present form or the successor entities performing more than one of the functions of generation, transmission and distribution after restructuring thereof;
37. **“Licensed Business”** shall mean as defined in Regulation 2 of Joint Electricity Regulatory Commission for Goa & Union Territories (Treatment of Other Business of Transmission Licensees and Distribution Licensees) Regulations, 2009 as amended from time to time;

38. **“Licensee”** shall mean a person who has been granted license under Section 14 of the Act and for the purpose of these Regulations shall also include an Integrated Utility;
 39. **“MCLR”** shall mean One Year Marginal Cost of Funds based Lending Rate;
 40. **“Mid-term Review”** shall mean a review to be undertaken in accordance with the Regulation 5.2 (b);
 41. **“Month”** shall mean a calendar month as per the Gregorian calendar;
 42. **“New Project”** shall mean a project declared under commercial operation on or after April 1, 2019;
 43. **“Non-Tariff Income”** shall mean income relating to the Licensed Business other than from tariff, excluding any income from Other Business and, in case of the Retail Supply Business of a Distribution Licensee, excluding income from wheeling and receipts on account of Cross-Subsidy Surcharge and Additional Surcharge on charges of wheeling;
 44. **“Operation and Maintenance expenses”** or **“O&M expenses”** in relation to a Generating Company, Transmission Licensee or Distribution Licensee shall mean the expenditure incurred on operation and maintenance of the system by the Generating Company, Transmission Licensee or Distribution Licensee, and includes the expenditure on manpower, repairs, spares, consumables, insurance and overheads etc.;
 45. **“Original Project Cost”** means the capital expenditure incurred by the Generating Company or the Transmission Licensee or the Distribution Licensee, as the case may be, within the original scope of the project up to the Cut-off Date as admitted by the Commission;
 46. **“Other Business”** shall mean as defined in Regulation 2(i)(f) of Joint Electricity Regulatory Commission for Goa & Union Territories (Treatment of Other Business of Transmission Licensees and Distribution Licensees) Regulations, 2009, as amended from time to time;
 47. **“Prudence Check”** shall mean scrutiny of the reasonableness of expenditure incurred or proposed to be incurred, financing plan, use of efficient technology, cost and time over-run and such other factors as may be considered appropriate by the Commission for determination of tariff;
 48. **“Rated Voltage”** shall mean the manufacturer’s design voltage at which the transmission system is designed to operate or such lower voltage at which the line is charged, for the time being, in consultation with Transmission System Users;
 49. **“Retail Supply Business”** shall mean the business of sale of electricity by a Distribution Licensee to its Consumers in accordance with the terms of its license;
 50. **“State”** shall mean the State of Goa, and includes the Union Territories, except Delhi;
 51. **“State Grid Code”** shall mean the State Grid Code specified by the Commission under Clause (h) of sub-section (1) of Section 86 of the Act;
 52. **“State Load Despatch Centre”** or **“SLDC”** shall mean the centre established under sub-section (1) of Section 31 of the Act;
 53. **“Transmission Licensee”** shall mean a Licensee authorised to establish or operate transmission lines;
 54. **“Transmission System User”** shall mean the Distribution Licensee or Open Access User, as the case maybe, who uses the intra-State transmission network for the purpose of transmission of electricity;
 55. **“Useful life”** in relation to a unit of a transmission system and distribution system from the Date of Commercial Operation shall be as defined in Appendix I to these Regulations;
 56. **“Working Day”** shall mean a Day on which banks are open for business;
 57. **“Year”** or **“Financial Year”** shall mean a Financial Year (FY), beginning from 1st April of calendar Year and ending on 31st March of the next calendar Year.
- 2.2 Words and expressions occurring in these Regulations and not defined herein but defined in the Act or Grid Code or State Grid Code shall bear the same meanings as respectively assigned to them in the Act or Grid Code or State Grid Code and the words and expressions used herein but not specifically defined herein or in the Act or Grid Code or State Grid Code shall have the meanings generally assigned to them in the electricity industry.
- 2.3 In the interpretation of these Regulations, unless the context otherwise requires:
- a) Words in the singular or plural term, as the case may be, shall also be deemed to include the plural or the singular term, respectively;

- b) The terms “include” or “including” shall be deemed to be followed by “but not limited to” regardless of whether such terms are followed by such phrases or words of like import;
- c) References herein to the “Regulations” shall be construed as a reference to these Regulations or as may be amended or modified by the Commission from time to time in accordance with the applicable laws in force;
- d) The headings within the Regulations are inserted for convenience and be read together with the text below for the purpose of interpretation of these Regulations;
- e) References to the Statutes, Regulations or guidelines shall be construed as including all statutory provisions consolidating, amending or replacing such Statutes, Regulations or guidelines, as the case may be, referred to;
- f) In case of inconsistency between any provision of these Regulations and any other Regulations or Orders passed by the Commission, the provisions of these Regulations shall prevail.

3. Scope of Regulation and extent of application

3.1 The Commission shall determine tariff within the Multi Year Tariff framework, for all matters for which the Commission has jurisdiction under the Act, including in the following cases:

- a) Supply of electricity by a Generating Company to a Distribution Licensee:

Provided that where a shortage of supply of electricity exists, it may fix the minimum and maximum ceiling of tariff for sale or purchase of electricity in pursuance of an agreement, entered into between a Generating Company and a Distribution Licensee or between Distribution Licensees, for a period not exceeding one year to ensure reasonable prices of electricity;

- b) Intra-State transmission of electricity;
- c) Intra-State wheeling of electricity;
- d) Retail supply of electricity:

Provided that in case of distribution of electricity in the same area by two or more Distribution Licensees, the Commission may, for promoting competition among Distribution Licensees, fix only the maximum ceiling of tariff for retail sale of electricity:

Provided further that where the Commission has allowed Open Access to certain Consumers under sub-section (2) of Section 42 of the Act, such Consumers, notwithstanding the provisions of clause (d) of sub-section (1) of Section 62 of the Act, may enter into an agreement with any person for supply or purchase of electricity on such terms and conditions (including tariff) as may be agreed between them. Such Open Access shall be regulated by provisions of Joint Electricity Regulatory Commission for the State of Goa and Union Territories (Connectivity and Open Access in Intra-State Transmission and Distribution) Regulations, 2017 as amended from time to time.

3.2 In accordance with the principles laid out in the Regulation 48, Regulation 50 and Regulation 57, the Commission shall determine Aggregate Revenue Requirement for:

- a) Distribution Wires Business; and
- b) Retail Supply Business.

3.3 The Distribution Licensee shall file an application containing separate details for determination of Aggregate Revenue Requirement for Distribution Wires Business and Retail Supply Business, in accordance with Regulation 48 specified in these Regulations.

3.4 The wheeling charges shall be based on the Aggregate Revenue Requirement determined for the Distribution Wires Business.

3.5 The Retail Supply tariff for retail sale of electricity shall be based on the Aggregate Revenue Requirement determined for the Retail Supply Business.

3.6 The Commission shall also determine Cross-Subsidy Surcharge in addition to the charges for wheeling under the first proviso to sub-section (2) of Section 42 of the Act, in accordance with the Joint Electricity Regulatory Commission for the State of Goa and Union Territories (Connectivity and Open Access in Intra-State Transmission and Distribution) Regulations, 2017, as amended from time to time.

3.7 The Commission shall also determine Additional Surcharge under sub-section (4) of Section 42 of the Act, in accordance with Joint Electricity Regulatory Commission for the State of Goa and Union Territories

(Connectivity and Open Access in Intra-State Transmission and Distribution) Regulations, 2017, as amended from time to time.

3.8 Notwithstanding anything contained in these Regulations, the Commission shall adopt the tariff, if such tariff has been determined through a transparent process of bidding in accordance with the guidelines issued by the Central Government pursuant to Section 63 of the Act.

4. Norms of operation to be ceiling norms

4.1 For removal of doubts, it is clarified that the norms of operation specified under these Regulations are the ceiling norms and this shall not preclude the Transmission Licensee or the Distribution Licensee, as the case may be, and the beneficiaries from accepting improved norms of operation as determined by the Commission and such improved norms shall be applicable for determination of tariff.

Chapter 2: General Principles

5. Guiding Principles for MYT Framework

5.1 The Commission shall determine the tariff for matters covered under clauses (a), (b), (c) and (d) of Regulation 3.1, under a Multi Year Tariff framework with effect from April 1, 2019.

5.2 The Multi Year Tariff framework for determination of Aggregate Revenue Requirement and Expected Revenue from Tariff and Charges for Generating Company, Transmission Licensee, Distribution Wires Business and Retail Supply Business shall include the following:

- a) Business Plan for the Licensee, for the entire Control Period as submitted to the Commission for approval, prior to the start of the Control Period;
- b) A detailed Multi Year tariff application comprising of the year-wise forecast of Aggregate Revenue Requirement for the entire Control Period and determination of Expected Revenue from Tariff and Charges for the first Year of the Control Period submitted by the Applicant, in formats specified by the Commission from time to time:

Provided that the performance parameters, whose trajectories have been specified in these Regulations or the Business Plan or the Multi Year Tariff Order approved by the Commission, shall form the basis for projection of these performance parameters in the Aggregate Revenue Requirement for the entire Control Period:

Provided further that a Mid-term Review of the Aggregate Revenue Requirement may be undertaken for the Generating Company, Transmission Licensee and Distribution Licensee on an application that shall be filed by the utilities along with the application for tariff determination for the third Year of the Control Period;

- c) Determination of year-wise Aggregate Revenue Requirement by the Commission for the entire Control Period and the tariff for the first Year of the Control Period for the Generating Company, Transmission Licensee, Distribution Wires Business and Retail Supply Business;
- d) Annual review of performance which shall be conducted vis-à-vis the approved forecast and categorisation of variations in performance into controllable and uncontrollable factors;
- e) Annual determination of tariff for the Generating Company, Transmission Licensee, Distribution Wires Business and Retail Supply Business, for each Financial Year within the Control Period, based on the approved forecast, the annual performance review, Mid-term Review and truing up exercise;
- f) Truing up of previous Year/(s) expenses and revenue by the Commission based on audited accounts vis-à-vis the approved forecast and categorisation of variation in performance as those caused by factors within the control of the Applicant (controllable factors) and those caused by factors beyond the control of the Applicant (uncontrollable factors);
- g) The mechanism for pass-through of approved gains or losses on account of uncontrollable factors as specified by the Commission in these Regulations;
- h) The mechanism for sharing of approved gains or losses on account of controllable factors as specified by the Commission in these Regulations.

6. Values for Base Year

6.1 The values for the Base Year of the Control Period shall be determined on the basis of the audited accounts or provisional accounts of last three (3) Years, and other factors considered relevant by the Commission:

Provided that, in absence of availability of audited accounts or provisional accounts of last three (3) Years, the Commission may benchmark the parameters with other similar utilities to establish the values for Base Year:

Provided further that the Commission may change the values for Base Year and consequently the trajectory of parameters for Control Period, considering the actual figures from audited accounts.

6.2 The Commission may revisit the performance targets for the Control Period during the Mid-term Review, carried out in accordance with the proviso to Regulation 5.2 (b).

7. Segregation of Retail Supply and Distribution Wires Business

1.1 The Distribution Licensee shall segregate the accounts of the Licensed Business into Distribution Wires Business and Retail Supply Business. The ARR for Distribution Wires Business shall be used to determine wheeling charges. The ARR for Retail Supply Business, which shall include the ARR for Distribution Wires Business, in accordance with Regulation 57, shall be used to determine retail supply tariff.

1.2 For such period until accounts are segregated, the Licensees shall use the Allocation Statement provided in the Regulation 48 to apportion costs and revenues to respective businesses.

8. Business Plan

8.1 The Transmission Licensee and Distribution Licensee shall file for the Commission's approval a Business Plan for the entire Control Period, duly approved by the competent authority by August 31, 2018:

Provided that the Generation Company shall not be required to file a Business Plan for the Control Period.

8.2 The Business Plan filed by the Distribution Licensee shall contain separate sections on Distribution Wires Business and Retail Supply Business.

8.3 The Business Plan filed by the Transmission Licensee shall inter-alia contain:

- a) Projections for the growth of load in the transmission network;
- b) **Capital Investment Plan** for each Year of the Control Period commensurate with load growth, transmission loss reduction trajectory and quality improvement measures proposed in the Business Plan in accordance with Regulation 8.5;
- c) **Capital structure** of each scheme proposed and the cost of financing (interest on debt and return on equity), terms of the existing loan agreements, etc.;
- d) **Performance targets** items such as transmission loss, availability of transmission system, transformer failure rate, and any other parameters for quality of supply for each year of the Control Period, consistent with the Capital Investment Plan proposed by the Transmission Licensee;
- e) **Projections for number of employees** during each Year of the Control Period based on proposed recruitments and retirement;
- f) **Proposals in respect of income from Other Business** for each Year of the Control Period.

8.4 The Business Plan filed by Distribution Licensee shall inter-alia contain:

- a) **Capital Investment Plan** for each Year of the Control Period commensurate with load growth, distribution loss reduction trajectory and quality improvement measures proposed in the Business Plan in accordance with Regulation 8.5;
- b) **Capital Structure** of each scheme proposed and the cost of financing (interest on debt and return on equity), terms of the existing loan agreements, etc.;
- c) **Sales Forecast** for each Consumer category and sub-categories for each Year of the Control Period in accordance with Regulation 8.6;
- d) **Power Procurement Plan** based on the Sales Forecast and distribution loss trajectory for each Year of the Control Period in accordance with the Regulation 8.7;
- e) **Targets** for distribution loss for each Year of the Control Period consistent with the Capital Investment Plan proposed by the Licensee;
- f) **Projections for number of employees** during each Year of the Control Period based on proposed recruitments and retirement;
- g) **Proposals in respect of income from Other Business** for each Year of the Control Period.

8.5 Capital Investment Plan

- a) The Capital Investment Plan to be submitted as part of Business Plan shall include details of New Projects planned during the Control Period, purpose of investment, capital structure, implementation schedule, quarter-wise capital expenditure and capitalisation schedule, financing plan, cost-benefit analysis, improvement in operational efficiency envisaged in the Control Period owing to proposed investment and such details for ongoing projects that will spill over into the Control Period under review along with justification;
- b) The Capital Investment Plan proposed by the Transmission Licensee shall be in conformity with the plans made by the Authority/Central Transmission Utility and with the Capital Investment Plan of the Distribution Licensee;
- c) During the annual performance review, the Commission shall monitor the progress of the actual capital expenditure incurred by the Licensee vis-à-vis the approved capital expenditure. The Licensees shall submit the actual capital expenditure incurred along with the annual performance review, true-up and determination of tariff filing;
- d) In case, during the annual performance review, the cumulative (starting from first Year of the Control Period up to the current Year) actual capital expenditure incurred is less than 50% of the cumulative approved capital expenditure, the Commission shall true-up the ARR elements relevant to actual capital expenditure in the current Year and remaining Years of the Control Period;
- e) In case the capital expenditure is required for emergency work which has not been approved in the Capital Investment Plan, the Licensee shall submit an application containing all relevant information along with reasons justifying emergency nature of the proposed work seeking approval of the Commission:

Provided that in case capital expenditure is required for emergency work or unforeseen situation to mitigate threat to life and property and if prior intimation thereof to the Commission shall cause any irreparable loss or injury, the Licensee may undertake that capital expenditure and submit the details along with adequate justification for ex post facto approval of the Commission:

Provided further that for the purpose of Regulation 8.5(e) above, such approved capital expenditure shall be treated as a part of both the actual capital expenditure incurred by the Licensee and approved capital expenditure by the Commission;

- f) The Licensee shall submit a report for every quarter detailing the progress of the capital expenditure and capitalisation undertaken against that proposed in the Capital Investment Plan, on or before the last Day of the month succeeding the respective quarter for review by the Commission.

8.6 Sales Forecast

- a) The Distribution Licensee shall forecast sales for each Consumer category and sub-categories, at different voltage levels, for each Year of the Control Period in their Business Plan filings, for the Commission's review and approval;
- b) The forecast shall be based on the actual demand of electricity in previous Years, anticipated growth in demand in coming Years, expected growth in the number of Consumers, changes in the pattern of consumption, target distribution losses and other relevant factors;
- c) The Licensee shall indicate separately the sale of electricity to traders or another Licensee and category wise sales to Open Access Consumers.

8.7 Power Procurement Plan

- a) The Distribution Licensee shall prepare a plan for procurement of power to serve the demand for electricity in its Area of Supply and submit such plan to the Commission for approval as a part of Business Plan:

Provided further that such power procurement plan may include long-term, medium-term and short-term sources of power procurement, in accordance with these Regulations;

- b) The power procurement plan of the Distribution Licensee shall comprise of the following:
 - (i) A quantitative forecast of the unrestricted base load and peak load for electricity within its Area of Supply;
 - (ii) An estimate of the quantity of electricity supply from the identified sources of power purchase, including own generation, if any;
 - (iii) Measures proposed for energy conservation, energy efficiency, and demand side management;
 - (iv) An estimate of availability of power to meet the base load and peak load requirement:

- Provided that such estimate of demand and supply shall be on month-wise basis in Megawatt (MW) as well as expressed in Million Units (MU);
- (v) Standards to be maintained with regard to quality and reliability of supply, in accordance with the relevant Regulations of the Commission;
 - (vi) The requirement for new sources of power procurement, including augmentation of own generation capacity, if any, and identified new sources of supply, based on (i) to (v) above;
 - (vii) The sources of power, quantity and cost estimates for such procurement:
- Provided that the forecast or estimates for the Control Period shall be prepared for each month over the Control Period:
- Provided further that the long-term procurement plan shall be a cost-effective plan based on available information regarding costs of various sources of supply;
- c) The forecast or estimate shall be prepared using forecasting techniques based on past data, sales forecast, impact of loss reduction initiatives, improvement in Generating Station Plant Load Factors and other relevant factors;
 - d) Where the Commission has specified a percentage of the total consumption of electricity in the area of a Distribution Licensee to be purchased from co-generation or renewable sources of energy including solar power, the power procurement plan shall include the plan for procurement from such sources upto the specified level;
 - e) The Distribution Licensee shall also consult the State Transmission Utility at the time of preparation of the power procurement plan, to ensure consistency of such plan with the transmission system plan;
 - f) The Distribution Licensee may, as a result of additional information not previously known or available to it at the time of submission of the procurement plan under Regulation apply for modification in the power procurement plan for the remaining Control Period, as part of its Petition for Mid-term Review;
 - g) The Commission may, as a result of additional information not previously known or available to the Commission at the time of approval of the procurement plan, if it deems appropriate, suo motu or on a Petition filed by the Distribution Licensee, modify the procurement plan of the Distribution Licensee for the remaining Control Period, as part of the Mid-term Review.

9. Multi Year Tariff Application

9.1 The Applicant shall submit the forecast of Aggregate Revenue Requirement for each year of the Control Period and tariff proposal for the first Year of the Control Period, in a manner as provided in these Regulations and in formats specified by the Commission from time to time. The application shall be accompanied by such fee payable, as may be specified by the Commission in the Joint Electricity Regulatory Commission (Conduct of Business) Regulations, 2009, as amended from time to time, by November 30, 2018:

Provided that the application shall also be accompanied by the true-up Petition based on the latest available audited accounts and the annual performance review for the current Year based on the actual performance during the first six Months of the Year and estimates for the subsequent six Months.

9.2 The Applicant shall develop the forecast of Aggregate Revenue Requirement using the assumptions relating to the behaviour of individual variables that comprise the Aggregate Revenue Requirement during each year of the Control Period, including inter-alia detailed category-wise sales and demand projections, power procurement plan, Capital Investment Plan, trajectories of parameters specified in these Regulations and Business Plan, in accordance with guidelines and formats, as may be specified by the Commission from time to time.

9.3 The Applicant shall develop the forecast of Expected Revenue from Tariff and Charges based on the following:

- a) In the case of a Generating Company, estimates of the quantum of electricity to be generated by each unit/station for ensuing Financial Year within the Control Period;
- b) In the case of a Transmission Licensee, estimates of the transmission capacity allocated to Transmission System Users for ensuing Financial Year within the Control Period;
- c) In the case of a Distribution Licensee, estimates of the quantum of electricity to be supplied to Consumers and to be wheeled on behalf of distribution system users for the ensuing Financial Year within the Control Period;
- d) Prevailing tariff as on the date of making the application.

9.4 Based on the forecast of Aggregate Revenue Requirement for the first Year of the Control Period and Expected Revenue from Tariff and Charges, the Generating Company, Transmission Licensee and Distribution Licensee for the Distribution Wires Business and Retail Supply Business, shall propose the tariff for the first Year of Control Period:

Provided that the tariff proposed by Distribution Licensee shall be in accordance with Regulation 62 and these Regulations.

9.5 The Applicant shall provide full details supporting the forecast, including but not limited to details of past performance, proposed initiatives for achieving efficiency or productivity gains, technical studies, contractual arrangements and/or secondary research, to enable the Commission to assess the reasonableness of the forecast.

9.6 On receipt of the application, the Commission shall either:

- a) issue an Order approving the Aggregate Revenue Requirement for the entire Control Period and the tariff for the first Year of the Control Period; or
- b) reject the application for reasons to be recorded in writing, as the Commission may deem appropriate:

Provided that the Applicant shall be given a reasonable opportunity of being heard before rejecting its application.

10. Trajectory for Specific Variables

10.1 The Commission, while approving the Business Plan and/or Multi Year Tariff Petition, may stipulate a trajectory for certain variables, including but not limited to Auxiliary consumption, Station Heat Rate, O&M expenses etc.:

Provided that the utilities shall adhere to the norms as specified in the Order on Multi Year tariff petition:

Provided further that the Generating Company or Transmission Licensee or Distribution Licensee, as the case may be, may seek a review at the time of Mid-term Review of Aggregate Revenue Requirement for the balance Control Period.

11. Annual Performance Review, Truing-up and tariff determination during the Control Period

11.1 The Generating Company, Transmission Licensee and Distribution Licensee shall be subject to annual performance review and truing up of expenses and revenue during the Control Period in accordance with these Regulations.

11.2 The Generating Company, Transmission Licensee and Distribution Licensee shall file an application for the annual performance review of the current year, truing up of the previous Year or the Year for which the audited accounts are available and determination of tariff for the ensuing Year on or before 30th November of each Year, in formats specified by the Commission from time to time:

Provided that the Generating Company, Transmission Licensee or Distribution Licensee, as the case may be, shall submit to the Commission information in such form as may be specified by the Commission, together with the audited accounts, extracts of books of account and such other details as the Commission may require to assess the reasons for and extent of any variation in financial performance from the approved forecast of Aggregate Revenue Requirement and Expected Revenue from Tariff and Charges.

11.3 The scope of the annual performance review, truing up and tariff determination shall be a comparison of the performance of the Generating Company, Transmission Licensee or Distribution Licensee with the approved forecast of Aggregate Revenue Requirement and Expected Revenue from Tariff and Charges and shall comprise of the following:

- a) **True-up:** a comparison of the audited performance of the Applicant for the Financial Year for which the true up is being carried out with the approved forecast for such previous Financial Year, subject to the prudence check;
- b) **Annual Performance Review:** a comparison of the revised performance targets of the Applicant for the current Financial Year with the approved forecast in the Tariff Order corresponding to the Control Period for the current Financial Year subject to prudence check;
- c) **Tariff determination** for the ensuing Year of the Control Period based on the revised forecast of the Aggregate Revenue Requirement for the Year;
- d) Review of compliance with directives issued by the Commission from time to time;
- e) Other relevant details, if any.

11.4 Upon completion of the exercise, the Commission shall attribute any variations or expected variations in performance for variables specified under Regulation 12 below, to factors within the control of the Applicant (controllable factors) or to factors beyond the control of the Applicant (uncontrollable factors):

Provided that any variations or expected variations in performance, for variables other than those specified under Regulation 12 below shall be attributed entirely to controllable factors.

11.5 Upon completion of the exercise, the Commission shall pass an order recording:

a) Components of approved cost pertaining to the uncontrollable factors, which were not recovered during the previous Year, to be passed through in tariff as per Regulation 13 of these Regulations:

Provided that, for a Generating Company, the above exercise shall be in accordance with prevalent CERC Tariff Regulations.

b) Approved aggregate gain or loss to the Transmission Licensee or Distribution Licensee on account of controllable factors, and the amount of such gains or such losses that may be shared in accordance with Regulation 14 of these Regulations:

Provided that, for a Generating Company, the above exercise shall be in accordance with prevalent CERC Tariff Regulations.

c) Carrying cost shall be allowed for a Generating Company, Transmission Licensee or Distribution Licensee on the amount of revenue gap for the period from the date on which such gap has become due, i.e., from the end of the Year for which true-up has been done, till the end of the Year in which it is addressed, on the basis of actual rate of loan taken by the Licensee to fund the deficit in revenue:

Provided that carrying cost on the amount of revenue gap shall be allowed subject to prudence check and submission of documentary evidence for having incurred the carrying cost in the years prior to the year in which the revenue gap is addressed:

Provided also that if no loan has been taken to fund revenue deficit, the Commission shall allow Carrying Cost on simple interest basis at one (1) Year State Bank of India (SBI) MCLR /any replacement thereof as notified by RBI for the time being in effect applicable for 1 Year period, as may be, applicable as on 1st April of the relevant Year plus 100 basis points;

Provided further that in case of revenue surplus, the Commission shall charge the Licensee a Carrying Cost from the date on which such surplus has become due, i.e., from the end of the Year for which true-up has been done, till the end of the Year in which it is addressed on simple interest basis at one (1) Year State Bank of India (SBI) MCLR / any replacement thereof as notified by RBI for the time being in effect applicable for 1 Year period, as may be, applicable as on 1st April of the relevant Year plus 100 basis points.

d) Revision of estimates and tariff for the ensuing Financial Year.

12. Uncontrollable and Controllable factors

12.1 For the purpose of these Regulations, the term “uncontrollable factors” for a Transmission or Distribution Licensee shall comprise of the following factors, which were beyond the control of the Licensee, and could not be mitigated by the Licensee:

- a) Force Majeure events;
- b) Change in Law, judicial pronouncements and Orders of the Central Government, State Government or Commission;
- c) Variation in the number or mix of Consumers or quantities of electricity supplied to Consumers;
- d) Transmission loss;
- e) Variation in the cost of power purchase due to variation in the rate of power purchase from approved sources, subject to clauses in the power purchase agreement or arrangement approved by the Commission;
- f) Variation in fuel cost;
- g) Change in power purchase mix;
- h) Inflation;
- i) Transmission Charges for a Distribution Licensee;
- j) Variation in market interest rates for long-term loans;

- k) Employee expenses limited to one time payment owing requirements of a pay commission and terminal liability of employees;
- l) Taxes and Statutory levies;
- m) Taxes on income;
- n) Income from the realisation of bad debts written off:

Provided that where the Applicant believes, for any variable not specified above, that there is a material variation or expected variation in performance for any Financial Year on account of uncontrollable factors, such Applicant may apply to the Commission for inclusion of such variable at the Commission's discretion, under this Regulation for such Financial Year:

Provided further that the uncontrollable factors for a Generating Company shall be as specified in the prevalent CERC Tariff Regulations.

12.2 For the purpose of these Regulations, the term "controllable factors" for a Transmission or Distribution Licensee shall comprise of the factors which were within the control of the Licensee, shall inter-alia include:

- a) Variations in capitalisation on account of time and/or cost overruns/ efficiencies in the implementation of a capital expenditure project not attributable to an approved change in scope of such project, change in statutory levies or force majeure events;
- b) Variation in Interest and Finance Charges, Return on Equity, and Depreciation on account of variation in capitalisation, as specified in clause (a) above;
- c) Variations in technical and commercial losses of Distribution Licensee;
- d) Availability of transmission system;
- e) Variations in performance parameters;
- f) Failure to meet the standards specified in the Joint Electricity Regulatory Commission for the State of Goa & UTs (Standard of Performance for Distribution Licensees) Regulation, 2015, as amended from time to time;
- g) Variations in labour productivity;
- h) Variation in O&M Expenses, except to the extent of inflation;
- i) Bad debts written off, in accordance with the provisions of Regulation 62:

Provided further that the controllable factors for a Generating Company shall be as specified in the prevalent CERC Tariff Regulations.

13. Mechanism for pass through of gains or losses on account of uncontrollable factors

13.1 Approved aggregate gain or loss to the Transmission Licensee or Distribution Licensee on account of uncontrollable factors shall be pass-through as an adjustment in the tariff of the Transmission Licensee or Distribution Licensee over such period as may be specified in the Order of the Commission passed under these Regulations:

Provided that the mechanism for pass through of gains or losses on account of uncontrollable factors for a Generating Company shall be as specified in the prevalent CERC Tariff Regulations.

13.2 The Transmission Licensee or Distribution Licensee shall submit such details of the variation between expenses incurred and revenue earned and the figures approved by the Commission, in the specified format to the Commission, along with the detailed computations and supporting documents as may be required for verification by the Commission.

14. Mechanism for sharing of gains or losses on account of controllable factors

14.1 Approved aggregate gain to the Transmission Licensee or Distribution Licensee on account of controllable factors shall be shared equally between Licensee and Consumers:

Provided that the mechanism for sharing of gains or losses on account of controllable factors for a Generating Company shall be as specified in the prevalent CERC Tariff Regulations.

14.2 Approved aggregate loss, if any to the Transmission Licensee or Distribution Licensee on account of controllable factors shall be on account of the Licensee, and shall not be passed to the Consumers.

15. Determination of Tariff

15.1 The proceedings to be held by the Commission for determination of tariff shall be in accordance with the Joint Electricity Regulatory Commission (Conduct of Business) Regulations, 2009, as amended from time to time.

15.2 Notwithstanding anything contained in these Regulations, the Commission shall at all times have the authority, either on suo motu basis or on a Petition filed by the Generating Company, Transmission Licensee or Distribution Licensee, to determine the tariff, including terms and conditions thereof:

Provided that such determination of tariff may be pursuant to an agreement or arrangement or otherwise whether or not previously approved by the Commission and entered into at any time before or after the applicability of these Regulations.

15.3 Notwithstanding anything contained in these Regulations, the Commission shall adopt the tariff, if such tariff has been determined through a transparent process of bidding in accordance with the guidelines issued by the Central Government:

Provided that the Applicant shall provide such information as the Commission may require for satisfying itself that the guidelines issued by the Central Government in this regard have been duly followed.

15.4 Determination of Tariff for an existing Generation Station:

a) Where the Commission has, at any time prior to the date of effectiveness of these Regulations, approved a power purchase agreement or arrangement between a Generating Company and a Distribution Licensee or has adopted the tariff contained therein for supply of electricity from an existing generating unit/station, the tariff for supply of electricity by the Generating Company to the Distribution Licensee shall be in accordance with tariff mentioned in such power purchase agreement or arrangement for such period as may be so approved or adopted by the Commission;

b) Where, as on the date of effectiveness of these Regulations, the power purchase agreement or arrangement between a Generating Company and a Distribution Licensee for supply of electricity from an existing Generating Station has not been approved by the Commission or the tariff contained therein has not been adopted by the Commission or where there is no power purchase agreement or arrangement, the supply of electricity by such Generating Company to such Distribution Licensee after the date of effectiveness of these Regulations shall be in accordance with a power purchase agreement approved by the Commission:

Provided that an application for approval of such power purchase agreement or arrangement shall be made by the Distribution Licensee to the Commission within a period of three (3) months from the date of notification of these Regulations:

Provided further that the supply of electricity shall be allowed to continue under the present agreement or arrangement, as the case may be, until such time as the Commission approves of such power purchase agreement and shall be discontinued forthwith if the Commission rejects, for reasons recorded in writing, such power purchase agreement or arrangement.

15.5 Determination of Tariff for a new Generating Station:

a) The tariff for the supply of electricity by a Generating Company to a Distribution Licensee from a new generating unit/station shall be in accordance with tariff as per power purchase agreement approved by the Commission.

15.6 Determination of Tariff for Transmission, Distribution Wires Business and Retail Supply Business:

a) The Commission shall, based on an application made by the Transmission or Distribution Licensees in accordance with the Regulations 16 determine the tariff for:

(i) Transmission of electricity, in accordance with the terms and conditions contained in Chapter 5 of these Regulations;

(ii) Distribution Wires Business, in accordance with the terms and conditions contained in Chapter 6 of these Regulations; and

(iii) Retail Supply Business, in accordance with the terms and conditions contained in Chapter 7 of these Regulations.

16. Filing Procedure

16.1 The Applicant shall provide, as part of its Petition to the Commission, in such formats as specified by the Commission from time to time, full details of its calculation of the Aggregate Revenue Requirement and

Expected Revenue from Tariff and Charges, and thereafter, shall furnish such further information or particulars or documents as the Commission may reasonably require to assess such calculation:

Provided that the Petition shall be accompanied by, where relevant, tariff and charges revision proposal showing category-wise tariff for recovery of Aggregate Revenue Requirement for the respective Year of the Control Period:

Provided further that the Commission may specify additional/alternative formats for details to be submitted by the Applicant, from time to time, as it may reasonably require for assessing the Aggregate Revenue Requirement and for determining the tariff.

16.2 Upon receipt of a complete Petition accompanied by all requisite information, particulars and documents in compliance with all the requirements specified in these Regulations, the Petition shall be deemed to be received and the Commission shall intimate to the Applicant regarding the acceptance of Petition.

16.3 The Petition shall be supported by an affidavit of the person acquainted with the facts stated in the application.

16.4 The Applicant shall, within seven (7) Days after acceptance of the Petition by the Commission, publish a notice of its Petition in at least two English and two Vernacular language daily newspapers having wide circulation in the relevant area:

Provided that the Applicant shall make available a hard copy of the complete Petition to any person, at such locations and at such rates as may be stipulated by the Commission:

Provided also that the Applicant shall also provide on its internet website, in text searchable format or in downloadable spreadsheet format furnishing detailed computations, the Petition filed before the Commission along with all regulatory filings, information, particulars and documents in the manner stipulated by the Commission:

Provided also that the web link to such information mentioned shall be easily accessible, archived for downloading and be prominently displayed on the Applicant's internet website:

Provided further that the Applicant may be exempted by the Commission from providing any such information, particulars or documents, which are confidential in nature.

16.5 The suggestions and objections, if any, on the proposal for determination of tariff, may be filed before the Secretary, Joint Electricity Regulatory Commission, by any person within the timeline specified in the notice so published, with a copy to the Applicant.

16.6 The Applicant shall within seven(7) Days from the date of publication of the notice as aforesaid, submit to the Commission on affidavit the details of the notice published and shall also file copies of the newspapers wherein the notice has been published.

16.7 The Applicant shall file its comments on the suggestions and objections, if any, received in response to its application within the time limit specified by the Commission.

17. Tariff Order

17.1 The Commission shall, within one hundred and twenty (120) Days from the date of acceptance of the complete Petition, subject to petitioner providing information subsequently sought by the Commission in a timely manner and after considering all suggestions and objections received from the various stakeholders:

- a) issue a Tariff Order; or
- b) reject the application for reasons to be recorded in writing if such application is not in accordance with the provisions of the Act and Regulations made thereunder or the provisions of any other law for the time being in force:

Provided that an Applicant shall be given a reasonable opportunity of being heard before rejecting its application.

17.2 The tariff so published shall be in force from the date specified in the said Order and shall, unless amended or revoked, continue to be in force for such period as may be stipulated therein.

17.3 The Applicant shall publish the tariff approved by the Commission in at least two English and two vernacular language daily newspapers having wide circulation in the State of location of Generating Company or Transmission Licensee or Area of Supply of Distribution Licensee, as the case may be, display the approved tariff schedule on its internet website, and make available for sale a booklet containing such tariff to any person upon payment of reasonable reproduction charges.

18. Adherence to Tariff Order

- 18.1 No tariff or part of any tariff may ordinarily be amended more frequently than once in a Year, except in respect of any changes expressly permitted under the terms of any fuel surcharge formula as may be specified.
- 18.2 If any Generating Company or Licensee recovers a price or charge exceeding the tariff determined by the Commission under Section 62 of the Act and in accordance with these Regulations, the excess amount shall be payable to the person who has paid such price or charge, along with interest equivalent to the Bank Rate prevailing during the relevant period, without prejudice to any other liability to which such Generating Company or Licensee may be subject:
- Provided that such interest payable to any party shall not be allowed to be recovered through the Aggregate Revenue Requirement of the Licensee:
- Provided further that the Licensee shall maintain separate details of such interest paid or payable by it, and shall submit them to the Commission along with its Petition.

19. Annual determination of tariff

- 19.1 The Commission shall determine the tariff of a Generating Company, Transmission Licensee and Distribution Licensee covered under a Multi Year Tariff framework for each Year during the Control Period, in accordance with timelines specified in Regulation 17, having regard to the following:
- The approved forecast of Aggregate Revenue Requirement and Expected Revenue from Tariff and Charges of the Generating Company, Transmission Licensee and Distribution Licensee for such Financial Year, including modifications approved at the time of Mid-term Review, if any; and
 - Approved gains and losses, including the incentive available, to be passed through in tariff, following the truing up of previous Year.

20. Subsidy Mechanism

- 20.1 If the Government requires to grant any subsidy to any Consumer or class of Consumers in the tariff determined by the Commission, the Government shall, notwithstanding any direction which may be given under Section 108 of the Act, pay in advance the amount to compensate the Distribution Licensee/person affected by the grant of subsidy, as a condition for the Licensee or any other person concerned to implement the subsidy provided for by the Government, in the manner specified in these Regulations:
- Provided that no such direction of the Government shall be operative if the payment is not made in accordance with the provisions contained in these Regulations, and the tariff fixed by the Commission shall be applicable from the date of issue of orders by the Commission in this regard.

Chapter 3: Financial Principles**21. Financial Principles for a Generating Company**

- 21.1 The Capital Cost for a Generating Company shall be determined by the Commission, guided by the relevant provisions of the prevalent CERC Tariff Regulations governing generation of electricity, subject to prudence check. The Capital Cost so determined shall form the basis of determination of tariff for Existing Projects and New Projects.
- 21.2 The norms for Additional Capitalisation and Renovation and Modernisation for a Generating Company shall be in accordance with the prevalent CERC Tariff Regulations, governing generation of electricity.
- 21.3 The financial principles including principles governing Debt to Equity Ratio, Return on Equity, Interest on Loan, Foreign Exchange Risk Variation, Interest on Working Capital, treatment of Tax on Income, norms for working capital etc. for a Generating Company shall be as specified in the prevalent CERC Tariff Regulations, governing generation of electricity.

22. Financial Principles for Transmission and Distribution Business

- 22.1 The financial principles specified in the subsequent sections of this Chapter of these Regulations shall be applicable to the Transmission and Distribution Licensee.

23. Capital Cost

- 23.1 Capital cost for a capital investment Project shall include:
- the expenditure incurred or projected to be incurred, including interest during construction and financing charges, as admitted by the Commission after prudence check;
 - capitalised initial spares subject to the ceiling rates specified in this Regulation;

- (c) the expenses incurred by the Licensee on obtaining right of way, as admitted by the Commission after prudence check;
- (d) additional capitalisation determined in accordance with Regulation 24;
- (e) any gain or loss on account of foreign exchange rate variation pertaining to the loan amount availed up to the Date of Commercial Operation, as admitted by the Commission after prudence check:

Provided that any gain or loss on account of foreign exchange rate variation pertaining to the loan amount availed up to the Date of Commercial Operation shall be adjusted only against the debt component of the capital cost:

Provided further that the capital cost of the assets forming part of the Project but not put to use or not in use, shall be excluded from the capital cost:

Provided also that the Licensee shall submit documentary evidence in support of its claim of assets being put to use.

- 23.2 The capital cost admitted by the Commission after prudence check shall form the basis for determination of tariff:

Provided that prudence check may include scrutiny of the reasonableness of the capital expenditure, financing plan including the choice and manner of funding, interest during construction, use of efficient technology, cost over-run and time over-run, and such other matters as may be considered appropriate by the Commission for determination of tariff.

- 23.3 The approved capital cost shall be considered for determination of tariff and if sufficient justification is provided for any escalation in the capital cost, the same may be considered by the Commission subject to prudence check:

Provided that in case the actual capital cost is lower than the approved capital cost, then the actual capital cost shall be considered for determination of tariff of the Licensee.

- 23.4 The actual capital expenditure on Date of Commercial Operation for the original scope of work based on audited accounts of the Transmission Licensee and Distribution Licensee, limited to original cost may be considered subject to prudence check by the Commission.

- 23.5 Where the Bulk Power Transmission Agreement provides for a ceiling of capital cost, the capital cost to be considered shall not exceed such ceiling.

- 23.6 The capital cost may include initial spares capitalised as a percentage of the Plant and Machinery cost upto Cut-off Date, subject to the following ceiling norms:

| | |
|--|------|
| a) Transmission Line & Distribution Line | 1.0% |
| b) Transmission Sub-station & Distribution Sub-station (Green Field) | 4.0% |
| c) Transmission Sub-station (Brown Field) | 6.0% |
| d) Series Compensation devices and HVDC Station | 4.0% |
| e) Gas Insulated Sub-station (GIS) | 5.0% |
| f) Communication System | 3.5% |

- 23.7 Any expenditure on the replacement, renovation and modernization or extension of life of old fixed assets, as applicable to the Transmission Licensee and Distribution Licensee, shall be considered after writing off the net value of such replaced assets from the original capital cost and shall be calculated as follows:

Net Value of Replaced Assets = OCFA – AD – CC

Where;

OCFA: Original capital cost of Replaced Assets

AD: Accumulated depreciation pertaining to the Replaced Assets

CC: Total Consumer Contribution pertaining to the Replaced Assets:

Provided further that the amount of insurance proceeds received, if any, towards damage to any asset requiring its replacement shall be first adjusted towards outstanding actual or normative loan and the balance amount, if any, shall be utilised to reduce the capital cost of such replaced asset, and any further balance amount shall be considered as Non-Tariff Income.

24. Additional Capitalisation

24.1 The capital expenditure, actually incurred or projected to be incurred, in respect of New Project or an Existing Project, on the following counts within the original scope of work, after the Date of Commercial Operation and up to the Cut-off Date may be admitted by the Commission, subject to prudence check:

- (i) Undischarged liabilities recognized to be payable at a future date;
- (ii) Works deferred for execution;
- (iii) Procurement of initial capital spares within the original scope of work, in accordance with the provisions of Regulation 23.6;
- (iv) Liabilities to meet award of arbitration or for compliance of the order or decree of a court of law; and
- (v) Change in law or compliance with any existing law:

Provided that the details of works asset wise/work wise included in the original scope of work along with estimates of expenditure, liabilities recognized to be payable at a future date and the works deferred for execution shall be submitted along with the application for determination of tariff.

24.2 The capital expenditure incurred or projected to be incurred in respect of the New Project on the following counts within the original scope of work after the Cut-off Date may be admitted by the Commission, subject to prudence check:

- (i) Liabilities to meet award of arbitration or for compliance of the order or decree of a court of law;
- (ii) Change in law or compliance with any existing law;
- (iii) Any liability for works executed prior to the Cut-off Date, after prudence check of the details of such undischarged liability, total estimated cost of package, reasons for such withholding of payment and release of such payments, etc.

24.3 The capital expenditure, in respect of Existing Project, incurred or projected to be incurred on the following counts after the Cut-off Date, may be admitted by the Commission, subject to prudence check:

- (i) Liabilities to meet award of arbitration or for compliance with the order or decree of a court of law;
- (ii) Change in law or compliance of any existing law;
- (iii) Any expenses to be incurred on account of need for higher security and safety of the capital asset as advised or directed by appropriate Government agencies or statutory authorities responsible for national security/internal security;
- (iv) Any liability for works executed prior to the Cut-off Date, after prudence check of the details of such undischarged liability, total estimated cost of package, reasons for such withholding of payment and release of such payments etc.;
- (v) Any liability for works admitted by the Commission after the Cut-off Date to the extent of discharge of such liabilities by actual payments;
- (vi) Any additional capital expenditure, which has become necessary for efficient operation of the transmission system. The claim shall be substantiated with the technical justification duly supported by the documentary evidence like test results carried out by an independent agency in case of deterioration of assets, report of an independent agency in case of damage caused by natural calamities, obsolescence of technology, up-gradation of capacity for the technical reason such as increase in fault level; and
- (vii) In case of transmission system, any additional expenditure on items such as relays, control and instrumentation, computer system, power line carrier communication, DC batteries, replacement due to obsolescence of technology, replacement of switchyard equipment due to increase of fault level, tower strengthening, communication equipment, emergency restoration system, insulators cleaning infrastructure, replacement of porcelain insulator with polymer insulators, replacement of damaged equipment not covered by insurance and any other expenditure which has become necessary for successful and efficient operation of transmission system:

Provided that any expenditure on acquiring the minor items or the assets including tools and tackles, furniture, air-conditioners, voltage stabilizers, refrigerators, coolers, computers, fans, washing machines, heat convectors, mattresses, carpets, etc., bought after the Cut-off Date shall not be considered for additional capitalization for determination of tariff:

Provided further that if any expenditure has been claimed under Renovation and Modernisation (R&M) or repairs and maintenance under O&M Expenses, the same expenditure cannot be claimed under this Regulation.

- 24.4 Impact of additional capitalization on the tariff, as the case may be, shall be considered during truing up of each Financial Year of the Control Period.

25. Consumer Contribution, Deposit Work, Grant and Capital Subsidy

- 25.1 The works carried out by the Transmission Licensee and Distribution Licensee after obtaining a part or all of the funds from the users shall be classified as Deposit Works;
- 25.2 Capital works undertaken by the Transmission Licensee and Distribution Licensee utilising grants received from the State and Central Governments, including funds under various schemes shall be classified under the category of Grants;
- 25.3 The works carried out with any other grant of similar nature or such amount received without any obligation to return the same and with no interest costs attached to such subvention shall also be classified as works performed through consumer contribution, deposit work, capital subsidy or grant.
- 25.4 The expenses on such capital expenditure shall be treated as follows:
- normative O&M expenses as specified in these Regulations shall be allowed;
 - the debt to equity ratio shall be considered in accordance with Regulation 26, after deducting the amount of financial support provided through consumer contribution, deposit work, capital subsidy or grant;
 - depreciation to the extent of works performed through consumer contribution, deposit work, capital subsidy or grant shall not be allowed as specified in Regulation 30;
 - provisions related to return on equity, as specified in Regulation 27, shall not be applicable to the extent of financial support provided through consumer contribution, deposit work, capital subsidy or grant;
 - provisions related to interest on loan capital, as specified in Regulation 28, shall not be applicable to the extent of financial support provided through consumer contribution, deposit work, capital subsidy or grant.

26. Debt to Equity Ratio

- 26.1 In case of Existing Projects, debt to equity ratio allowed by the Commission for determination of tariff for the period ending March 31, 2018 shall be considered:

Provided that in case of retirement or replacement or De-capitalisation of the assets, the equity capital approved as mentioned above, shall be reduced to the extent of 30% (or actual equity component based on documentary evidence, if it is lower than 30%) of the original cost of such assets:

Provided further that in case of retirement or replacement or De-capitalisation of the assets, the debt capital approved as mentioned above, shall be reduced to the extent of outstanding debt component based on documentary evidence, or the normative loan component, as the case may be, of the original cost of such assets.

- 26.2 For New Projects, the debt-equity ratio as on the Date of Commercial Operation shall be 70:30 of the amount of capital cost approved by the Commission under Regulation 23, after prudence check for determination of tariff:

Provided that where equity actually deployed is less than 30% of the capital cost of the capitalised asset, the actual equity shall be considered for determination of tariff:

Provided also that if the equity actually deployed is more than 30% of the capital cost, equity in excess of 30% shall be treated as a normative loan for the Licensee for determination of tariff:

Provided also that the Licensee shall submit documentary evidence for the actual deployment of equity and explain the source of funds for the equity:

Provided also that the equity invested in foreign currency shall be designated in Indian rupees on the date of each investment:

Provided further that the premium, if any, raised by the Licensee while issuing share capital and investment of internal resources created out of its free reserves, for the funding of the scheme, shall be reckoned as paid up capital for the purpose of computing return on equity, provided such premium amount and internal resources

are actually utilized for meeting the capital expenditure of the transmission system or the distribution system, and are within the ceiling of 30% of capital cost approved by the Commission.

- 26.3 Any expenditure incurred or projected to be incurred on or after April 1, 2019, as may be admitted by the Commission, as additional capital expenditure for determination of tariff, and renovation and modernisation expenditure for life extension shall be serviced in the manner specified in this Regulation.

27. Return on Equity

- 27.1 Return on equity shall be computed on the paid up equity capital determined in accordance with Regulation 26 for the assets put to use for the Transmission Licensee and shall be allowed in accordance with the prevalent CERC Tariff Regulations for transmission system.
- 27.2 The return on equity for the Distribution Wires Business shall be allowed on the equity capital determined in accordance with Regulation 26 for the assets put to use at post-tax rate of return on equity specified in the prevalent CERC Tariff Regulations for transmission system.
- 27.3 The return on equity for the Retail Supply Business shall be allowed on the equity capital determined in accordance with Regulation 26 for the assets put to use, at the rate of sixteen (16) per cent per annum.
- 27.4 The return on equity shall be computed on average of equity capital at the beginning and end of Year.

28. Interest on Loan

- 28.1 The loans arrived at in the manner indicated in Regulation 26 on the assets put to use, shall be considered as gross normative loan for calculation of interest on the loan:

Provided that interest and finance charges on capital works in progress shall be excluded:

Provided further that in case of De-capitalisation or retirement or replacement of assets, the loan capital shall be reduced to the extent of outstanding loan component of the original cost of the de-capitalised or retired or replaced assets, based on documentary evidence.

- 28.2 The normative loan outstanding as on April 1, 2019, shall be worked out by deducting the cumulative repayment as admitted by the Commission up to March 31, 2018, from the gross normative loan.
- 28.3 Notwithstanding any moratorium period availed by the Transmission Licensee or the Distribution Licensee, as the case may be, the repayment of loan shall be considered from the first Year of commercial operation of the project and shall be equal to the annual depreciation allowed in accordance with Regulation 30.
- 28.4 The rate of interest shall be the weighted average rate of interest calculated on the basis of the actual loan portfolio at the beginning of each Year applicable to the Transmission Licensee or the Distribution Licensee:

Provided that at the time of truing up, the weighted average rate of interest calculated on the basis of the actual loan portfolio during the Year applicable to the Transmission Licensee or the Distribution Licensee shall be considered as the rate of interest:

Provided also that if there is no actual loan for a particular Year but normative loan is still outstanding, the last available weighted average rate of interest for the actual loan shall be considered:

Provided further that if the Transmission Licensee or the Distribution Licensee does not have actual loan, then one (1) Year State Bank of India (SBI) MCLR / any replacement thereof as notified by RBI for the time being in effect applicable for one (1)Year period, as may be applicable as on 1st April of the relevant Year plus 100 basis points shall be considered as the rate of interest for the purpose of allowing the interest on the normative loan.

- 28.5 The interest on loan shall be calculated on the normative average loan of the Year by applying the weighted average rate of interest:

Provided that at the time of truing up, the normative average loan of the Year shall be considered on the basis of the actual asset capitalisation approved by the Commission for the Year.

- 28.6 For new loans proposed for each Financial Year of the Control Period, interest rate shall be considered as lower of (i) one (1) Year State Bank of India (SBI) MCLR / any replacement thereof as notified by RBI for the time being in effect applicable for one (1)Year period, as may be applicable as on 1st April of the relevant Year plus 100 basis points, and (ii) weighted average rate of interest proposed by the Distribution Licensee.

- 28.7 The above interest computation shall exclude the interest on loan amount, normative or otherwise, to the extent of capital cost funded by consumer contribution, deposit work, capital subsidy or grant, carried out by Transmission Licensee or Distribution Licensee.

- 28.8 The finance charges incurred for obtaining loans from financial institutions for any Year shall be allowed by the Commission at the time of Truing-up, subject to prudence check.
- 28.9 The excess interest during construction on account of time and/or cost overrun as compared to the approved completion schedule and capital cost or on account of excess drawal of the debt funds disproportionate to the actual requirement based on Scheme completion status, shall be allowed or disallowed partly or fully on a case to case basis, after prudence check by the Commission:
- Provided that where the excess interest during construction is on account of delay attributable to an agency or contractor or supplier engaged by the Transmission Licensee, any liquidated damages recovered from such agency or contractor or supplier shall be taken into account for computation of capital cost:
- Provided further that the extent of liquidated damages to be considered shall depend on the amount of excess interest during construction that has been allowed by the Commission.
- 28.10 The Transmission Licensee or the Distribution Licensee, as the case may be, shall make every effort to re-finance the loan as long as it results in net savings on interest and in that event the costs associated with such re-financing shall be borne by the beneficiaries and the net savings shall be shared between the equally between the beneficiaries and the Transmission Licensee or the Distribution Licensee and the Consumers of Distribution Licensee.
- 28.11 Interest shall be allowed on the amount held as security deposit held in cash from Retail Consumers at the Bank Rate as on 1st April of the Financial Year in which the Petition is filed:
- Provided that at the time of truing-up, the interest on the amount of security deposit for the Year shall be considered on the basis of the actual interest paid by the Licensee during the Year, subject to prudence check by the Commission.

29. Foreign Exchange Rate Variation

- 29.1 The Licensee may hedge foreign exchange exposure in respect of the interest on foreign currency loan and repayment of foreign loan acquired for the transmission system or distribution system, in part or in full at its discretion.
- 29.2 The Licensee shall be permitted to recover the cost of hedging of foreign exchange rate variation corresponding to the foreign debt, in the relevant Year as an expense, subject to prudence check by the Commission, and extra rupee liability corresponding to such variation shall not be allowed against the hedged foreign debt.
- 29.3 To the extent that the foreign exchange exposure is not hedged, any extra rupee liability towards interest payment and loan repayment corresponding to the foreign currency loan in the relevant Year shall be allowed subject to prudence check by the Commission.

30. Depreciation

- 30.1 The value base for the purpose of depreciation shall be the capital cost of the asset admitted by the Commission:
- Provided that the depreciation shall be allowed after reducing the approved original cost of the retired or replaced or decapitalized assets:
- Provided also that the no depreciation shall be allowed on the assets financed through consumer contribution, deposit work, capital subsidy or grant.
- 30.2 The salvage value of the asset shall be considered as 10% and depreciation shall be allowed up to a maximum of 90% of the capital cost of the asset.
- 30.3 Land other than the land held under lease shall not be a depreciable asset and its cost shall be excluded from the capital cost while computing depreciable value of the assets.
- 30.4 In case of existing assets, the balance depreciable value as on April 1, 2019, shall be worked out by deducting the cumulative depreciation as admitted by the Commission up to March 31, 2018, from the gross depreciable value of the assets.
- 30.5 The depreciation shall be chargeable from the first Year of commercial operations. In case of projected commercial operation of the assets during the Year, depreciation shall be computed based on the average of opening and closing value of assets:
- Provided that depreciation shall be re-calculated during truing-up for assets capitalised at the time of truing up of each Year of the Control Period, based on documentary evidence of asset capitalised by the Applicant, subject to the prudence check of the Commission.

- 30.6 For Transmission Licensee, the depreciation shall be calculated at rates and norms specified in the prevalent CERC Tariff Regulations for transmission system.
- 30.7 The depreciation for a Distribution Licensee shall be calculated annually, based on the Straight Line Method, over the Useful Life of the asset at rates specified in Appendix I of the Regulations.
- 30.8 In addition to allowable depreciation, the Distribution Licensee shall be entitled to advance against depreciation (AAD), computed in the manner given hereunder:
- AAD = Loan (raised for capital expenditure) repayment amount based on loan repayment tenure, subject to a ceiling of 1/10th of loan amount minus depreciation as calculated on the basis of these Regulations:
- Provided that advance against depreciation shall be permitted only if the cumulative repayment upto a particular Year exceeds the cumulative depreciation upto that Year:
- Provided further that advance against depreciation in a Year shall be restricted to the extent of difference between cumulative repayment and cumulative depreciation upto that Year.
- 30.9 The Distribution Licensee shall provide the list of assets added during each Year of Control Period and list of assets completing 90% of depreciation in the Year along with Petition for annual performance review, true-up and tariff determination for ensuing Year.
- 30.10 The remaining depreciable value for a Distribution Licensee shall be spread over the balance useful life of the asset, on repayment of the entire loan.

31. Interest on Working Capital

- 31.1 The norms for working capital for Transmission Licensee shall be as specified in Chapter 5 of these Regulations.
- 31.2 The norms for working capital for Distribution Wires Business and Retail Supply Business shall be as specified in Chapter 6 and Chapter 7 of these Regulations.
- 31.3 The interest on working capital shall be a payable on normative basis notwithstanding that the Licensee has not taken working capital loan from any outside agency or has exceeded the working capital loan based on the normative figures.
- 31.4 The rate of interest on working capital shall be equal one (1)Year State Bank of India (SBI) MCLR / any replacement thereof as notified by RBI for the time being in effect applicable for one (1)Year period, as may be applicable as on 1stApril of the Financial Year in which the Petition is filed plus 200 basis points.

32. Tax on Income

- 32.1 The treatment of tax on income for a Transmission Licensee shall be in accordance with the prevalent CERC Tariff Regulations.
- 32.2 The Commission in its MYT Order shall provisionally approve Income Tax payable for each Year of the Control Period, if any, based on the actual income tax paid, including cess and surcharge on the same, if any, as per latest audited accounts available for the Distribution Licensee, subject to prudence check.
- 32.3 Variation between Income Tax actually paid, including cess and surcharge on the same, if any, and approved, if any, on the income stream of the Licensed business of the Distribution Licensees shall be reimbursed to/recovered from the Distribution Licensees, based on the documentary evidence submitted at the time of truing up of each Year of the Control Period, subject to prudence check.
- 32.4 Under-recovery or over-recovery of any amount from the Consumers on account of such tax having been passed on to them shall be adjusted every Year on the basis of income-tax assessment under the Income-Tax Act, 1961, as certified by the statutory auditors. The Distribution Licensee may include this variation in its truing up Petition:
- Provided that tax on any income stream other than the core business shall not be a pass-through component in tariff and tax on such other income shall be borne by the Distribution Licensee.

33. Rebate

- 33.1 The rebate to be provided by a Generating Company or Transmission Licensee to a Distribution Licensee for early payment of bills shall be in accordance with the prevalent CERC Tariff Regulations.
- 33.2 Such rebate earned by the Distribution Licensee shall be considered under Non-Tariff Income for the Distribution Licensee.

- 33.3 Any rebate provided by the Generating Company or Transmission Licensee to the beneficiaries shall not be allowed as an expense for the Generating Company or Transmission Licensee, as the case may be.

34. Late Payment Surcharge

- 34.1 In case the payment of bills of transmission charges by a beneficiary is delayed beyond a period as specified in the prevalent CERC Tariff Regulations, a late payment surcharge shall be levied on the billed amount in accordance with the prevalent CERC Tariff Regulations.
- 34.2 The delayed payment charge earned by the Transmission Licensee or the Distribution Licensee shall not be considered under its Non-Tariff Income.
- 34.3 Interest on delayed payment earned by the Transmission Licensee or the Distribution Licensee shall be considered under its Non-Tariff Income after subtracting the normative interest on additional working capital required by the Licensee on account of delayed payment by Consumers.
- 34.4 The delayed payment charge paid or payable by the Distribution Licensee to the Generating Company or the Transmission Licensee shall not be allowed as an expense for such Distribution Licensee.

35. Income from Other Business

- 35.1 Where the Transmission Licensee or Distribution Licensee is engaged in any Other Business, the income from such business shall be calculated in accordance with the Joint Electricity Regulatory Commission for Goa & Union Territories (Treatment of Other Business of Transmission Licensees and Distribution Licensees) Regulations, 2009, as amended from time to time and shall be deducted from the Aggregate Revenue Requirement of the Licensee:

Provided that the Licensee shall follow a reasonable basis for allocation of all joint and common costs between the transmission or distribution business and the Other Business and prepare Accounting Statements in accordance with Joint Electricity Regulatory Commission for Goa & Union Territories (Treatment of Other Business of Transmission Licensees and Distribution Licensees) Regulations, 2009, as amended from time to time and submit to the Commission along with its application for determination of tariff:

Provided further that where the sum total of the direct and indirect costs of such Other Business exceeds the revenues from such Other Business, no amount shall be allowed to be added to the Aggregate Revenue Requirement of the Licensee on account of such Other Business.

Chapter 4: Generation

36. Applicability

- 36.1 The Regulations contained in this Chapter shall apply for determination of tariff for supply of electricity to Distribution Licensee from a Generating Station located in the State.
- 36.2 The Commission shall be guided by the terms and conditions contained in this Chapter in determining the tariff for supply of electricity by a Generating Company to a Distribution Licensee in the following cases:
- where such tariff is pursuant to a power purchase agreement or arrangement entered into subsequent to the date of effectiveness of these Regulations; or
 - where such tariff is pursuant to a power purchase agreement or arrangement entered into prior to the date of effectiveness of these Regulations and either the Commission has not previously approved such agreement/arrangement or the agreement/arrangement envisages that the tariff shall be based on the Tariff Regulations notified by the Commission; or
 - where the Distribution Licensee is engaged in the business of generation of electricity, in determining the price at which electricity is supplied by the Generating Station of the Distribution Licensee to its Retail Supply Business.
- 36.3 Notwithstanding anything contained in this Chapter 4, the Commission shall adopt the tariff if such tariff has been determined through transparent process of bidding in accordance with the guidelines issued by the Central Government.

37. Components of Tariff

- 37.1 The Aggregate Revenue Requirement for a Generation Company shall comprise of the following components:
- Return on Equity;
 - Interest and finance charges on Loan;
 - Depreciation;

- d) Interest on Working Capital;
 - e) Operation and maintenance expenses;
 - f) Income tax.
- 37.2 The treatment of each of the above components shall be in accordance with the prevalent CERC Tariff Regulations governing generation of electricity.
- 37.3 The recovery of Aggregate Revenue Requirement and fuel cost for a Generation Company shall be in accordance with the prevalent CERC Tariff Regulations governing generation of electricity

38. Norms of Operation

- 38.1 The norms of operation for a Generating Station including Normative annual plant availability factor (NAPAF), Normative Annual Plant Load Factor (NAPLF), Gross Station heat Rate, Auxiliary Consumption etc. shall be in accordance with the prevalent CERC Tariff Regulations governing generation of electricity.

Chapter 5: Intra-State Transmission

39. Applicability

- 39.1 The Regulations contained in this Chapter shall apply for determination of tariff for access and use of the intra-State transmission system in the States.

40. Components of Tariff

- 40.1 The annual transmission charges for each Financial Year of the Control Period shall provide for the recovery of the Aggregate Revenue Requirement of the Transmission Licensee for the respective Financial Year of the Control Period, as reduced by the amount of Non-Tariff Income, income from Other Business and short-term transmission charges of the previous Year in accordance with Joint Electricity Regulatory Commission for the State of Goa and Union Territories (Connectivity and Open Access in Intra-State Transmission and Distribution) Regulations, 2017, as amended from time to time:

Provided that in case of competitively awarded transmission system projects in pursuance of Section 63 of the Act and in accordance with guidelines for competitive bidding for transmission, the annual transmission charges shall be as per the annual Transmission Service Charges (TSC) quoted by such competitively awarded transmission projects.

- 40.2 The annual transmission charges of the Transmission Licensee shall be determined by the Commission on the basis of an application for determination of Aggregate Revenue Requirement made by the Transmission Licensee in accordance with Chapter 2 of these Regulations.
- 40.3 The Aggregate Revenue Requirement for a Transmission Licensee shall comprise of the following components:
- g) Return on Equity;
 - h) Depreciation;
 - i) Interest and Finance Charges on Loan Capital;
 - j) Interest on Working Capital and deposits from Transmission System Users;
 - k) Operation and maintenance expenses;
 - l) Income Tax

Less:

- m) Income from Open Access Charges, in accordance with Joint Electricity Regulatory Commission for the State of Goa and Union Territories (Connectivity and Open Access in Intra-State Transmission and Distribution) Regulations, 2017 as amended from time to time;
- n) Non-Tariff Income;
- o) Income from Other Business, to the extent specified in these Regulations:

Provided that Return on Equity, Interest on Loan, Depreciation, Interest on Working Capital and deposits from Transmission System Users and Income Tax for Transmission Licensees shall be allowed in accordance with the provisions specified in Chapter 3 of these Regulations:

Provided further that prior period income/expenses shall be allowed by the Commission at the time of truing up based on audited accounts, on a case-to-case basis, subject to prudence check.

41. Operation and Maintenance (O&M) expenses for Transmission Licensees

41.1 Operation and Maintenance (O&M) expenses shall comprise of the following:

- a) Employee expenses - salaries, wages, pension contribution and other employee costs;
- b) Administrative and General expenses including insurance charges if any; and
- c) Repairs and Maintenance expenses.

41.2 The Transmission Licensee shall submit the required O&M expenses for the Control Period as a part of Multi Year Tariff Petition. O&M expenses for the base Year shall be approved by the Commission taking into account the latest available audited accounts, business plan filed by the transmission Licensee, estimates of the actuals for the base Year, prudence check and any other factors considered appropriate by the Commission.

41.3 O&M expenses for the n^{th} Year of the Control Period shall be approved based on the formula given below:

$$O\&M_n = (R\&M_n + EMP_n + A\&G_n) \times (1 - X_n) + \text{Terminal Liabilities}$$

Where,

$$R\&M_n = K \times GFA_{n-1} \times (WPI_{\text{inflation}})$$

$$EMP_n = (EMP_{n-1}) \times (1 + G_n) \times (CPI_{\text{inflation}})$$

$$A\&G_n = (A\&G_{n-1}) \times (CPI_{\text{inflation}})$$

'K' is a constant (expressed in %). Value of K for each Year of the Control Period shall be determined by the Commission in the Multi Year Tariff Order based on Licensee's filing, bench marking of repair and maintenance expenses, approved repair and maintenance expenses vis-à-vis GFA approved by the Commission in past and any other factor considered appropriate by the Commission;

$CPI_{\text{inflation}}$ – is the average increase in Consumer Price Index (CPI) for immediately preceding three (3) Years before the base Year;

$WPI_{\text{inflation}}$ – is the average increase in the Wholesale Price Index (CPI) for immediately preceding three (3) Years before the base Year;

EMP_n – Employee expenses of the Transmission Licensee for the n^{th} Year;

$A\&G_n$ – Administrative and General expenses of the Transmission Licensee for the n^{th} Year;

$R\&M_n$ – Repair and Maintenance expenses of the Transmission Licensee for the n^{th} Year;

GFA_{n-1} – Gross Fixed Asset of the transmission Licensee for the $n-1^{\text{th}}$ Year;

X_n is an efficiency factor for n^{th} Year. Value of X_n shall be determined by the Commission in the Multi Year Tariff Order based on Licensee's filing, benchmarking, approved cost by the Commission in past and any other factor the Commission feels appropriate;

G_n is a growth factor for the n^{th} Year. Value of G_n shall be determined by the Commission for each Year in the Multi Year Tariff Order for meeting the additional manpower requirement based on Licensee's filings, benchmarking, approved cost by the Commission in past and any other factor that the Commission feels appropriate.

41.4 Terminal liabilities of employees of Licensee including pension expenses etc. shall be approved as per actuals submitted by the Licensee, subject to prudence check or be established through actuarial studies. Additionally, any variation due to changes recommended by the pay commission shall be allowed separately by the Commission, subject to prudence check.

41.5 For the purpose of estimation, the same value of factors – $CPI_{\text{inflation}}$ and $WPI_{\text{inflation}}$ shall be used for all Years of the Control Period. However, the Commission shall consider the actual values of the factors – $CPI_{\text{inflation}}$ and $WPI_{\text{inflation}}$ during the truing up exercise for the Year for which true up is being carried out and true up the O&M Expenses for that Year, only to the extent of inflation.

41.6 For New Transmission Licensee, the Year-wise O&M norms shall be determined on case to case basis:

Provided that the same shall not apply to those New Projects, which are awarded on a competitive bidding basis.

Note: The term “New Transmission Licensee” shall mean the Transmission Licensee(s) for which transmission license is granted by the Commission after the date of effectiveness of these Regulations, and whose transmission project assets are commissioned after March 31, 2018.

42. Norms of Working Capital for Transmission Licensee

- 42.1 The Transmission Licensee shall be allowed interest on the estimated level of working capital for the Financial Year computed in accordance with prevalent CERC Tariff Regulations.

43. Non-Tariff Income

- 43.1 The amount of Non-Tariff Income relating to the transmission business as approved by the Commission shall be deducted from the Aggregate Revenue Requirement in determining annual transmission charges of the Transmission Licensee:

Provided that the Transmission Licensee shall submit full details of its forecast of Non-Tariff Income to the Commission along with its application for determination of Aggregate Revenue Requirement.

- 43.2 The Non-Tariff Income shall inter-alia include:

- a) Income from rent on land or buildings;
- b) Income from sale of scrap;
- c) Income from statutory investments;
- d) Interest on advances to suppliers/contractors;
- e) Rental from staff quarters;
- f) Rental from contractors;
- g) Income from hire charges from contractors and others;
- h) Income from advertisements, etc.;
- i) Miscellaneous receipts like parallel operation charges;
- j) Deferred Income from grant, subsidy, etc., as per Annual Accounts;
- k) Excess found on physical verification;
- l) Interest on investments, fixed and call deposits and bank balances;
- m) Prior period income, etc.:

Provided that the interest/dividend earned from investments made out of Return on Equity corresponding to the Licensed Business of the Transmission Licensee shall not be included in Non-Tariff Income.

44. Norms of Operations for Transmission Licensee

- 44.1 The norms of operations for a Transmission Licensee shall be applicable as specified in the prevalent CERC Tariff Regulations.

Provided that sharing of incentive, if any with the beneficiaries for exceeding the norms of operations shall be in accordance with provisions of prevalent CERC Tariff Regulations.

45. Transmission Loss

- 45.1 The energy losses in the transmission system of the Transmission Licensee, as determined by the State Load Despatch Centre, shall be borne by the Transmission System Users in proportion to their usage of the intra-State transmission system.

46. Sharing of charges for Intra-State Transmission Network

- 46.1 The Aggregate Revenue Requirement of the Transmission Licensee, as approved by the Commission, shall be shared by all long-term users and medium-term users of the transmission system on a monthly basis in the ratio of their respective Allotted Transmission Capacity to the total Allotted Transmission Capacity, in accordance with the following formula:

$$ATC_n = (\text{Transmission ARR} / 12) \times (CC_n / \text{SCC})$$

Where,

ATC_n = annual transmission charges payable by the n_{th} long-term user or medium-term user of the transmission system;

Transmission ARR = Aggregate Revenue Requirement of the Transmission Licensee, determined in accordance with these Regulations;

CC_n = Allotted Transmission Capacity by the n^{th} long-term user or medium-term user of the transmission system;

SCC = sum of Allotted Transmission Capacity by all long-term users and medium-term users of the transmission system:

Provided that the ATC_n shall be payable on a monthly basis by each long-term user or medium-term user of the transmission system and shall be collected by the State Transmission Utility (STU).

46.2 The short-term Open Access Consumers shall pay transmission charges on Rs/MW/day basis determined in accordance with Joint Electricity Regulatory Commission for the State of Goa and Union Territories (Connectivity and Open Access in Intra-State Transmission and Distribution) Regulations, 2017, as amended from time to time.

46.3 75% of charges collected from the short-term Open Access Consumers shall be adjusted towards reduction in the charges payable by the long-term and medium-term Open Access Consumers. The remaining 25% of the charges collected from short-term Open Access users shall be retained by the Transmission Licensee.

47. Consequential Impact of any Government of India Scheme

47.1 The consequential impact of any Government of India scheme for waiver/reduction of transmission charges, incentives, and losses for any entity/ies, on the transmission charges payable by the other entities, shall be addressed through separate Orders to be issued by the Commission from time to time.

Chapter 6: Distribution Wires Business

48. Separation of Accounts of Distribution Licensee

48.1 Every Distribution Licensee shall segregate accounts for Distribution Wires Business and Retail Supply Business and shall prepare an Allocation Statement. The wheeling charges pertaining to Distribution Wires Business of the Distribution Licensee shall be determined by the Commission on the basis of these segregated accounts:

Provided that in case complete accounting segregation has not been done, the following Allocation Statement shall be applicable:

Table 1: Allocation Statement for segregation of Distribution Wires Business and Retail Supply Business

| Particulars | Wires Business (%) | Retail Supply Business (%) |
|---|--------------------|----------------------------|
| Power Purchase Expenses | 0% | 100% |
| Inter-State Transmission Charges | 0% | 100% |
| Intra-State Transmission Charges | 0% | 100% |
| Employee Expenses | 40% | 60% |
| Administration & General Expenses | 50% | 50% |
| Repair & Maintenance Expenses | 90% | 10% |
| Capital Cost | 90% | 10% |
| Depreciation | 90% | 10% |
| Interest on Long-term Loan Capital | 90% | 10% |
| Interest on working capital and on consumer security deposits | 10% | 90% |
| Bad Debts Written off | 0% | 100% |
| Income Tax | 90% | 10% |
| Non-Tariff Income | 10% | 90% |
| Income from Other Business | 50% | 50% |

Provided further that the above Allocation Statement shall be applied for all or any of the heads of expenditure and revenue, where actual accounting separation has not been done between the Distribution Wires Business and Retail Supply Business.

49. Applicability

- 49.1 The Regulations contained in this Chapter shall apply to the determination of wheeling charges for usage of distribution wires of a Distribution Licensee by a distribution system user, other than retail supply Consumers.

50. Aggregate Revenue Requirement for Distribution Wires Business

- 50.1 The wheeling charges for Distribution Wires Business of the Distribution Licensee shall provide for the recovery of the Aggregate Revenue Requirement, which shall comprise of the following:

- a) Return on Equity;
- b) Interest and finance charges on Loan;
- c) Depreciation;
- d) Interest on Working Capital and deposits from distribution system users;
- e) Operation and maintenance expenses;
- f) Income Tax;

Less:

- g) Non-Tariff Income;
- h) Income from Other Business, to the extent specified in these Regulations:

Provided that Return on Equity, Interest on Loan Capital, Depreciation, Interest on Working Capital, Interest on deposits from Consumers and distribution system users, and Income Tax for Distribution Wires Business shall be allowed in accordance with the provisions specified in Chapter 3 of these Regulations:

Provided further that prior period income/expenses shall be allowed by the Commission at the time of truing up based on audited accounts, on a case-to-case basis, subject to prudence check:

Provided also that all penalties and compensation payable by the Licensee to any party for failure to meet any Standards of Performance or for damages, as a consequence of the orders of the Commission, Courts, Consumer Grievance Redressal Forum, and Ombudsman, etc., shall not be allowed to be recovered through the Aggregate Revenue Requirement:

Provided also that the Distribution Licensee shall maintain separate details of such penalties and compensation paid or payable by the Licensee, if any, and shall submit them to the Commission along with its Petition.

51. Operation and Maintenance (O&M) expenses for Distribution Wires Business

- 51.1 The Operation and Maintenance expenses for the Distribution Wires Business shall be computed in accordance with this Regulation.

- 51.2 Operation and Maintenance (O&M) expenses shall comprise of the following:

- a) Employee expenses - salaries, wages, pension contribution and other employee costs;
- b) Administrative and General expenses including insurance charges if any; and
- c) Repairs and Maintenance expenses.

- 51.3 The Distribution Licensee shall submit the required O&M expenses for the Control Period as a part of Multi Year Tariff Petition. O&M expenses for the base Year shall be approved by the Commission taking into account the latest available audited accounts, business plan filed by the transmission Licensee, estimates of the actuals for the Base Year, prudence check and any other factors considered appropriate by the Commission.

- 51.4 O&M expenses for the n^{th} Year of the Control Period shall be approved based on the formula given below:

$$O\&M_n = (R\&M_n + EMP_n + A\&G_n) \times (1 - X_n) + \text{Terminal Liabilities}$$

Where,

$$R\&M_n = K \times GFA_{n-1} \times (WPI_{\text{inflation}})$$

$$EMP_n = (EMP_{n-1}) \times (1+G_n) \times (CPI_{\text{inflation}})$$

$$A\&G_n = (A\&G_{n-1}) \times (CPI_{inflation})$$

'K' is a constant (expressed in %). Value of K for each Year of the Control Period shall be determined by the Commission in the Multi Year Tariff Order based on Licensee's filing, benchmarking of repair and maintenance expenses, approved repair and maintenance expenses vis-à-vis GFA approved by the Commission in past and any other factor considered appropriate by the Commission;

$CPI_{inflation}$ – is the average increase in Consumer Price Index (CPI) for immediately preceding three (3) Years before the base Year;

$WPI_{inflation}$ – is the average increase in the Wholesale Price Index (CPI) for immediately preceding three (3) Years before the base Year;

EMP_n – Employee expenses of the Distribution Licensee for the n^{th} Year;

$A\&G_n$ – Administrative and General expenses of the Distribution Licensee for the n^{th} Year;

$R\&M_n$ – Repair and Maintenance expenses of the Distribution Licensee for the n^{th} Year;

GFA_{n-1} – Gross Fixed Asset of the transmission Licensee for the $n-1^{th}$ Year;

X_n is an efficiency factor for n^{th} Year. Value of X_n shall be determined by the Commission in the Multi Year Tariff Order based on Licensee's filing, benchmarking, approved cost by the Commission in past and any other factor the Commission feels appropriate;

G_n is a growth factor for the n^{th} Year. Value of G_n shall be determined by the Commission for each Year in the Multi Year Tariff Order for meeting the additional manpower requirement based on Licensee's filings, benchmarking, approved cost by the Commission in past and any other factor that the Commission feels appropriate:

Provided that in case the Distribution Licensee has been in operation for less than three (3) Years as on the date of effectiveness of these Regulations, O&M Expenses shall be determined on case to case basis.

- 51.5 Terminal liabilities of employees of Licensee including pension expenses etc. shall be approved as per actuals submitted by the Licensee, subject to prudence check or be established through actuarial studies. Additionally, any variation due to changes recommended by the pay commission shall be allowed separately by the Commission, subject to prudence check.
- 51.6 For the purpose of estimation, the same value of factors – $CPI_{inflation}$ and $WPI_{inflation}$ shall be used for all Years of the Control Period. However, the Commission shall consider the actual values of the factors – $CPI_{inflation}$ and $WPI_{inflation}$ during the truing up exercise for the Year for which true up is being carried out and true up the O&M Expenses for that Year, only to the extent of inflation.

52. Norms of Working Capital for Distribution Wires Business

- 52.1 The Distribution Licensee shall be allowed interest on the estimated level of working capital for the Distribution Wires Business for the Financial Year, computed as follows:

- O&M Expenses for one (1) month; plus
- Maintenance spares at 40% of repair and maintenance expenses for one (1) month; plus
- Receivables equivalent to two (2) months of the expected revenue from charges for use of distribution wires at the prevailing tariff;

Less

- Amount, if any, held as security deposits under clause (b) of sub-section (1) of Section 47 of the Act from distribution system users except the security deposits held in the form of Bank Guarantees:

Provided that at the time of truing up for any Year, the working capital requirement shall be re-calculated on the basis of the values of components of working capital approved by the Commission in the truing up.

53. Non-Tariff Income

- 53.1 The amount of Non-Tariff Income relating to the Distribution Wires Business as approved by the Commission shall be deducted from the Aggregate Revenue Requirement in determining the wheeling charges of Distribution Wires Business of the Distribution Licensee:

Provided that the Distribution Licensee shall submit full details of its forecast of Non-Tariff Income to the Commission along with its application for determination of wheeling charges.

- 53.2 The Non-Tariff Income shall inter-alia include:

Income from rent of land or buildings;

- (a) Income from sale of scrap;
- (b) Income from statutory investments;
- (c) Income from interest on contingency reserve investment;
- (d) Interest on advances to suppliers/contractors;
- (e) Rental from staff quarters;
- (f) Rental from contractors;
- (g) Income from hire charges from contactors and others;
- (h) Income from advertisements, etc.;
- (i) Miscellaneous receipts;
- (j) Excess found on physical verification;
- (k) Deferred Income from grant, subsidy, etc., as per Annual Accounts;
- (l) Prior period income, etc.:

Provided that the interest/dividend earned from investments made out of Return on Equity corresponding to the Distribution Wires Business of the Distribution Licensee shall not be included in Non-Tariff Income.

54. Determination of Wheeling Charges

- 54.1 The Commission shall specify the Wheeling Charge of Distribution Wires Business of the Distribution Licensee in its Order passed under sub-section (3) of Section 64 of the Act:

Provided that the revenue from wheeling charges paid by the distribution system users other than the retail Consumers under the above proviso shall be used to reduce the Aggregate Revenue Requirement of the Distribution Wires Business to be recovered from the retail Consumers of the concerned Distribution Licensee, in accordance with Joint Electricity Regulatory Commission for the State of Goa and Union Territories (Connectivity and Open Access in Intra-State Transmission and Distribution) Regulations, 2017, as amended from time to time.

55. Wheeling Losses

- 55.1 The Distribution Licensee shall be allowed to recover, in kind, the approved level of wheeling losses arising from the operation of the distribution system, as stipulated in the respective Tariff Order.

Chapter 7: Retail Supply of Electricity

56. Applicability

- 56.1 These Regulations shall apply to determination of tariff for retail supply of electricity by a Distribution Licensee to its Consumers.

57. Aggregate Revenue Requirement for Retail Supply Business

- 57.1 The tariff for retail supply of the Distribution Licensee shall provide for the recovery of the Aggregate Revenue Requirement of the Retail Supply Business for the respective Years of the Control Period, as approved by the Commission and comprising the following components:

- (a) Cost of own power generation and power purchase expenses from other sources;
- (b) Inter-State transmission charges;
- (c) Intra-State transmission charges;
- (d) SLDC fees and charges;
- (e) Balance Aggregate Revenue Requirement for Distribution Wires Business, as determined under Chapter 6 of these Regulations, after deducting income from wheeling charges payable by distribution system users other than the retail Consumers getting electricity supply from the same Distribution Licensee in accordance with Joint Electricity Regulatory Commission for the State of Goa and Union Territories (Connectivity and Open Access in Intra-State Transmission and Distribution) Regulations, 2017, as amended from time to time;
- (f) Provision for bad and doubtful debts;

- (g) Return on Equity capital;
 - (h) Operation and Maintenance Expenses;
 - (i) Depreciation;
 - (j) Interest and finance charges on Loan Capital;
 - (k) Interest on Working Capital;
 - (l) Interest on consumer security deposits;
 - (m) Income Tax;
- Less
- (n) Non-Tariff income;
 - (o) Income from Other Business, to the extent specified in these Regulations;
 - (p) Receipts on account of Cross-Subsidy Surcharge;
 - (q) Receipts on account of Additional Surcharge:

Provided that Depreciation, Interest on Loan Capital, Interest on Working Capital, Interest on consumer security deposits, Contribution to Contingency Reserves, Return on Equity, and Income Tax for Retail Supply Business shall be allowed in accordance with the provisions specified in Chapter 3 of these Regulations:

Provided further that prior period income/expenses shall be allowed by the Commission at the time of truing up based on audited accounts, on a case-to-case basis, subject to prudence check:

Provided also that all penalties and compensation payable by the Licensee to any party for failure to meet any Standards of Performance or for damages, as a consequence of the orders of the Commission, Courts, Consumer Grievance Redressal Forum, and Ombudsman, etc. or penalty imposed by Commission on Licensee for non-compliance with Renewable Purchase Obligations in accordance with Joint Electricity Regulatory Commission for state of Goa & Union Territories (Procurement of Renewable energy) Regulations, 2010, as amended from time to time shall not be allowed to be recovered through the Aggregate Revenue Requirement:

Provided also that the Distribution Licensee shall maintain separate details of such penalties and compensation paid or payable by the Licensee, if any, and shall submit them to the Commission along with its Petition.

- 57.2 The tariff for retail supply by the Distribution Licensee shall be determined by the Commission on the basis of a Petition for determination of tariff filed by the Distribution Licensee in accordance with Chapter 2 of these Regulations:

Provided that the Aggregate Revenue Requirement of the Distribution Licensee shall be allocated or apportioned between the Distribution Wires Business and Retail Supply Business in accordance with the Table 1 in Regulation 48, till the accounts for Distribution Wires Business and Retail Supply Business are not separated:

Provided further that the tariff for retail supply may comprise of any combination of fixed/demand charges, energy charges, and any other charges, for the purpose of recovery from the Consumers, as may be stipulated by the Commission:

Provided also that the Commission may determine the area-wise tariff for Distribution Licensee based on the performance parameters as may be stipulated by the Commission.

58. Cost of Power Purchase

- 58.1 The Distribution Licensee shall be allowed to recover the cost of power generated by the Generating Stations owned by it or purchased from approved sources for supply to Consumers based on the power procurement plan of the Distribution Licensee, approved by the Commission.
- 58.2 The Distribution Licensee shall recover the incremental cost on account of Fuel and Power Purchase Cost Adjustment (FPPCA) in accordance with the formula and related terms and conditions as may be prescribed by the Commission in its Orders from time to time. The Commission shall also specify the categories of Consumers for recovery of the FPPCA charge.

59. Transmission Charges

- 59.1 The Distribution Licensee shall be allowed to recover transmission charges payable for access to and use of the inter-state and intra-State transmission system in accordance with the tariff approved by the Commission under Chapter 5 of these Regulations.

60. Operation and Maintenance (O&M) expenses for Retail Supply Business

- 60.1 The Operation and Maintenance Expenses for the Retail Supply Business shall be computed in accordance with this Regulation.
- 60.2 O&M Expenses shall comprise of the following:
- Employee expenses - salaries, wages, pension contribution and other employee costs;
 - Administrative and General expenses including insurance charges if any; and
 - Repairs and Maintenance expenses.
- 60.3 The Licensee shall submit the required O&M expenses for the Control Period as a part of Multi Year Tariff Petition. O&M expenses for the base Year shall be approved by the Commission taking into account the latest available audited accounts, business plan filed by the transmission Licensee, estimates of the actuals for the Base Year, prudence check and any other factors considered appropriate by the Commission.
- 60.4 O&M expenses for the n^{th} Year of the Control Period shall be approved based on the formula given below:

$$O\&M_n = (R\&M_n + EMP_n + A\&G_n) \times (1 - X_n) + \text{Terminal Liabilities}$$

Where,

$$R\&M_n = K \times GFA_{n-1} \times (WPI_{\text{inflation}})$$

$$EMP_n = (EMP_{n-1}) \times (1 + G_n) \times (CPI_{\text{inflation}})$$

$$A\&G_n = (A\&G_{n-1}) \times (CPI_{\text{inflation}})$$

'K' is a constant (expressed in %). Value of K for each Year of the Control Period shall be determined by the Commission in the Multi Year Tariff Order based on Licensee's filing, benchmarking of repair and maintenance expenses, approved repair and maintenance expenses vis-à-vis GFA approved by the Commission in past and any other factor considered appropriate by the Commission;

$CPI_{\text{inflation}}$ – is the average increase in Consumer Price Index (CPI) for immediately preceding three (3) Years before the base Year;

$WPI_{\text{inflation}}$ – is the average increase in the Wholesale Price Index (CPI) for immediately preceding three (3) Years before the base Year;

EMP_n – Employee expenses of the Distribution Licensee for the n^{th} Year;

$A\&G_n$ – Administrative and General expenses of the Distribution Licensee for the n^{th} Year;

$R\&M_n$ – Repair and Maintenance expenses of the Distribution Licensee for the n^{th} Year;

GFA_{n-1} – Gross Fixed Asset of the transmission Licensee for the $n-1^{\text{th}}$ Year;

X_n is an efficiency factor for n^{th} Year. Value of X_n shall be determined by the Commission in the Multi Year Tariff Order based on Licensee's filing, benchmarking, approved cost by the Commission in past and any other factor the Commission feels appropriate;

G_n is a growth factor for the n^{th} Year. Value of G_n shall be determined by the Commission for each Year in the Multi Year Tariff Order for meeting the additional manpower requirement based on Licensee's filings, benchmarking, approved cost by the Commission in past and any other factor that the Commission feels appropriate;

Provided that in case the Licensee has been in operation for less than three (3) Years as on the date of effectiveness of these Regulations, the O&M Expenses shall be determined on a case to case basis.

- 60.5 Terminal liabilities of employees of Licensee including pension expenses etc. shall be approved as per actuals submitted by the Licensee, subject to prudence check or be established through actuarial studies. Additionally, any variation due to changes recommended by the pay commission shall be allowed separately by the Commission, subject to prudence check.
- 60.6 For the purpose of estimation, the same value of factors – $CPI_{\text{inflation}}$ and $WPI_{\text{inflation}}$ shall be used for all Years of the Control Period. However, the Commission shall consider the actual values of the factors – $CPI_{\text{inflation}}$

and $WPI_{inflation}$ during the truing up exercise for the Year for which true up is being carried out and true up the O&M Expenses for that Year, only to the extent of inflation.

61. SLDC Fees & Charges

61.1 The Distribution Licensee shall be allowed to recover SLDC fees and charges payable to SLDC in accordance with the tariff approved by the Commission.

62. Provision for bad and doubtful debts

62.1 The Commission may allow bad debts written off as a pass through in the Aggregate Revenue Requirement, based on the trend of write off of bad debts in the previous years, subject to prudence check:

Provided that the Commission shall true up the bad debts written off in the Aggregate Revenue Requirement, based on the actual write off of bad debts excluding delayed payment charges waived off, if any, during the year, subject to prudence check:

Provided also that the provision for bad and doubtful debts shall be limited to 1% of the annual Revenue Requirement of the Distribution Licensee:

Provided further that if subsequent to the write off of a particular bad debt, revenue is realised from such bad debt, the same shall be included as an uncontrollable item under the Non-Tariff Income of the year in which such revenue is realised.

63. Norms of Working Capital for Retail Supply Business

63.1 The Distribution Licensee shall be allowed interest on the estimated level of working capital for the Retail Supply Business for the Financial Year, computed as follows:

- (a) O&M Expenses for one (1) month; plus
- (b) Maintenance spares at 40% of repair and maintenance expenses for one (1) month; plus
- (c) Receivables equivalent to two (2) months of the expected revenue from Consumers at the prevailing tariff;

Less

- (d) Amount, if any, held as security deposits under clause (b) of sub-section (1) of Section 47 of the Act from Consumers except the security deposits held in the form of Bank Guarantees:

Provided that at the time of truing up for any Year, the working capital requirement shall be re-calculated on the basis of the values of components of working capital approved by the Commission in the truing up.

64. Non-Tariff Income

64.1 The amount of Non-Tariff Income relating to the retail supply of electricity as approved by the Commission shall be deducted from the Aggregate Revenue Requirement in calculating the tariff for retail supply of electricity by the Distribution Licensee:

Provided that the Distribution Licensee shall submit full details of its forecast of Non-Tariff Income to the Commission along with its application for determination of tariff.

64.2 The Non-Tariff Income shall inter-alia include:

- (a) Income from rent of land or buildings;
- (b) Income from sale of scrap;
- (c) Income from statutory investments;
- (d) Interest on advances to suppliers/contractors;
- (e) Rental from staff quarters;
- (f) Rental from contractors;
- (g) Income from hire charges from contractors and others;
- (h) Income from advertisements, etc.;
- (i) Meter/metering equipment/service line rentals;
- (j) Service charges;
- (k) Consumer charges;

- (l) Recovery for theft and pilferage of energy;
- (m) Rebate availed on account of timely payment of bills;
- (n) Miscellaneous receipts;
- (o) Deferred Income from grant, subsidy, etc., as per Annual Accounts;
- (p) Prior period income, etc.:

Provided that the interest/dividend earned from investments made out of Return on Equity corresponding to the Retail Supply Business of the Distribution Licensee shall not be included in Non-Tariff Income:

Provided further that any income earned by a Distribution Licensee by sale of power to other Distribution Licensees or to Consumers as per Section 49 of the Act using the existing power purchase agreements or bulk supply capacity allocated to the Distribution Licensee's Area of Supply shall be reduced from the Aggregate Revenue Requirement of the Distribution Licensee for the purpose of determination of tariff. Such reduction shall be carried out in accordance with Joint Electricity Regulatory Commission for the State of Goa and Union Territories (Connectivity and Open Access in Intra-State Transmission and Distribution) Regulations, 2017, as amended from time to time.

65. Receipts on account of Cross-Subsidy Surcharge and Additional Surcharge

- 65.1 The Cross-Subsidy Surcharge received by the Distribution Licensee in accordance with the Joint Electricity Regulatory Commission for the State of Goa and Union Territories (Connectivity and Open Access in Intra-State Transmission and Distribution) Regulations, 2017, as amended from time to time, at the rate approved by the Commission shall be deducted from the Aggregate Revenue Requirement, at the time of truing up.
- 65.2 The Additional surcharge received by the Distribution Licensee in accordance with the Joint Electricity Regulatory Commission for the State of Goa and Union Territories (Connectivity and Open Access in Intra-State Transmission and Distribution) Regulations, 2017, as amended from time to time, at the rate approved by the Commission shall be deducted from the Aggregate Revenue Requirement, at the time of truing up.

66. Distribution Losses

- 66.1 The Distribution Licensee shall recover the approved level of distribution losses arising from the Retail Supply of electricity.
- 66.2 The Commission may stipulate a trajectory for distribution losses for the Control Period in accordance with these Regulations, as part of the Multi Year Tariff Order.
- 66.3 Any variation between the actual level of distribution losses and the approved level shall be dealt with, as part of the Truing up exercise in accordance with Regulation 14.

67. Determination of Tariff

- 67.1 The Commission may categorize Consumers on the basis of their load factor, power factor, voltage, total consumption of electricity during any specified period or the time at which the supply is required or the geographical position of any area, the nature of supply and the purpose for which the supply is required and any other factor as considered appropriate by the Commission.
- 67.2 The Commission shall endeavour to determine cost of supply for each category/ sub-category of Consumers.
- 67.3 The Commission shall endeavour to reduce gradually the cross-subsidy between Consumer categories with respect to the cost of supply in accordance with the provisions of the Act.
- 67.4 The tariff proposal by Licensee and the tariff determination by the Commission shall be based on the following principles:
 - (a) The tariff for all categories shall preferably be two part, consisting of fixed and variable charges.
 - (b) The fixed charges in tariff shall progressively reflect actual fixed cost incurred by Distribution Licensee;
 - (c) The overall retail supply tariff for different Consumer categories shall progressively reflect the cost of supply for respective categories of Consumers;
 - (d) The tariff for residential Consumers shall be set considering the affordability of tariff for various class of Consumers;
 - (e) The tariff shall be set in such a manner that it may not present a tariff shock to any category of Consumers.

Chapter 8: Miscellaneous**68. Saving of Inherent Power of the Commission**

- 68.1 Nothing in these Regulations shall be deemed to limit or otherwise affect the inherent power of the Commission to make such orders as may be necessary for ends of justice or to prevent the abuse of the process of the Commission.
- 68.2 Nothing in these Regulations shall bar the Commission from adopting in conformity with the provisions of the Act, a procedure, which is at variance with any of the provisions of these Regulations, if the Commission, in view of the special circumstances of a matter or class of matters and for reasons to be recorded in writing, deems it necessary or expedient for dealing with such a matter or class of matters.
- 68.3 Nothing in these Regulations shall, expressly or by implication, bar the Commission to deal with any matter or exercise any power under the Act for which no Regulations have been framed, and the Commission may deal with such matters, powers and functions in a manner it thinks fit.

69. Issue of Orders and Practice Directions

- 69.1 Subject to the provision of the Act and these Regulations, the Commission may, from time to time, issue Orders and Practice directions with regard to the implementation of these Regulations and procedure to be followed on various matters.

70. Power to amend

- 70.1 The Commission may, at any time, vary, alter, modify or amend any provisions of these Regulations following the due process of law.

71. Power to remove difficulties

- 71.1 If any difficulty arises in giving effect to the provisions of these Regulations, the Commission may, by general or specific order, make such provisions not inconsistent with the provisions of the Act, as may appear to be necessary for removing the difficulty.

72. Power of Relaxation

- 72.1 The Commission, for reasons to be recorded in writing, may relax any of the provisions of these Regulations on its own motion or on an application made before it by an interested person.

73. Interpretation

- 73.1 If a question arises relating to the interpretation of any provision of these Regulations, the decision of the Commission shall be final.

74. Repeal

- 74.1 The Joint Electricity Regulatory Commission for the State of Goa and Union Territories (Multi Year Distribution Tariff) Regulations, 2014 and JERC (Terms and Conditions for Determination of Tariff) Regulations, 2009 shall stand repealed from the date of coming into force of these Regulations and any reference to these Regulations in any of the Regulations, standards, codes or procedures of the Joint Electricity Regulatory Commission shall be deemed to be replaced by the Joint Electricity Regulatory Commission for the State of Goa and Union Territories (Generation, Transmission and Distribution Multi Year Tariff) Regulations, 2018.
- 74.2 Notwithstanding such repeal, anything done or purported to have been done under the repealed Regulations so far as it is not inconsistent with these Regulations shall be deemed to have been done or purported to have been done under these Regulations.
- 74.3 These Regulations are in addition to and not in derogation of the other Regulations / Codes issued by the Commission.

RAKESH KUMAR, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty/200/18]

Appendix –I: Depreciation Schedule and Useful Life for assets**(a) Generation and Transmission Assets**

The Useful Life and depreciation rates for generation and transmission assets shall be as specified in the prevalent CERC Tariff Regulations.

(b) Distribution Assets

| S. No | Asset Class | Useful Life (Years) | Rate (%) |
|-------|--|--|----------|
| 1 | Land owned under full title | Infinity | 0 |
| 2 | Land held under lease | | |
| (A) | For investment in land | Period of lease or the period remaining unexpired on the assignment of the lease | 0 |
| (B) | For cost of clearing site | Period of lease remaining unexpired at the date of clearing the site | 0 |
| 3 | Assets purchased new | | |
| (A) | Buildings and civil engineering works of a permanent character, not mentioned above: | | |
| (i) | Offices and showrooms | 50 | 1.80 |
| (ii) | Temporary erection such as wooden structures | 5 | 18.00 |
| (iii) | Roads other than kutcha roads | 50 | 1.80 |
| (iv) | Others | 50 | 1.80 |
| (B) | Transformers, transformer (kiosk) substation equipment & other fixed apparatus (including plant foundations) | | |
| (i) | Transformers (including foundations) having a rating of 100 kilo volt amperes (kVA) and over | 25 | 3.60 |
| (ii) | Others | 25 | 3.60 |
| (C) | Switchgear, including cable connections | 25 | 3.60 |
| (D) | Lightning arrestors: | | |
| (i) | Station type | 25 | 3.60 |
| (ii) | Pole type | 15 | 6.00 |
| (iii) | Synchronous condenser | 35 | 2.57 |
| (E) | Batteries | 5 | 18.00 |
| (F) | Underground cable including joint boxes and disconnected boxes | 35 | 2.57 |
| (G) | Cable duct system | 50 | 1.80 |
| (H) | Overhead lines including supports: | | |
| (i) | Lines on fabricated steel operating at nominal voltages higher than 66 kV | 35 | 2.57 |
| (ii) | Lines on steel supports operating at nominal voltages higher than 11 kV but not exceeding 66 kV | 25 | 3.60 |
| (iii) | Lines on steel or reinforced concrete supports | 25 | 3.60 |

| S. No | Asset Class | Useful Life (Years) | Rate (%) |
|-------|---|--|----------|
| (iv) | Lines on treated wood supports | 25 | 3.60 |
| (I) | Meters | | |
| | Electro Mechanical | 15 | 6.00 |
| | Electronic/Smart Meters | 10 | 9.00 |
| (J) | Self propelled vehicles | 5 | 18.00 |
| (K) | Air conditioning plants: | | |
| (i) | Static | 15 | 6.00 |
| (ii) | Portable | 5 | 18.00 |
| (L) | Others | | |
| (i) | Office furniture and fittings | 15 | 6.00 |
| (ii) | Office equipment | 15 | 6.00 |
| (iii) | Internal wirings including fittings and apparatus | 15 | 6.00 |
| (iv) | Street Light fittings | 15 | 6.00 |
| (M) | Apparatus let on hire: | | |
| (i) | Other than motors | 5 | 18.00 |
| (ii) | Motors | 15 | 6.00 |
| (N) | Communication equipment | | |
| (i) | Radio and higher frequency carrier systems | 15 | 6.00 |
| (ii) | Telephone lines and telephones | 15 | 6.00 |
| (O) | Assets purchased in second hand and assets not otherwise provided for in the schedule | such reasonable period as the Commission determines in each case having regard to the nature, age and conditions of assets at the time of its acquisition by the current owner | |